RNI No. MAHBIL/2012/48433
Regn. No. PCE/065/2013-15
www.dgps.maharashtra.gov.in.

सत्यमेव जयते

# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

# भाग एक–पुणे विभागीय पुरवणी

वर्ष - ५, अंक - ५ ] गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ४ - १०, २०१६ / माघ १५ - २१, शके १९३७ [ पृष्ठे ८४

## प्राधिकृत प्रकाशन

## शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी

### URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

Mantralaya, Mumbai-400 032

dated 15th January 2016

*The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966*

***Notification***

No. TPS-2115/388/CR-127/15/UD-13.–Whereas, the Panhala Hill Station Municipal Council (District Kolhapur), (hereinafter referred to as "the said Planning Authority") being the Planning Authority within its jurisdiction under Clause *(19)* of Section 2 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to "the said Act") *vide* its Resolution No. 84 *(1)*, dated the 14th February 2006 has declared its intention under Section 38 read with sub-section *(1)* of Section 23 of the said Act to prepare Draft Development Plan (Second Revision) for the Municipal limits of the Panhala Hill Station Municipal Council and Notice of such declaration was published on page Nos. 769 and 770 in the Maharashtra Government Gazette, Pune Division Supplement, Part-I, dated 20th April 2006;

and whereas, the said Planning Authority after carrying out Survey of the entire land within its jurisdiction as required under Section 25 of the said Act, prepared and published a notice under sub-section *(1)* of Section 26 of the said Act, regarding preparation of the Draft Development Plan (Second Revision) of the Panhala Hill Station Municipal Council in the Maharashtra Government Gazette, Pune Division Supplement, dated 21st January 2010, on page Nos. 453-454, for inviting objections and suggestions to the published Draft Development Plan (Second Revision) of the Panhala Hill Station Municipal Council (hereinafter referred to as "the said Draft Development Plan");

and whereas, after considering the suggestions and objections received in respect of the said Draft Development Plan, the Planning Committee, set up under Section 28 *(2)* of the said Act, submitted its report to the said Planning Authority;

and whereas, the said Planning Authority *vide* its Resolution No. 77, dated 9th September 2011, made certain modifications in the said Draft Development Plan under sub-section *(4)* of Section 28 of the said Act and published the said Draft Development Plan so modified for information of the public under sub-section *(4)* of Section 28 of the said Act by a notice published in the Maharashtra Government Gazette, Pune Division Supplement, dated 20-26 October 2011, on page Nos. 3131 to 3148;

and whereas, after following all the legal provisions in accordance with the said Act, the said Planning Authority has submitted the said Draft Development Plan under Section 30 of the said Act to the Government of Maharashtra for sanction *vide* Letter No. 07/184/2011-12, dated 28th March 2012;

and whereas, the said Act, has been amended *vide* Maharashtra Act, X of 2011 with effect from the 5th April 2011;

and whereas, Government of Maharashtra has partly sanctioned the said Development Plan *vide* Notification No. TPS-2112/327/CR-60/Reconstruction-28/12/D. P. Sanction/UD-13, dated 26th March 2013, excluding the substantial Modifications which were published as EP-1 to EP-56 (hereinafter referred to as "the said Excluded Part") for inviting suggestions and/or objections from the General Public *vide* Notice No. TPS-2112/327/CR/Reconstruction No. 28/12/E. P. Published/UD-13, dated 26th March 2013, which was published in the Maharashtra Government Gazette, Pune Division Supplement, dated 26th September 2013 on page Nos. 15 to 38 and the Joint Director of Town Planning, Pune Division, Pune was appointed as the Officer to give hearing and submit his report to the Government (hereinafter referred to as "the said Officer");

and whereas the said Officer after giving hearing in respect of the suggestions and/or objections received from the General Public, regarding the said Excluded Part has submitted his Report to the Government *vide* letter No. 356, dated 25th February 2015;

and whereas, in accordance with the amended provision of Section 31 *(1)* of the said Act *vide* Maharashtra Act, No. XXXVIII of 2014, which has come into force w. e. f. 4th October 2013, the State Government is required to sanction the said Excluded Part within one year, from the date of receipt of the Report from the said Officer appointed.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section *(1)* of Section 31 of the said Act and all the other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra, after consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, hereby :–

(a) Sanctions the said Excluded Part of the Development Plan (Second Revision) of the Panhala Hill Station Municipal Council as specified in the Schedule– "A" appended hereto.

(b) Fixes 15th, January 2016 of the date on which the said Excluded Part of the Development Plan (Second Revision) of the Panhala Hill Station Municipal Council Sanctioned *vide* this Notification shall come into force.

Copy of the plan showing the aforesaid Excluded Part as sanctioned by the State Government shall be kept open for inspection by the general public during working hours for a period of one year in the office of the Panhala Hill Station Municipal Council (District Kolhapur) on all working days.

This Notification shall also be made available on Government Website www.maharashtra.gov.in and on Website of the Director of Town Planning Maharashtra State www.dtp.maharashtra.gov.in

## SCHEDULE–A

## DEVELOPMENT PLAN OF PANHALHA (IInd REVISION)

**Substantial Modifications Sanctioned by Government under Section 31 *(1)* of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966**

**Appended to Government Notification No. TPS-2115/388/CR-127/15/UD-13, dated 15th January 2016**

| Modi-fication No. | Proposals as per Published Plan under Section 26 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 | Proposal as per Pre-published Plan under Section 29 and submitted Plan under Section 30 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 | Substantial Modifications Published by Government under Section 31 *(1)* of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 | Decision taken by the Government on Published Substantial Modifications under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| EP-1 | Site No. 34 Parking, site No. 33 Harijan Cultural Central and Tourist Information Centre, and proposed road widening | M-3<br>An area from R. S. No. 77/3 (P) be deleted from Site No. 34 and included in Residential Zone. The remaining area of Site No. 34 be clubbed with Site No. 33 and total area be redesignated as 'Harijan Cultural Centre and Tourist Information Center' and Parking'. | Site No. 33 and Site No. 34 are proposed to be clubbed together and redesignated as "Parking, Cultural Centre and Tourist information Centre." | EP - 1<br>(A) Part portion of the land under Site No. 33 and Site No. 34, which is lapsed by the Notice under Section 127, is deleted from the said Reservations and included in the "Residential Zone" as shown on Plan.<br>(B) Remaining area of the land under Site No. 33 and Site No. 34 is clubbed together and redesignated as Site No. 33 + 34- "Parking, Cultural Center and Tourist Information Center" as shown on Plan. |
| EP-2 | Site No. 35–Botanical Garden. | (M-5, M-6, M-10, M-11, M-12, M-15, M-16, M-25, M-26, M-28, M-31, M-32, M-35, M-45, M-46, M-47, M-59, M-60, M-61, M-84, M-85, M-86).<br>Site No. 35, Botanical Garden Following changes be made in reservation. | (i) "Site No. 35 "Botanical Garden" is proposed to be restricted to only land belonging to the Government and to the Forest Department, as shown on plan.<br>(ii) Area of CTS No. 460 is proposed to be reserved for "Water Storage Tank" as shown on Plan. | EP-2<br>(A) Site No. 35– "Botanical Garden" is restricted only to the |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | (i) Area from CTS Nos. 453 and 454 (part) be deleted and included in No Development Zone.<br>(ii) Area from CTS Nos. 461, 458, 454 (part), 465, R. S. No. 60/1 and 60/5 be deleted and included in Residential Zone.<br>(iii) Area of CTS No. 460 be reserved for "Site No. 35-C Water storage tank".<br>(iv) Following new reservations be proposed on the remaining land excluding areas as specified in (i) to (iii) above as shown on plan.<br>Site No. — Purpose<br>35 — Botanical Garden<br>35-A — Flower Garden<br>35-B — Science Garden<br>(v) Roads be shown as per the proposals shown in earlier Sanctioned Development Plan. | (iii) Area under CTS No. 461 pt. (R. S. No. 67/1 A) pt. is proposed to be deleted and included in Residential Zone as per the modification sanctioned under Section 37 *(2)* of the said Act, as shown on Plan.<br>(iv) All the lands from site No. 35, excluding lands as specified in (i) to (iii) above, are proposed to be deleted from reservation and included in "Afforestation zone" subject to the proposed regulation. | lands owned by the State Government/forest Department, as shown on Plan.<br>(B) Land bearing CTS No. 460 is deleted from Site No. 35 "Botanical Garden" and redesignated as New Site No. 56 for "Water Storage Tank" as shown on Plan.<br>(C) Land bearing CTS No. 461 pt. (R. S. No. 67/1 A ) (pt.) is deleted and included in Residential Zone as per the Modification Sanctioned under Section 37 *(2)* of the M. R. and T. P. Act 1966 as shown on Plan.<br>(D) Land bearing R. S. No. 67/3 is deleted from Site No. 35- "Botanical Garden" and area thereunder is included in "Residential Zone" as shown on Plan.<br>(E) Rest of the Substantial Modification is sanctioned as published by the Government under Section 31 *(1)* of the M. R. and T. P. Act 1966 as shown on plan. |
| EP-3 | (a) Site No. 38- Rehabilitation of Affected Persons. | M-9<br>The area of S. Nos. 304, 305, 306 and 307 from Site No. 38 and from Telephone Exchange use be deleted | The land owned by Telephone Department in the Public/Semi Public Zone. The remaining land from use of Telephone Exchange including land under site No. 38 is proposed to be | EP-3<br>Site No. 38 is deleted and included in "Residential Zone" as shown on Plan. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | (b) Existing use of Telephone Exchange. | and included in Residential Zone as shown on plan. | redesignated for "Public Housing" for which Appropriate Authority shall be "Municipal Council/Mhada". | |
| EP-4 | Site No. 3 Beautification of Khokad Tank. | M-14<br>Site No. 3 "Beautification of Khokad Tank" be redesignated as "Beautification of Khokad Tank, Sports and Water Sports". | M-14<br>Site No. 3 "Beautification of Khokad Tank" is proposed to be redesignated as "Beautification of Khokad Tank, Sports and Water Sports". | EP-4<br>Site No. 3-is retained and redesignated as "Beautification of Khokad Tank, Sports and Water Sports" as shown on Plan. |
| EP-5 | Site No. 17 Hawkers Zone and 6 mtrs. wide proposed road to the South side of Site No. 17. | M-17<br>Eastern portion of CTS No. 604 (p) with 6 mtrs. wide road be deleted from reservation and included in Residential Zone. The remaining land be redesignated as "Tourist Resorts and Commercial Complex" with change in alignment of 6 mtrs. wide road as shown on plan. The land so released due to change in alignment of 6 mtrs. wide road is included in Residential Zone. | Eastern portion of CTS No. 604 (p) with 6 mtrs. wide road is proposed to be deleted from reservation and included in Residential Zone. The remaining land is to be redesignated as "Tourist Resorts and Commercial Complex" along with 6 mtrs. wide road as shown on plan. | EP-5<br>(A) Sanction is refused to E. P. No. 5.<br>(B) Site No. 17 - "Hawkers Zone" and 6 mtrs. Wide Road situated towards Southern side of Site No. 17 is reinstated as per the Plan published under Section 26 as shown on Plan. |
| EP-6 | Site No. 32 Parking | M-24<br>"Site No. 32 Parking" be redesignated as "Children's Playground". | "Site No. 32 Parking" is proposed to be redesignated as "Children's Playground". | EP-6<br>Site No. 32, is retained and redesignated an "Children's Playground" as shown on Plan. |
| EP-7 | Site No. 30 (Hawkers Plaza). | M-34<br>6 mtrs. wide Strip of land along South side road is proposed for "Hawkers Plaza". Remaining land from this reservation is deleted and included in Residential Zone. | "Site No. 30–Hawkers Plaza" is proposed to be deleted and land there under is proposed to be included in Residential Zone. | EP-7<br>Site No. 30- "Hawkers Plaza" is deleted and land thereunder is included in "Residential Zone" as shown on Plan. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| EP-8 | Site No. 29, Gopal Tirth Garden. | M-38<br>The Site No. 29 is rearranged with change in area and size due to accommodation of new reservation Site No. 29-A (Thal Devasthan) and Site No. 29-B (Central Administration Building). | "Site No. 29–Gopal Tirth Garden" is proposed to be redesignated as "Central Administrative Building" as shown on plan. | EP-8<br>Site No. 29–"Gopal Tirth Garden" is reinstated as per the Plan published under Section 26, as shown on plan. |
| EP-9 | R. S. No. 240- "Public-Semi-public Zone" (old Z. P. Dispensary). | M-53<br>New "Site No. 49-A, Yoga Centre" is proposed on the R. S. No. 240 (old Z. P. Dispensary). | Site No. 49-A is proposed to be redesignated as "Dormitory, Balwadi and Pay and Use Public Toilet" with Appropriate Authority as "Municipal Council/Zilla Parishad". | EP-9<br>Site No. 49-A is redesignated as "Dormitory, Balwadi and Pay and Use Public toilet" with Appropriate Authority as "Municipal Council/ Zilla Parishad", as shown on plan. |
| EP-10 | Site No. 43, Garden<br>Site No. 44, Cremation Ground, Site No. 45, Ligayat Samaj Burial ground. | M-55, M-56, M-57<br>(i) New 6 mtrs. wide road be proposed along the wall. (proposed as per modification No. M-62). | M-55, M-56, M-57<br>(i) New 5 mtrs. wide road is proposed along the Fort wall proposed as per modification No. M-62. | EP-10<br>(i) New 6 mtrs. wide Road is sanctioned along the Fort wall as per the Modification No. M-62 as shown on plan. |
| | | (ii) Area under Site No. 44-excluding 6 mtrs. wide proposed road as specified in (i) above, be deleted and merged into "Site No. 43-Garden" as shown on plan. | (ii) Area under Site No. 44-excluding 6 mtrs. wide proposed road as specified in (i) above is proposed to be deleted and merged into "Site No. 43-Garden" as shown on plan. | (ii) Site No. 44 (excluding 6 mtrs. wide sanctioned road as specified above) is deleted and area under the said Reservation is merged into "Site No. 43-Garden" as shown on Plan. |
| | | (iii) Site No. 45- Site No. 45 be redesignated for "Lingayat Samaj Burial Ground and Hindu Burial Ground" with change in area and location as shown on plan. | (iii) Site No. 45 is proposed to be redesignated as "Hindu Cremation Ground and Lingayat Samaj Burial Ground" with change in area and boundaries as shown on plan. | (iii) Site No. 45-is redesignated as Hindu Cremation Ground and Lingayat Samaj Burial Ground" with change in area and boundaries as shown on Plan. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| EP-11 | Site No. 46, Extension to Compost Pit.<br>Site No. 47, Compost Pit. | Site Nos. 46 and 47 be clubbed together and redesignated for "Solid Waste Management Project" with change in area due to proposed 6 mtrs. along Fort wall (proposed as per Modification No. M-62) and due to change in boundaries of "Site No. 45, Lingayat Samaj Burial Ground." | Site Nos. 46 and 47 are proposed to be clubbed together and redesignated for "Solid Waste Management Project" with change in area due to proposed 6 mtrs. along Fort wall (proposed as per Modification No. M-62) and due to change in boundaries of "Site No. 45, Lingayat Samaj Burial Ground." | EP-11<br>Site Nos. 46 and 47 are clubbed together and redesignated for "Solid Waste Management Project" with change in area due to 6 mtrs. wide Road along Fort wall (sanctioned as per Modification No. M-62) and due to change in boundaries of "Site No. 45, Lingayat Samaj Burial Ground." |
| EP-12 | CTS No. 450 (R. S. No. 49) (p).<br>Residential Zone. | M-63<br>New Reservation "Site No. 51-A, Parking" is proposed on CTS No. 450 (R. S. No. 49) (p), as shown on plan. | New Reservation "Site No. 51-A Parking" is proposed on CTS No. 450 (R. S. No. 49(pt.) as shown on plan. | EP-12<br>New Site No. 51-A "Parking" is sanctioned on the land bearing CTS No. 450 (R. S. No. 49/pt) as shown on Plan. |
| EP-13 | Site No. 18 (Parking) Site No. 19 (Playground). | M-67<br>Site Nos. 18 and 19 both are redesignated and interchanged as "Site No. 18 (Playground) and "Site No. 19 (Parking)". | Site Nos. 18 and 19 both are proposed to be redesignated and interchanged as "Site No. 18 (Playground)" and "Site No. 19 (Parking)". | EP-13<br>(A) Designation of Site No. 18 is changed as "Playground" as shown on Plan.<br>(B) Designation of Site No. 19 is changed as "Parking" as shown on Plan. |
| EP-14 | Site No. 22, Municipal Rest House. | M-68<br>Site No. 22 be redesignated for "Municipal Staff Quarters". | S. No. 22 is proposed to be redesignated for "Government and Municipal Staff Quarters" for which Appropriate Authority shall be "P.W.D./ Municipal Council". | EP-14<br>Designation of Site No. 22 is changed as "Municipal Staff Quarters" as shown on Plan for which Appropriate Authority is sanctioned as "Municipal Council". |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| EP-15 | MTDC land in CTS No. 500/R. S. No. 113 "Residential Zone". | M-69<br>Part land on the South side along 12 mtrs. wide road is proposed to be reserved for Municipal Commercial Complex (Site No. 28-A). | Part land on the South side along 12 mtrs. wide road is proposed to be reserved as Site No. 28-A "Tourist Amenity Centre" for which appropriate Authority shall be "Municipal Council/ MTDC". | EP-15<br>Part portion of the land of Holiday Home Premises (situated towards Southern Side) which is parallel to the 12 mtrs. wide D. P. Road is reserved for Site No. 28-A-"Tourist Amenity Centre" as shown on Plan and Appropriate Authority is MTDC. |
| EP-16 | Land from CTS Nos. 655, 651 and 635 shown for Tabak Udyan and Forest Park Zone. | M-70<br>Part of land from CTS No. 655, 651, and 635 is proposed for Bajiprabhu Picnic Point. | M-70-Part of land from CTS Nos. 655, 651 and 635 is proposed to be designated for "Picnic Point". | EP-16<br>Part portion of the land bearing CTS Nos. 655, 651 and 635 is reserved for New Site No. 11-A "Picnic Point." |
| EP-17 | Holiday Home near Government Rest house (Residential Zone). | M-72<br>Nortnern portion of land of Holiday Home Premises is proposed for "Hawkers Zone as Site No. 13-A". | Northern portion of land of Holiday Home Premises is proposed to be reserved for "Parking" as Site No. 13-A as shown on plan. | EP-17<br>Northern portion of the land of Holiday Home Premises is reserved for Site No. 13-A-"Parking" as shown on Plan. |
| EP-18 | CTS No. 540, Residential Zone. | M-75<br>Part of land from CTS No. 540 be reserved for new reservation "Parking" as Site No. 25-A. | Part of land from CTS No. 540 is proposed to be reserved for new reservation "Parking" as Site No. 25-A. | EP-18<br>Sanction is refused to E. P. No. 18. Site No. 25-A is deleted and area thereunder is included in the "Residential Zone" as per the Plan published under Section 26 as shown on Plan. |
| EP-19 | CTS Nos. 421, 422 Forest Park Zone. | M-78 CTS Nos. 421, 422 be reserved for "Veer Shiva Kashid Statue and Park (Site No. 50-A)". | CTS Nos. 421, 422 is proposed to be reserved as "Park" as site No. 50-A | EP-19<br>Land bearing CTS Nos. 421 and 422 is reserved for the Site No. 50-A- "Park" as shown on Plan. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| EP-20 | R. S. No. 83-B Forest Park Zone. | M-80 Part of land from R. S. No. 83-B be deleted from Forest Park Zone and reserved for new Site No. 2-A for "Amusement Park". | R. S. No. 83-B is proposed to be included in No Development Zone. | EP-20<br>Part portion of land bearing R. S. No. 83-B is deleted from Forest Park Zone and reserved for new Site No. 2-A "Amusement Park". |
| EP-21 | R. S. No. 83-B/2, Forest Park Zone. | M-81<br>Part of land from R. S. No. 83/B/2-A be deleted from Forest Park Zone and reserved for new "Warana Udyog and Educational Complex" as Site No. 2-B. | R. S. No. 83/B-2 is proposed to be included in "Green Zone" as shown on plan. | EP-21<br>Built-up portion (Area occupied by Existing Chawls) of the land bearing R. S. No. 83-B/2 is deleted from "Green Zone" and included in the "Residential Zone" and remaining area of the land bearing R. S. No. 83-B/2 is retained as "Green Zone" as shown on Plan. |
| EP-22 | Site No. 31, Parking | M-82<br>Western portion of Site No. 31 be reserved for "Hawkers Zone" as Site No. 31-A. | Western portion of Site No. 31 is proposed to be reserved for "Hawkers Zone" as Site No. 31-A. | EP-22<br>Western portion of Site No. 31 is deleted from the said reservation and redesignated for Site No. 31-A "Hawkers Zone" and remaining area of the Site No. 31 is retained as "Parking" as shown on Plan. |
| EP-23 | CTS No. 494, Residential Zone. | M-83-CTS No. 494 be reserved for new reservation of "Public Latrine for Tourists" as Site No. 32-A. | CTS No. 494 is proposed to be reserved for new reservation of "Pay and Use Public Toilet". Site No. 5 "Parking, Sanitary Block and Hawkers Zone" is proposed to be redesignated as "Parking Pay and use Public Toilet and Hawkers Zone". | EP-23<br>(A) Land bearing CTS No. 494 is reserved for New Site No. 59-"Pay and Use Public Toilet" as shown on Plan.<br>(B) Designation of Site No. 5 is changed as "Parking Pay and Use Public Toilet and Hawkers Zone" as shown on Plan. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| EP-24 | Site No. 13, Government Administrative Central Building. | M-87<br>Western part of the land under reservation (about 860 sq. mtrs.) along North-South 9 mtrs. road is deleted from the reservation and included in Residential Zone, as shown on plan. | Site No. 13, "Government Administrative Central Building" is proposed to be deleted and land so released is proposed to be included in residential zone for privately owned lands and in Public Semipublic zone for Government owned land respectively more specifically shown on plan. | EP-24<br>(A) Part portion of the land which is privately Owned, is deleted from Site No. 13-"Government Administrative Central Building" and included in the "Residential Zone" as shown on Plan.<br>B) Remaining lands Owned by the State Government are deleted from Site No. 13 and included in the "Public-Semi Zone" as shown on Plan. |
| EP-25 | Site No. 14, Hawkers Zone and Sanitary Blocks. | M-88<br>The site be rearranged and redesignated for Site No. 14-A-Hawkers Zone (about 840 sq. mtrs.) as shown on plan, Site No. 14-Sanitary Block (about 230 sq. mtrs.) Site No. 14-B Open Space (about 3168 sq. mtrs.) | Site No. 14 is proposed to be reinstated as per plan published under Section 26 and proposed to be redesignated as "Garden and Pay and Use Public Toilet" as shown on plan. | EP-25<br>Site No. 14 is retained as per the Plan published under Section 26 and redesinated as "Garden and Pay and Use Public Toilet" as shown on Plan. |
| EP-26 | Site No. 43, Garden | M-89<br>Out of the total area under Garden reservation as per modification Nos. M-55, 56 about 200 sq. mtrs. area be newly reserved as Site No. 43-A "Weste Water Treatment Plant No. 1" as shown on Plan. | Out of the total area under Garden reservation as per modification Nos. M-55, 56, about 200 sq. mtrs. area is proposed to be newly reserved as Site No. 43-A-"Waste Water Treatment Plant No. 1" as shown on plan. | EP-26<br>(A) Part portion admeasuring about 200 sq. mtrs. from Site No. 43– "Garden" is redesignated for Site No. 43-A "Waste Water Treatment Plant No. 1" as shown on Plan.<br>B) Remaining area of the said reservation is retained as Site No. 43 "Garden" as shown on Plan. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| EP-27 | CTS No. 468, Residential Zone. | M-90<br>The area about 775 sq. mtrs. from CTS 468 is newly reserved as Site No. 33-A "Waste Water Treatment Plant No. 2 (W. W. T. P-2)" | The area about 775 sq. mtrs. from CTS No. 468 is proposed to be newly reserved as Site No. 33-A, "Waste Water Treatment Plant No. 2 (WWTP-2)". | EP-27<br>Land bearing CTS 468, area admeasuring about 775 sq. mtrs. is reserved for Site No. 33-A "Waste Water Treatment Plant No. 2 (WWTP-2)" as shown on Plan. |
| EP-28 | CTS 459, Public/Semi-Public Zone. | M-91<br>The area about 200 sq. mtrs. from CTS 459 is newly reserved as Site No. 50-B, "Waste Water Treatment Plant No. 3 (W. W. T. P-3)". | The area about 200 sq. mtrs. from CTS 459 is proposed to be newly reserved as Site No. 50-B, "Waste Water Treatment Plant No. 3 (WWTP-3)" | EP-28<br>Land bearing CTS 459, area admeasuring about 200 sq. mtrs. is resered for Site No. 50-B "Waste Water Treatment Plant No. 3 (WWTP-3)' as shown on Plan. |
| EP-29 | 6 mtrs. wide East-West approach road proposed through CTS No. 383 as shown as plan. | M-29<br>6 mtrs. wide East-West approach road proposed through CTS No. 383 be proposed to be shifted towards South side, such that it would affect the land of equal width from both the land owners. | 6 mtrs. wide East-West approach road proposed through CTS No. 383 is proposed to be shifted towards South side, so that it would affect the land of equal width from both the land owners. | EP-29<br>6 mtrs. wide East-West approach road, passing through the land bearing CTS No. 383 is shifted towards Southern side, in such way that it would affect the land of equal width from both the land owners as shown on plan. |
| EP-30 | Proposed 9 mtrs. wide road from Municipal Office to Bhu-Vikas Bank. | M-44<br>The widening of proposed 9 mtrs. road shown in CTS Nos. 26 to 31 be shown on both sides as per requirement, as shown on plan. | The widening of proposed 9 mtr. road shown in CTS Nos. 26 to 31 is proposed to be shown on both sides as per requirement, as shown on plan. | EP-30<br>The widening of 9 mtrs. wide D. P. road passing through the land bearing CTS Nos. 26 to 31 is shown on both the sides of the said road as per the requirements, as shown on plan. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| EP-31 | Site No. 7 "Playground" CTS Nos. 639 and 640. | Site No. "Playground" | The Northern portion of site No. 7, admeasuring width of about 40 mtrs. is proposed to be retained for Playground and the remaining area of reservation form CTS Nos. 639 and 640 is proposed to be deleted and included in Residential Zone, as shown on plan. | EP-31<br>A) The part of land bearing CTS No. 639 is deleted from Site No. 7 and including in the "Residential Zone", as shown on plan, and remaining area i. e. CTS No. 640 is reinstated as Playground as per the plan published under Section 26. |
| EP-32 | The existing main road from Bajiprabhu Statue to Old Z. P. Hospital to Police Station is widened to 9 mtrs. | M-52<br>The widening to the road, from Bajiprabhu Statue to Old Z. P. Hospital to Police Station, at required location be proposed as per requirement, as shown on plan. | The widening to the road, from Bajiprabhu Statue to Old Z. P. Hospital to Police Station as required locations is proposed as per requirement, as shown on plan. | EP-32<br>D. P. Road between Bajiprabhu Statue to old Z.P. Hospital to Police Station, at required locations is widened as per the requirements, as shown on plan. |
| EP-33 | Land adjoining to Fort Wall shown in different land users and reservations. | M-62<br>6 mtrs. wide road is proposed along the Fort Wall as shown on the plan. | 6 mtrs. wide new road is proposed along the Fort Wall as shown on the plan. Different land users and area and shape of affected reservations are proposed to be changed accordingly. | EP-33<br>A 6 mtrs. wide new D. P. road is sanctioned along the Fort Wall. Because of this New Road alignment, area, shape and boundary of adjoining land uses and reservations are changed accordingly, as shown on plan. |
| EP-34 | North-South existing road between CTS Nos. 327, 328, 329 and 333, 334, 335. | M-76<br>North-South existing road is shown as 6 mtrs. wide D. P. road between CTS Nos. 327, 328, 329 and 333, 334, 335. | North-South existing road is proposed to be shown as 6 mtrs. wide D. P. road between CTS Nos. 327, 328, 329 and 333, 334, 335. | EP-34<br>Sanction is refused to E. P. No. 34, Alignment of North-South Existing Road is reinstated as per the plan published under Section 26. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| EP-35 | CTS No. 569, Public and Semi-Public Zone. | M-4<br>The land under CTS No. 569 be deleted from Public and Semi Public Zone and included in Residential Zone. | The land under CTS No. 569 is proposed to be deleted from public and Semi-Public Zone and included in Residential Zone. | EP-35<br>The land bearing CTS No. 569 is deleted from "Public and Semi-Public Zone" and area there-under is included in "Residential Zone." |
| EP-36 | CTS No. 80 (S. No. 18/8) Forest Park Zone. | M-13<br>Land from CTS No. 80 excluding land under 6 mtrs. wide road (proposed as per modification No. M-62) be included in Residential Zone. | The proposed Forest Park Zone is reinstated. All lands under "Forest Park Zone" are proposed to be redesignated as "Green Zone" excluding the lands under 6 mtrs. wide proposed road as per the modification No. M-62. | EP-36<br>The designation of "Forest Park Zone" of the land bearing CTS No. 80 (S. No. 18/8) is changed as "Green Zone", excluding the lands under 6 mtrs. wide D. P. road (as per the modification No. M-62) as shown on plan. |
| EP-37 | S. No. 54-Forest Park Zone. | M-21-Land from S. No. 54 excluding 6 mtrs. wide road (proposed as per modification No. M-62) be deleted from Forest Park Zone and included in No Development Zone. | The proposed Forest Park Zone is reinstated. All lands under "Forest Park Zone" are proposed to be redesignated as "Garden Zone" excluding the lands under 6 mtrs. wide proposed road as per the modification No. M-62. | EP-37<br>The designation of "Forest Park Zone"and bearing S. No. 54 is changed as "Green Zone" excluding the land under 6 mtrs. wide D. P. road (as per the modification No. M-62) as shown on plan. |
| EP-38 | CTS No. 445 R. S. S. No. 54/1, Forest Park Zone. | M-27<br>Land out of S. No. 54/1 (CTS No. 445) proposed to be deleted from forest park zone and included in Residential Zone. | The proposed Forest Park Zone is reinstated. All lands under "Forest Park Zone" are proposed to be redesignated as "Green Zone", excluding the lands under 6 mtrs. wide proposed road as per the modification No. M-62. | EP-38<br>The designation of "Forest Park Zone" of the land bearing CTS No. 445 (R. S. S. No. 54/1) is changed as "Green Zone" excluding the lands under 6 mtrs. wide D. P. road as per the modification No. M-62 as shown on plan. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| EP-39 | S. No. 18/1, Forest Park Zone. | M-39<br>Land from R. S. No. 18/1 excluding proposed 6 mtrs. wide road (proposed as per modification No. M-62) be deleted from Forest Park Zone and land thereunder included in Residential Zone. | The proposed Forest Park Zone is reinstated. All lands under "Forest Park Zone" are proposed to be redesignated as "Green Zone" excluding the lands under 6 mtrs. wide proposed road as per the modification No. M-62. | EP-39<br>The designation of "Forest Park Zone" of the land bearing S. No. 18/1 is changed as "Green Zone", excluding the lands under 6 mtrs. wide D. P. road as per the modification No. M-62 as shown on plan. |
| EP-40 | CTS No. 79 Forest Park Zone. | M-41<br>Land from CTS No. 79 excluding the proposed 6 mtrs. wide road (proposed as per modification No.-M-62) is deleted from Forest Park Zone and land there under included in Residential Zone. | The proposed Forest Park Zone is reinstated. All lands under "Forest Park Zone" are proposed to be redesignated as "Green Zone" excluding the lands under 6 mtrs. wide proposed road as per the modification No. M-62. | EP-40<br>The designation of "forest Park Zone" of the land bearing CTS No. 79 is changed as "Green Zone", excluding the lands under 6 mtrs. wide D. P. road (as per the modification No. M-62) as shown on plan. |
| EP-41 | CTS Nos. 66, 67, 68, Forest Park Zone. | M-42<br>Land from CTS Nos. 66, 67, 68 excluding 6 mtrs. wide road (proposed as per modification No. M-62) is deleted from Forest Park Zone and land thereunder is included in Residential Zone. | The proposed Forest Park Zone is reinstated. All lands under "Forest Park Zone" are proposed to be redesignated as "Green Zone", excluding the lands under 6 mtrs. wide proposed road as per the modification No. M-62. | EP-41<br>The designation of Forest Park Zone of the lands bearing CTS Nos. 66, 67, 68 is changed as "Green Zone", excluding the lands under 6 mtrs. wide D. P. road (as per the Modification No. M-62) as shown on plan. |
| EP-42 | CTS No. 65-Forest Park Zone. | M-43<br>Land from CTS No. 65 is deleted from Forest Park Zone and land thereunder is included in Residential Zone. | The proposed Forest Park Zone is reinstated. All lands under "Forest Park Zone" are proposed to be redesignated as "Green Zone", excluding the lands under 6 mtrs. wide proposed road as per the modification No. M-62. | EP-42<br>The designation of "Forest Park Zone" of the land bearing CTS No. 65 is changed as "Green Zone", excluding the land under 6 mtrs. wide D. P. road (as per the Modification No. M-62) as shown on plan. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| EP-43 | CTS No. 634 (R. S. No. 109) Forest Park Zone. | M-30<br>Part of the land from CTS No. 634 (RS No. 109) be deleted from Forest Park Zone and included in Residential Zone. | The area falling within a distance of 100 mtrs. from the fort wall is proposed to be reinstated as per the zoning as per plan published under Section 26 and proposed to be redesignated as "Green Zone". However, the area falling outside 100 mtrs. is proposed to be included in Residential Zone as shown on plan. | EP-43<br>A) Zoning of the part portion of the land bearing CTS No. 634 (RS No. 109) which is falling within a distance of 100 mtrs. from the Fort Wall is changed and redesignated as "Green Zone" as shown on plan.<br>B) Remaining portion of the land bearing CTS No. 634 (RS No. 109), falling outside 100 mtrs. from the Fort Wall is included in the "Residential Zone" as shown on plan. |
| EP-44 | R. S. No. 53/CTS No. 441-Forest Park Zone, part Residential Zone and road widening. | M-40<br>Land from R. S. No. 53 (CTS No. 441) excluding the proposed 6 mtrs. wide road (proposed as per modification No. M-62) is deleted from Forest Park Zone and land thereunder is included in Residential Zone. | The proposed Forest Park Zone is reinstated. All lands under "forest Park Zone" are proposed to be redesignated as "Green Zone", excluding the lands under 6 mtrs. wide proposed road as per the modification No. M-62. | EP-44<br>The designation of "Forest Park Zone" of the land bearing R. S. No. 53 (CTS No. 441) is changed as "Green Zone", excluding the lands under 6 mtrs. wide D. P. road (as per the Modification No. M-62) as shown on plan. |
| EP-45 | CTS No. 499 (R. S. No. 82) Forest Park Zone. | M-64<br>Existing use of Public Latrine is shown as Public/Semi-Public Zone. | The land of CTS No. 499 is proposed to be included in "Green Zone" as shown on plan. | EP-45<br>The land bearing CTS No. 499 (R. S. No. 82) is included in the "Public/Semi-Public Zone" as shown on plan. |
| EP-46 | CTS Nos. 633, 634, 642, 643, 644, 645, etc. shown in Residential Zone. | M-66<br>Vacant lands excluding existing bungalow building be proposed for Forest Park Zone as shown on plan. | The lands falling within the 100 mtrs. restricted line are proposed to be included in "Green Zone" and lands falling outside the 100 mtrs. line are | EP-46<br>The land falling within the 100 mtrs. restricted line are included in "Green Zone" and zoning of the |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | proposed to be included in the zones as per plan published under Section 26.<br><br>However, the repair and reconstruction of the existing authorized buildings, which are already existing, in the Green Zone shall be allowed with the prior approval of Department of Archeological Survey of India and subject to the extent of the existing ground coverage and built up area. | lands falling outside the 100 mtrs. line is shown as per the plan published under Section 26.<br><br>However, the repair and reconstruction of the existing authorized buildings, which are already existing in the Green Zone shall be allowed with the prior approval of Department of Archeological Survey of India and subject to the extent of the existing ground coverage and existing built up area. |
| EP-47 | DCR | M-92<br><br>In view of the topography of the town, the height of the building shall be GF+1 only. Stilt floor may be permissible whenever required for the purpose of parking only. Basement may be permitted as per requirement. The outside elevation/facade of the new buildings shall be in consonance to that of heritage value of the fort. | In view of the topography of the town, the height of the building is proposed to be maximum up to Stilt+GF+1 only. Stilt floor is proposed to be permissible for the purpose of parking only.<br><br>The design guidelines or regulations to control the outside elevation or facade of the new buildings are proposed to be incorporated in the Development Control Regulation. | EP-47<br><br>(A) In view of the Topography of the Panhala Town, the height of the building is restricted up to maximum Stilt+GF+1 floor only. Stilt floor is permissible for the purpose of parking only.<br><br>(B) The Design Guidelines or Regulations to control the outside Elevation or Facade of the new buildings are incorporated in the Development Control Regulations. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| EP-48 | CTS Nos. 625 and 627 "Forest Part Zone". | CTS Nos. 625 and 627 "Forest Part Zone". | The area falling outside the 100 mtrs. restricted line, from CTS Nos. 625 and 627 is proposed to be deleted from Forest Park Zone and included in "Afforestation Zone" as shown on plan.<br>New 9 mtrs. wide Development Plan Road is proposed as shown on plan. | EP-48<br>(A) The area of lands bearing CTS Nos. 625 and 627, which are falling outside the 100 mtrs. restricted line, from the Fort, is deleted from Forest Park Zone and included in "Afforestation Zone" as shown on plan.<br>(B) A New 9 mtrs. wide Development Plan Road is sanctioned as shown on Plan. |
| EP-49 | Regulation No. 9.4-Any one aggrieved by an order passed under bye-laws No. 9.3 may within thirty days of the date of communication of the order appeal to the Divisional Deputy Director of Town Planning for the zone and his decision shall be final. The appeal shall be cleared within sixty (60) days. | Regulation No. 9.4-<br>Any one aggrieved by an order passed under bye-laws No. 9.3 may within thirty days of the date of communication of the order appeal to the Divisional Deputy Director of Town Planning for the zone and his decision shall be final. The appeal shall be cleared within sixty (60) days. | This provision under Regulation No. 9.4 is proposed to be deleted. | EP-49<br>This provision under Regulation No. 9.4 is deleted. |
| EP-50 | Regulation No. 17.1.2<br>1) Regional office of Archaeological Department under letter No. 16/225/85/M/134<br>dated 27th April 1995 has communicated to | Regulation No. 17.1.2<br>1) Regional Office of Archaeological Department under letter No. 16/225/85/m/134, dated 27th April 1995 has communicated to the Municipal Council, Panhala that no construction would be permitted within a distance | This provision proposed to be sanctioned subject to changes in Regulation No. 17.1.2(III) as follows -<br>17.1.2(III). It is also communicated that the area between 100 mtrs. and further up to 300 mtrs. from the protected monuments is declared as "Restricted | EP-50<br>The Regulation No. 17.1.2 is sanctioned subject to the changes in Regulation No. 17.1.2(III) as follows-<br>17.1.2(III)-It is also communicated that the area |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | Municipal Council Panhala that no construction would be permitted within a distance 300 meters from the fort wall.<br><br>II) Sup. Archaeologist of Archaeological Department under their letter No. 1276 dated 27th August 2007 has also communicated that seven monuments of Panhala are declared as centrally protected monuments which are as below :–<br><br>(i) Andhar Bav<br><br>(ii) Dharma Kothi<br><br>(iii) Naikinicha Sajja<br><br>(iv) Tatabandi together with bastions<br><br>(v) Teen Darwaja<br><br>(vi) Wagh Darwaja<br><br>(vii) Ambarkhana<br><br>It is further stated that as per the gazette notification issued in the year 1992 under the Ancient Monument Archaeological sites and | 300 meters from the fort wall.<br><br>II) Sup. Archaeologist of Archaeological Department under their letter no. 1276, dated 27th August 2007 has also communicated that seven mounments of Panhala are declared as centrally protected monuments which are as below :–<br><br>(i) Andhar Bav<br><br>(ii) Dharma Kothi<br><br>(iii) Naikinicha Sajja<br><br>(iv) Tatabandi together with bastions<br><br>(v) Teen Darwaja<br><br>(vi) Wagh Darwaja<br><br>(vii) Ambarkhana. It is further stated that as per the gazette notification issued in the year 1992 under the Ancient Monument Archaeological sites and Remains Act 1958, areas up to 100 meters from the protected monument are declared as protected prohibited area. Accordingly no construction/mining activities are permitted within this zone. Only repairs to existing structures are permitted. Obtaining prior NOC of Archaeological Department.<br><br>III) It is also communicated that the area between 100 meters and further Up to 300 meter from the protected monuments is declared as "Restricted | Area" where construction is permitted upto 5 mtrs. height subject to certain conditions laid down in the guidelines prepared by expert group. | between 100 mtrs. and further up to 300 mtrs. from the protected mounments is declared as "Restricted Area" where construction is permitted up to 5 mtrs. height subject to certain conditions laid down in the guidelines prepared by expert group. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | Remains Act 1958, areas up to 100 meters from the protected monument are declared as protected prohibited area. Accordingly no construction/mining activities are permitted within this zone. Only repairs to existing structures are permitted. Obtaining prior NOC of Archaeological Department.<br><br>(III) It is also communicated that the area between 100 meters and further up to 300 meters from the protected monuments is declared as "Restricted Area" where construction is permitted from 15 mtrs. To 30 mtrs. height subject to certain conditions laid down in the guidelines prepared by expert group.<br><br>IV) The restrictions on development as per the above directives shall be applicable for building activities and development work. | Area" where construction is permitted from 15 mtrs. To 30 mtrs. height subject to certain conditions laid down in the guidelines prepared by expert group.<br><br>IV) The restrictions on development as per the above directives shall be applicable for building activities and development work. | | |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| EP-51 | -- | Rule No. 20.3.1 Following new foot note be added below table no. 1-A and 1-B.<br><br>Note-5 :-Government in Urban Development Department sanctioned modification *vide* No. TPS-2108/959/ CR1204/08/UD-13, dated 27th February 2009 and TPS-2107/1413/ CR 809/07/UD-13, dated 21 May 2010 laid down the guidelines for controlling the F. S. I. *viz* (1) The construction and height of the structure should be as per NOC of the Archeological Department subject to limit of maximum 0.5 FSI. (2) The distance to be left from Tatbandi Archeological monuments to be marked on plan shall be obtained from Archeological Department (3) The NOC for carrying out every repairs/additions or new construction will be required every time from the Archeological Dept. | (i) Note No. 5 is proposed to be deleted.<br><br>(ii) Following FSI norms are proposed for Residential Zone in Panhala Development Plan.<br><br>(a) Congested area<br><br>Residential zone = 1.50<br><br>Mix user = 1.50 + 0.50<br><br>(b) Outside Congested area = F. S. I. 1.00 | EP-51<br><br>(i) Proposed New Foot Note No. 5 is deleted<br><br>(ii) Following FSI norms are sanctioned for the "Residential Zone" in Panhala Development Plan.<br><br>(a) Congested area<br><br>i) Residential zone - F. S. I. 1.50<br><br>ii) Mix user - F. S. I. 50 + 0.50<br><br>(b) Outside Congested area - F. S. I. - 1.00 |
| EP-52 | G-6 FOREST PARK ZONE-<br><br>G-6.1<br><br>The following work shall be permitted in the FOREST PARK ZONE:-<br><br>1) Any use or development of land connected with the carrying out of agricultural and allied | G-6 FOREST PARK ZONE-<br><br>G-6. 1<br><br>The following work shall be permitted in the FOREST PARK ZONE :-<br><br>1) Any use or development of land connected with the carrying out of agricultural and allied operations including horticulture, agricultural research and agricultural education.<br><br>2) Nurseries | The Forest Park Zone is proposed to be redesignated as Green Zone.<br><br>The following users shall be permitted in this ZONE :–<br><br>1) Any use or development of land connected with the carrying out of agricultural and allied operations including horticulture, agricultural research and agricultural education.<br><br>2) Nurseries | EP-52<br><br>The "Forest Park Zone" is redesignated as Green Zone as shown on plan.<br><br>The following users shall be permitted in this ZONE :-<br><br>1) Any use or development of land connected with the carrying out of agricultural and allied operations including horticulture, |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | operations including horticulture, agricultural research and agricultural education.<br>2) Nurseries<br>3) Forestry<br>4) Public parks, private parks, playgrounds, summer camps and camping ground organized by recognized agencies.<br>5) Construction of building including quarters of essential staff for public utility concerns such as electric sub-stations, receiving stations, chilling plants, water works, sewage disposal works. With necessary N. O. C. from Appropriate Authority.<br>6) Condition(s) as specified by Chief Officer, Municipal Council would be fulfilled. | 3) Forestry<br>4) Public parks, private parks, playgrounds, summer camps and camping ground organized by recognized agencies.<br>5) Construction of buildings including quarters of essential staff for public utility concerns such as electric sub-stations, receiving stations, chilling plants, water works, sewage disposal works. With necessary N. O. C. from Appropriate<br>6) Condition(s) as specified by Chief Officer, Municipal Council would be fulfilled. | 3) Forestry<br>4) Public parks, private parks, playgrounds, summer camps and camping ground organized by recognized agencies.<br>5) Construction of buildings including quarters of essential staff for public utility concerns such as electric sub-stations, receiving stations, chilling plants, water works, sewage disposal works, with necessary N.O.C. from competent Authority.<br>6) Condition(s) as specified by Chief Officer, Municipal Council would be fulfilled.<br>7) Repair, maintenance and or reconstruction of the existing authorised buildings constructed prior to the area getting allocated to Green Zone, provided that in case of reconstruction, such reconstruction shall be permitted to the maximum extent of existing authorised Plinth Area and the existing Total Built up Area, subject to the prior approval of the Competent Authority i. e. Archeological Survey of India, if necessary. | agricultural research and agricultural education.<br>2) Nurseries<br>3) Forestry<br>4) Public parks, private parks, playgrounds, summer camps and camping ground organized by recognized agencies.<br>5) Construction of buildings including quarters of essential staff for public utility concerns such as electric sub-stations, receiving stations, chilling plants, water works, sewage disposal works with necessary N. O. C. from competent Authority.<br>6) Condition(s) as specified by Chief Officer, Municipal Council would be fulfilled.<br>7) Repair, maintenance and or reconstruction of the existing authorised buildings constructed prior to the area getting allocated to Green Zone, provided that in case of reconstruction, such reconstruction shall be permitted to the maximum extent of existing autorised Plinth Area and the existing total built up area, subject to the prior approval of the Competent Authority *i. e.* Archeological Survey of India, if necessary. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| EP-53 | APPENDIX-P<br><br>Special Reservations and provisions for construction in new sites.<br><br>1) There is a proposal of 'Ropeway' connecting Pavanged to Jotiba Hill. Accordingly a new Site No. 55 for "Ropeway Point" has been proposed in the Draft Development Plan.<br><br>An existing road of 10 ft. to 12 ft. width leading from Lata Mangeshkar bungalow to Ropeway point is required to be restricted from traffic point of view and accordingly the width of existing road is proposed to be widened up to 7.5 mtrs. only. This will help in protecting the trees along this road and minimising the four wheeler vehicular traffic. Thus protecting the overall environment of this area. Therefore, a new site No. 51, "Parking and Eco-Friendly Vehicle Stop" has been proposed in the Draft Development Plan. | APPENDIX-P<br><br>Special Reservations and provisions for construction in new sites.<br><br>1) There is a proposal of 'Ropeway' connecting Pavanged to Jotiba Hill. Accordingly a new Site No. 55 for "Ropeway Point" has been proposed in the Draft Development Plan.<br><br>An existing road of 10 ft. to 12 ft. width leading from Lata Mangeshkar bungalow to Ropeway point is required to be restricted from traffic point of view and accordingly the width of existing road is proposed to be widened upto 7.5 mtrs. only. This will help in protecting the trees along this road and minimising the four wheeler vehicular trafic. Thus protecting the overall environment of this area. Therefore, a new Site No. 51, "Parking and Eco-Friendly Vehicle Stop" has been proposed in the Draft Development Plan.<br><br>Considering the above planning situation, Panhala Municipal Council has suggested to regulate the traffic in between the aforesaid points by using non polluting vehicles and to protect the environment either on its own resources or on private contract basis. Site No. 51, near Lata Mangeshkar bungalow, for Parking and Eco-Friendly vehicle Stop is | This provision is proposed to be sanctioned with changes at Sr. No. 5 as follows :<br><br>5) The erection or construction of Rain-gauge Station may be permitted on any reservation of open nature, provided that built up area of such erection or construction does not exceed 10 per cent of the reservation area, with maximum G+1 structure, and further that it shall be constructed in one corner of such reservation, so as not to hinder the functioning of the principal user of such reservation. | EP-53<br><br>The provision regarding Special Reservations and Provisions for Constructions In New Sites.<br><br>(APPENDIX-P) is sanctioned with addition of Sr. No. 6 as follows–<br><br>6) The erection or construction of Rain-gauge station may be permitted on any reservation of open nature, provided that built up area of such erection or construction does not exceed 10 per cent of the reservation area, with maximum G+1 structure, and further that it shall be constructed in one corner of such reservation, so as not to hinder the functioning of the principal user of such reservation. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | Considering the above planning situation, Panhala Municipal Council has suggested to regulate the traffic in between the aforesaid points by using non polluting vehicles and to protect the environment either on its own resources or on private contract basis. Site No. 51 near Lata Mangeshkar bungalow, for Parking and Eco-Friendly vehicle stop is proposed mainly as stand, parking for non polluting eco-friendly vehicle proposed to be operative in Pavangad area.<br><br>2) Tent or temporary shed type constructions shall be allowed in Site No. 53, "Tourist Camping Ground" and it shall be used by registered Institutions relating to tracking/tourism camps.<br><br>3) Site No. 54, "Tourist Facility and Historical Theme Park" shall be developed by allowing only ground floor | proposed mainly as stand, parking for non polluting eco-friendly vehicles proposed to be operative in Pavangad area.<br><br>2) Tent or temporary shed type constructions shall be allowed in Site No. 53, "Tourist Camping Ground", and it shall be used by registered institutions relating to tracking/tourism camps.<br><br>3) Site No. 54, "Tourist Facility and Historical Theme Park" shall be developed by allowing only ground floor constructions at 2 per cent of the total area and be used for providing essential services to the tourists. There may be activities, development related to information about historical development of Panhala, etc.<br><br>4) Public toilets are permitted in any zone shown on the Development Plan (in private lands with the consent of the land owners)<br><br>5) Government in Urban Dept.. Resolution No. TPS-2108/959/CR 1204/08/UD-13, dated 27th February 2009 allowed residential use on the condition of built up area to maximum extent of 0.5 F. S. I. and height of building as per Archeological directives in Survey No. 108/2 of Panhala | | |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | constructions at 2 per cent of the total area and be used for providing essential services to the tourists. There may be activities, development related to information about historical development of Panhala, etc.<br><br>4) Public toilets are permitted in any zone shown on the Development Plan (in private lands with the consent of the land owners)<br><br>5) Government in Urban Dept.. Resolution No. TPS-2108/959/CR-1204/ 08/UD-13, dated 27th February 2009 allowed residential use on the condition of built up area to maximum extent of 0.5 F. S. I. and height of building as per Archeological directives in Survey No. 108/2 of Panhala. | | | |
| EP-54 | APPENDIX–R<br><br>Special requirements for assessing levying and | APPENDIX–R<br><br>Special requirements for assessing levying and recovery of Development | Appendix R is proposed to be deleted. | EP-54<br><br>Appendix R is deleted |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | recovery of Development Charge Exemption under Section 124 (F) of MR and TP Act, 1966 | charge Exemption under Section 124 (F) of MR and TP Act, 1966 APPENDIX–R | | |
| EP-55 | — | — | The following new provision is proposed to be included G-9<br>Afforestation Zone :–<br>1) Layout or sub-division of lands for residential purpose only, shall be permissible in this zone. However Minimum plot size shall not be less than 1000 sq. mtrs. and maximum width of internal road in layout shall not be more than 9 mtrs. Recreational open space not less than 10 per cent of the total area under layout shall be kept as prescribed in these regulations.<br>2) Construction of residential building in Afforestation Zone shall be permissible subject to the following :–<br>a) Ground coverage and total permissible built up area shall not be more than 10 per cent of the net plot area.<br>b) Only ground floor structure with sloping roof and maximum height of 5.00 mtrs. to be measured from the average ground level, shall be permissible.<br>c) The material to be used for construction of building shall be such | EP-55<br>The following new provision is included in Development Control Regulations.<br>Regulation No. G-9 Afforestation Zone:–<br>1) Layout or sub-division of lands for residential purpose only, shall be permissible in this zone. However minimum plot size shall not be less than 1000 sq. mtrs. and maximum width of internal road in layout shall not be more than 9 mtrs. Recreational open space not less than 10 per cent of the total area under layout shall be kept as prescribed in these Regulations.<br>2) Construction of residential building in Afforestation Zone shall be permissible subject to the following:–<br>a) Ground coverage and total permissible built up area shall not be more than 10 per cent of the net plot area.<br>b) Only ground floor structure with sloping roof and maximum |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | as shall blend with the surroundings.<br>d) No construction shall be permissible unless the owner has planted atleast 8 trees per 100 sq. mtrs. of the gross plot area and only after such trees are reared for 1 year. The trees species to be planted shall be local and indigenous, as recommended by the local office of Forest Department of the State Government by general or specific guidelines from time to time or as directed by the Municipal Council.<br>e) Provided further that, no such construction shall be permitted.<br>i) within a distance of 9 meters from the H. F. L./F. S. L. of the lake,<br>ii) on hill slopes steeper than 1:5,<br>iii) in within a distance of 100 mtrs. from the fort wall.<br>f) Arrangements shall have to be made so that disposal of sewage/ drainage from the houses does not in any case pollute the water bodies or soil surrounding. Disposal of such waste water, drainage, sewage shall be made in such a manner as prescribed by the Environment Department or Maharashtra Pollution Control Board, from time to time. | height of 5.00 mtrs. to be measured from the average ground level, shall be permissible.<br>c) The material to be used for construction of building shall be such as shall blend with the surroundings.<br>d) No construction shall be permissible unless the owner has planted atleast 8 tress per 100 sq. m. of the gross plot area and only after such trees are reared for 1 year. The tree species to be planted shall be local and indigenous, as recommended by the local office of Forest Department of the State Government by general or specific guidelines from time to time or as directed by the Municipal Council.<br>e) Provided further that, no such construction shall be permitted.<br>i) within a distance of 9 meters, from the H. F. L./F. S. L. of the lake,<br>ii) on hill slopes steeper than 1:5,<br>iii) within a distance of 100 mtrs. from the fort wall.<br>f) Arrangements shall have to be made so that disposal of sewage/ |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3) Land in the Afforestation Zone may be permitted to be used for agricultural purposes. | drainage from the houses does not in any case pollute the water bodies or soil surrounding. Disposal of such waste water, drainage, sewage shall be made in such a manner as prescribed by the Environment Department or Maharashtra Pollution Control Board, from time to time.<br><br>3) Land in the Afforestation Zone may be permitted to be used for agricultural purposes. |
| EP-56 | | | Following new Regulation No. G-10 is proposed to be newly added. | EP-56<br><br>Following new Regulation No. G-10 is newly added in Development Control Regulations as given below :– |
| | | | ARCHITECTURAL CONTROL<br><br>For the buildings, fronting major roads or streets more than 12 mtrs. in width or in the case, of buildings in the immediate neighborhood of Historical monuments of Panhala wihch are declared as centrally protected monuments *viz.* (i) Andhar Bav (ii) Dharma Kothi (iii) Naikinicha Sajja (iv) Tatabandi together with bastions (v) Teen Darwaja (vi) Wagh Darwaja (vii) Ambarkhana identified by the Archeological Survey of India and or identified by the A. S. I. and or | Regulation No. G-10<br><br>ARCHITECTURAL CONTROL<br><br>For the buildings, fronting major roads or streets more than 12 mtrs. in width or in the case of, buildings in the immediate neighborhood of Historical monuments of Panhala which are declared as centrally protected monuments *viz.* (i) Andhar Bav (ii) Dharma Kothi (iii) Naikinicha Sajja (iv) Tatabandi together with bastions (v) Teen Darwaja |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | Municipal Council, the building plans shall subject to Design Control and Regulation for the Preservation of Existing Townscape Character in Panhala, as prescribed in Appendix - 'U' herewith. | (vi) Wagh Darwaja (vii) Ambarkhana identified by the Archeological Survey of India and or identified by the A. S. I. and or Municipal Council the building plans shall subject to Design Control and Regulation for the Preservation of Existing Townscape Character in Panhala, as prescribed in Appendix- 'U' herewith. |
| | | | **APPENDIX 'U'** | **APPENDIX 'U'** |
| | | | **DESIGN CONTROL AND REGULATION FOR THE PRESERVATION OF EXISTING TOWNSCAPE CHARACTER IN PANHALA.** | **DESIGN CONTROL AND REGULATION FOR THE PRESERVATION OF EXISTING TOWNSCAPE CHARACTER IN PANHALA.** |
| | | | **A. URBAN SCAPE :** | **A. URBAN SCAPE :** |
| | | | 1. Change of existing streets and roads shall not be permitted. | 1. Change of existing streets and roads shall not be permitted. |
| | | | 2. The grain and texture of the urban scape as set in a hilly topography emphasizes significant urban character with typical, views and vistas. Such character shall be maintained and no change to traditional building lines along streets (as open spaces and settings) shall be allowed. | 2. The grain and texture of the Urban Scape as set in a Hilly Topography emphasizes significant urban character with typical, views and vistas. Such character shall be maintained and no change to traditional building lines along streets (as open spaces and settings) shall be allowed. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3. All Green spaces (having forest or vegetation) as gaps between buildings and plots, forecourt greens and open spaces as existing in the prohibited area of 100 mtrs. for the fort wall shall be protected and maintained. | 3. All Green spaces (having forest or vegetation) as gaps between buildings and plots, forecourt greens and open spaces as existing in the prohibited area of 100 mtrs. for the fort wall shall be protected and maintained. |
| | | | 4. Parks and gardens as essential townscape (vastness and valley view) character shall be enhanced while protecting the characteristic street edge, the forecourt open space, the boundary walls, signage, gate posts, plaques, trees and green leafy character etc. | 4. Parks and gardens as essential townscape (vastness and vally view) character shall be enhanced while protecting the characteristic street edge, the forecourt open space, the boundary walls, signage, gate posts, plaques, trees and green leafy character etc. |
| | | | 5. Signage / advertisements on rocks and trees shall be prohibited. | 5. Signage / advertisements on rocks and trees shall be prohibited. |
| | | | **B. ADDITIONAL, ALTERATIONS AND EXTENSIONS TO BUILDING :** | **B. ADDITIONAL, ALTERATIONS AND EXTENSIONS TO BUILDING :** |
| | | | 1. Additions, alterations and extensions to buildings shall aim at preservation and/or enhancement to the character and appearance of the area and shall not deter in any way from the original set-up. | 1. Additions, alterations and extensions to buildings shall aim at preservation and/or enhancement to the character and appearance of the area and shall not deter in any way from the original set-up. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2. Additions, alterations and extensions to buildings adversely affecting the character (architecture-form, scale) or appearance (treatment, materials, colour) of neighborhood setting shall not be accepted. | 2. Additions, alterations and extensions to buildings adversely affecting the character (architecture-form, scale) or appearance (treatment, materials, colour) of neighborhood setting shall not be accepted. |
| | | | 3. All existing resources such as building materials (Laterite stone), timber etc, shall be recycled and reused as far as possible and local/ traditional techniques of construction shall be used. | 3. All existing resources such as building materials (Laterite stone), timber etc, shall be recycled and reused as far as possible and local/ traditional techniques of construction shall be used. |
| | | | 4. R. C. C. slabs replacing traditional pitched roofs and framed constructions in R. C. C. shall not be permitted. | 4. R. C. C. slabs shall be permitted with condition that the roof shall be sloping only. |
| | | | 5. Additions/extensions shall not result in the obstruction of views from the surrounding buildings, streets and other views. | 5. Additions/extensions shall not result in the obstruction of views from the surrounding buildings, streets and other views. |
| | | | 6. Extensions shall be confined to the rear of least important facades and should not upset the scale or proportions of the building or adversely affect the character, appearance or setting of neighboring buildings. | 6. Extensions shall be confined to the rear of least important facades and should not upset the scale or proportions of the building or adversely affect the character, appearance or setting of neighbouring buildings. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 7. Roofs over the extensions shall be in conformity of the existing patters (more than 22 deg. gradient and intercepting gables and dormers) and shall in no case attempt to diminish the character of the buildings. The materials may be Mangalore tiles or corrugated / plan metal sheets. | 7. Roofs over the extensions shall be in conformity of the existing patters (more than 22 deg. gradient and intercepting gables and dormers) and shall in no case attempt to diminish the character of the buildings. The materials may be Mangalore tiles or corrugated/plain metal sheets. |
| | | | **C. MATERIALS AND ARCHITECTURAL DETAILS :** | **C. MATERIALS AND ARCHITECTURAL DETAILS :** |
| | | | 1. All new development/alterations/ extensions shall use traditional or other durable natural materials which preserve and /or enhance the character or appearance of the area. | 1. All new development/ alterations/ extensions shall use traditional or other durable natural materials which preserve and /or enhance the character or appearance of the area. |
| | | | 2. Buildings shall retain existing features such as doors or windows, or to replace them in facsimile. | 2. Buildings shall retain existing features such as doors or windows, or to replace them in facsimile. |
| | | | 3. Colour of roof shall be restricted to leaf green and terracotta red. | 3. Colour of roof shall be restricted to leaf green and terracotta red. |
| | | | 4. The materials for construction shall be as far as of traditional material such as laterite (red) stone (exposed / plastered and painted) using the load bearing type of structural system). | 4. The materials for construction shall be as far as of traditional material such as laterite (red) stone (exposed / plastered and painted) using the load bearing type of structural system). |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | **D. SIGN AND ADVERTISEMENT :** | **D. SIGN AND ADVERTISEMENT :** |
| | | | 1. Signs and advertisements shall be well designed and sensitively located with the town. When considering outdoor advertisements due regard to the circumstances of each and the interests of amenity and public safety. | 1. Signs and advertisements shall be well designed and sensitively located with the town. When considering outdoor advertisements due regard to the circumstances of each and the interests of amenity and public safety. |
| | | | 2. Signs and advertisements should be carefully related to the character, scale and architectural features of the buildings on which they are placed. | 2. Signs and advertisements should be carefully related to the character, scale and architectural features of the buildings on which they are placed. |
| | | | 3. Signs at High Level : No signs and advertisements suspended across the streets, ballon advertising, portal gateways, proposal for promotional banners, mobile, rotating or static electronic signs, whether free standing or attached to buildings, moving digital displays and message boards and intermittent or flashing signs will be permitted. | 3. Signs at High Level : No signs and advertisements suspended across the strees, ballon advertising, portal gateways, proposal for promotional banners, mobile, rotating or static electronic signs, whether freestandidng or attached to buildings, moving digital displays and message boards and intermittent or flashing signs will be permitted. |
| | | | 4. Hoardings : No hoardings shall be permitted in the town. | 4. Hoardings : No hoardings shall be permitted in the town. |

SCHEDULE–A—*contd.*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | **E. BOUNDARY WALLS AND FENCING AND RAILINGS :** | **E. BOUNDARY WALLS AND FENCING AND RAILINGS :** |
| | | | 1. Existing traditional boundary walls in stone masonry (laterite / other) shall be protected and properly maintained. Demolition or unsuitable replacement shall not be permitted. | 1. Existing traditional boundary walls in stone masonry (laterite / other) shall be protected and properly maintained. Demolition or unsuitable replacement shall not be permitted. |
| | | | 2. New Boundary Walls shall be in conformity with traditional patterns using laterite / dry rubble / other stone masonry designed with or without part railing / fencing (open type). | 2. New Boundary Walls shall be in conformity with traditional patterns using laterite / dry rubble / other stone masonry designed with or without part railing / fencing (open type). |
| | | | 3. Boundary walls shall not exceed an overall height of 1.2 mtrs. inclusive of coping / other features and maintain such height with respect to the contour of the land by creating a stepped formation. | 3. Boundary walls shall not exceed an overall height of 1.2 mtrs. inclusive of coping / other features and maintain such height with respect to the contour of the land by creating a stepped formation. |
| | | | 4. Retaining Walls in traditional patters of exposed laterite, inclination and pitch with weep holes and drainage patterns shall be considered skin to boundary walls. Such walls shall be preserved and restored using traditional techniques of dry rubble masonry without plastering. | 4. Retaining Walls in traditional patters of exposed laterite, inclination and pitch with weep holes and drainage patterns shall be considered skin to boundary walls. Such walls shall be preserved and restored using traditional techniques of dry rubble masonry without plastering. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 5. Live fencing consisting of hedge plantation, temporary fencing karvi sticks/dried twigh/barbed wire along street edges shall be permitted for regeneration of forest cover and to prevent encroachment and trampling into forest areas. | 5. Live fencing consisting of hedge plantation, temporary fencing karvi sticks/dried twigh/ barbed wire along street edges shall be permitted for regeneration of forest cover and to prevent encroachment and trampling into forest areas. |
| | | | **F. STREET FURNITURE :** | **F. STREET FURNITURE :** |
| | | | Street Furniture applies to an assorted mix of typologies like soft landscape (planters, hanging baskets / brackets / tree guards / tree grills), pedestrian facilities (seating, litter bins, advertising display posts / panels, shelters, street toilets), lighting (street light and ploes, overhead wiring), free standing control / junction boxes and public amenity features (telephone kiosk, telephone equipments, benches), post boxes, newspaper dispenser, fountains (drinking and other), statues and sculpture, memorials and facilities like animal troughs. | Street Furniture applies to an assorted mix of typologies like soft landscape (planters, hanging baskets / brackets / tree guards / tree grills), pedestrian facilities (seating, litter bins, advertising display posts / panels, shelters, street toilets), lighting (street light and ploes, overhead wiring), free standing control / junction boxes and public amenity features (telephone kiosk, telephone equipments, benches), post boxes, newspaper dispenser, fountains (drinking and other), statues and sculpture, memorials and facilities like animal troughs. |
| | | | 1. The aim for all specifiers and designers for street furniture must be to provide solutions which are attractive, functional and with low maintenance cost. | 1. The aim for all specifiers and designers for street furniture must be to provide solutions which are attractive, functional and with low maintainance cost. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2. It shall be ensured that all types of street furniture is of good design, unobtrusive to the local scene and harmonious with the streetscape, is sited so as to minimize visual clutter, and allow clear and safe passage for people. | 2. It shall be ensured that all types of street furniture is of good design, unobtrusive to the local scene and harmonious with the streetscape, is sited so as to minimize visual clutter, and allow clear and safe passage for people. |
| | | | 3. The design and layout of street furniture and urban landscape details shall aim at enhancement of the area and shall be planned in consonance with the general character of Panhala. The placement and setting of street furniture like telephone booths, kiosks and / or other similar equipments will not allow encroachments of street lines. | 3. The design and layout of street furniture and urban landscape details shall aim at enhancement of the area and shall be planned in consonance with the general character of Panhala. The placement and setting of street furniture like telephone booths, kiosks and / or other similar equipments will not allow encroachments of street lines. |
| | | | 4. Existing details of street furniture can be suitably redesigned so as to conform to enhanced landscape design. | 4. Existing details of street furniture can be suitably redesigned so as to conform to enhanced landscape design. |
| | | | 5. Containers such as bottle and can banks and other community bins for refuse and recyclable materials, should be properly sited so as to minimize visual intrusion and to allow clear passage for people as well as minimize disturbance. | 5. Containers such as bottle and can banks and other community bins for refuse and recyclable materials, should be properly sited so as to minimize visual intrusion and to allow clear passage for people as well as minimize disturbance. |

**SCHEDULE–A—*contd.***

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 6. Fountains, polls, and sculptures having incongruous to the character of the Panhala in public places and at points shall not be permitted. | 6. Fountains, polls, and sculptures having incongruous to the character of the Panhala in public places and at points shall not be permitted. |

*By order and in the name of the Governor of Maharashtra,*

**SANJAY SAOJI,**
Under Secretary to Government.

---

**उपविभागीय दंडाधिकारी, करवीर विभाग, कोल्हापूर यांजकडून**

**जाहीर नोटीस**

क्रमांक एमएजी/वशी/मयतसमरी/ऑगस्ट १५/३६६, ३६७, ३६८, /२०१५.— उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, करवीर विभाग, कोल्हापूर, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१५ अन्वये सर्व लोकांना कळविण्यात येते की, खालील परिशिष्टामध्ये मयत व्यक्तींच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणामुळे त्या व्यक्तींचा आकस्मिक मृत्यू झालेबाबत अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक यांनी संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेमार्फत क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम १७४ अन्वये इकडे अहवाल पाठविले आहेत. तरी सदर मयताचे अंतिम वर्गीकरणाबाबत कोणाची तक्रार असेल त्यांनी सदरची जाहीर नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून तीस (३०) दिवसांचे आत लेखी स्वरूपात तक्रार अगर माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनकडे सादर करावी. अगर समक्ष आणून द्यावी. मुदतीत कोणाची तक्रार न आलेस पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे आकस्मिक मृत्यू असे अंतिम वर्गीकरण मंजूर करणेत येईल. वरील मुदतीत कोणाची तक्रार अगर हरकत आल्यास विचारात घेतली जाणार नाही.

**परिशिष्ट**

| अ. क्र. | नाव | मयताचे कारण | पोलीस ठाणे | पोलीस ठाणे क्रमांक | पोलीस ठाणे वर्ष | आकस्मिक मृत्यू नंबर व वर्ष | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| १ | कृष्णांत शंकर पाटील | गळफास लावून घेऊन मयत | करवीर | २४८० | २०१२ | २१० | २०१० |
| २ | कोंडीबा आनंदा पाटील | जिन्यावरून पडून डोकीस मार लागून मयत | करवीर | ३०७ | २०१४ | ७८ | २०१४ |
| ३ | गुरूदत्त शामराव गिरी गोसावी | ८० टक्के भाजून मृत्यू | करवीर | २८८ | २०१४ | १५९ | २०१३ |
| ४ | अंबिका गणेश गौरकर | ६० टक्के भाजून मृत्यू | करवीर | १३२२ | २०१४ | १२ | २०१४ |
| ५ | रुक्मिणी नारायण पाटील | हृदयाची रक्तवाहिनी बंद पडून मयत | करवीर | ४९६० | २०१२ | ७१ | २०११ |

**परिशिष्ट**--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ६ | बेवारस पुरुष जातीचे प्रेत | पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | २७१० | २०१२ | ५ | २०११ |
| ७ | पांडुरंग रामचंद्र आंबळी | इलेक्ट्रिक शॉक बसून मयत | करवीर | ८५२ | २०१४ | ५६ | २०१४ |
| ८ | प्रियंका सुरेश पाटील | विषारी औषध सेवन केलेने मयत | करवीर | ४६२ | २०१४ | २० | २०११ |
| ९ | युराप्पा दादू लांडगे | हृदयविकाराच्या आजाराने मयत | करवीर | ५९४८ | २०१२ | १६ | २०१२ |
| १० | बापू श्रीपती पाटील | पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | ४७६ | २०१४ | ४१ | २०१३ |
| ११ | अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत | लीव्हर खराब होऊन मयत | करवीर | ४७२ | २०१४ | १९५ | २०१२ |
| १२ | मंगल शिवाजी रजपूत | गळफास लावून घेऊन मयत | करवीर | ७४० | २०१४ | ७३ | -- |
| १३ | बाळू दादू खांडेकर | पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | ४९६१ | २०१२ | ८२ | २०११ |
| १४ | सावित्री तुकाराम पाटील | मेंदूला व फुप्फुसाला सूज येऊन व पाणी होऊन मृत्यू. | करवीर | ४००६ | २०१३ | ९२ | २०१२ |
| १५ | संदीप विठोबा गुरव | अशक्तपणा येऊन मयत | करवीर | ४७५३ | २०१३ | ८२ | २०१२ |
| १६ | बापू बबन जंगम | लीव्हरच्या आजाराने मृत्यू | करवीर | ४७५६ | २०१३ | १० | २०१२ |
| १७ | बेवारस मयत (पुरुष) | पाण्यात बुडून मयत | करवीर | ४७८ | २०१४ | १७६ | २०१४ |
| १८ | निळकंठ परशराम चौगुले | विषारी औषध सेवन करून मयत | करवीर | ४७४४ | २०१३ | १२ | २०११ |
| १९ | अंबाजी दत्ता पाटील | २३.३० वाजण्यापूर्वी हृदयाच्या रक्तवाहिन्या ब्लॉक झाल्याने मृत्यू. | करवीर | ४७४३ | २०१३ | ४ | २०१० |
| २० | महादेव दत्तात्रय मोरबाळे | टी. बी. चे आजाराने लीव्हरला सूज येऊन मयत | करवीर | १०४०/१६१३ | २०१२ | ११० | २०११ |
| २१ | विशाल बाबूराव कांबळे | १०.३० वाजता मयताच्या घरी रजपूतवाडी, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर, गळफास लावून घेऊन मयत. | करवीर | ७३८ | २०१४ | ११७ | २०१३ |
| २२ | विवेक प्रकाश देवर | ११.३० वा. सीपीआर कोल्हापूर येथे फुप्फुसास सूज येऊन मृत्यू. | करवीर | ८२८३ | २०११ | २४ | २०११ |
| २३ | बेवारस पुरुष जातीचे | १०.३० वा. टी. बी. चे आजाराने मयत | करवीर | १३८५ | २०१३ | ७६ | २०१२ |
| २४ | रेणुराज गजानन साळोखे | मयताचे घरी गळफास लावून मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | २२१ | २०१४ | ३३ | २०१३ |
| २५ | अशोक दिनकर हिंदोळे | फुप्फुसाचा क्षयरोग होऊन मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | ४२९२ | २०१२ | ३० | २०१२ |
| २६ | शरद प्रभाकर पाडळकर | लीव्हर खराब होऊन मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | ३७५६ | २०१३ | २७ | २०१२ |

**परिशिष्ट**--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २७ | आनंदा गोपाळ डवरी | हृदयविकाराच्या आजाराने मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | १४९५ | २०१३ | ३३ | २०१२ |
| २८ | श्रीमती मालुबाई बाबूराव कोवाडे | पॅरॅलिसिसचा ॲटॅकने मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | ५८६६ | २०१३ | ६१ | २०११ |
| २९ | शिवाजी महादेव नाईक | मयताचे घरी गळफास लावून मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | ४७११ | २०१३ | ४६ | २०१३ |
| ३० | चंद्रकांत दामोदर घावट | मयताचे घरी गळफास लावून मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | २५३४ | २०१२ | २३ | २०१२ |
| ३१ | सलीम फैजुल खा | मेंदूमध्ये रक्तस्राव होऊन मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | ३२५३ | २०१३ | ६ | २०१२ |
| ३२ | सूरज प्रकाश दंताळ | गळफास लावून मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | ३०३८ | २०१३ | १४ | २०१३ |
| ३३ | रोशनबी कमरूद्दीन कागदी | हार्ट ॲटॅकने मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | ३०८७ | २०१३ | १९ | २०११ |
| ३४ | बाजीराव गणपती निगडे | न्यूमोनिया व हृदयविकाराने मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | ३२५२ | २०१३ | ५ | २०१२ |
| ३५ | बाबूराव लक्ष्मण वीर | हार्ट ॲटॅकने मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | ६९५ | २०१४ | ४१ | २०१३ |
| ३६ | प्रतापसिंग आनंदराव घोरपडे | टी. बी. च्या आजाराने मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | ४८५४ | २०१४ | ३६ | २०१४ |
| ३७ | दत्तात्रय विठ्ठल चौगुले | मेंदूमध्ये रक्तस्राव होऊन मृत्यू | पन्हाळा | १३५० | २००८ | १४ | २००८ |
| ३८ | बाळासाहेब शंकर लोखंडे | टी. बी. च्या आजाराने मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | ६६१५ | २०११ | २१ | २०११ |
| ३९ | ज्योती जितेंद्र शेटे | टी. बी. च्या आजाराने मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | ९४८२ | २०११ | ६१ | २०११ |
| ४० | अनोळखी पुरुष | टी. बी. च्या आजाराने मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | १२१ | २०१२ | ६६ | २०११ |
| ४१ | वसंत मुरलीधर जाधव | हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | १२४२ | २०१२ | १२ | २०१२ |
| ४२ | अनोळखी पुरुष | टी. बी. च्या आजाराने मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | ४७०९ | २०१३ | २१ | २०१३ |
| ४३ | दस्तगीर मिरासो शेख | डोकीस मार लागून, मेंदूत रक्तस्राव झालेने मयत | लक्ष्मीपुरी | ८५५५ | २०११ | ८९ | २०१० |
| ४४ | प्रदीप कृष्णांत साळुंखे | हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | ६४९६ | २०११ | ४१ | २०११ |
| ४५ | नारायण विष्णू मोरे | टी. बी. व लीव्हर खराब होऊन मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | ९४८४ | २०११ | ५७ | २०११ |
| ४६ | धर्मवीर रामनाथ जोशी | उंचावरून पडल्यामुळे डोकीस मार लागून जखमी होऊन मयत. | शाहूपुरी | ५३८९ | २०१३ | ११७ | २०१३ |
| ४७ | आक्काताई संजय पटोले | हृदयविकाराने मयत | शाहूपुरी | २९७२ | २०१३ | २ | २०१३ |
| ४८ | कामिनी काशिनाथ शिरतोडे | हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत | शाहूपुरी | ४४१ | २०१२ | १२७ | २०११ |
| ४९ | अविनाश विक्रम खाडे | फुप्फुसास सूज येऊन मयत | शाहूपुरी | ४७२३ | २०१३ | ५९० | २०१३ |
| ५० | लीलाबाई गोपाल अस्वले | पाण्यात पडून बुडून मयत | शाहूपुरी | ३१३९ | २०१४ | १२३ | २०१३ |

**परिशिष्ट**--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५१ | सुनील बाळकृष्ण बोळके | हार्ट ॲटॅकने मयत | शाहूपुरी | १३२६ | २०१२ | ११ | २०१२ |
| ५२ | महादेव शंकर लटके | किडनी खराब होऊन मयत | शाहूपुरी | ४००२ | २०१४ | १३१ | २०१३ |
| ५३ | अशोक सीताराम परटे | लीव्हर खराब झाल्यामुळे मयत | शाहूपुरी | १२७३ | २०१४ | ७१ | २०१३ |
| ५४ | अनोळखी पुरुष | टी. बी. च्या आजाराने मयत | शाहूपुरी | ४८९७ | २०१२ | ९८ | २०१२ |
| ५५ | संजय विलास पाटील | गळफास लावून घेऊन मयत | शाहूपुरी | १९७६ | २०१३ | ९६९ | २०१३ |
| ५६ | बजाराम गणपती जाधव | न्यूमोनिया आजार होऊन मयत | गोकूळ शिरगाव | १५२७ | २०१२ | ९ | २०१३ |
| ५७ | रामचंद्र बाबूराव आवळे | हृदयविकाराचे आजाराने मयत | शाहूपुरी | ३५९ | २०१३ | २० | २०१२ |
| ५८ | सुनील गणपतराव माने | हार्ट ॲटॅकने मयत | शाहूपुरी | १६८९ | २०१३ | ६ | २०१३ |
| ५९ | सातगोंडा आलगौंडा | चक्कर येऊन पडून डोक्यास मार लागून व हृदयाच्या रक्तवाहिन्या खराब झाल्यामुळे मयत. | शाहूपुरी | ८८१६ | २०११ | १९ | २००९ |
| ६० | श्रीराम राजाभाऊ यादव | हार्ट ॲटॅकने मयत | शाहूपुरी | १४५९ | २०१२ | ७ | २०१२ |
| ६१ | सुप्रिया सचिन गोसावी | गॅस गीजरचा भडका होऊन मयत | शाहूपुरी | २९७१ | २०१३ | ८७ | २०१२ |
| ६२ | अनोळखी पुरुष | टी. बी. च्या आजाराने मयत | शाहूपुरी | ४९५७ | २०१२ | २१ | २०१२ |
| ६३ | अनोळखी पुरुष | टी. बी. च्या आजाराने मयत | शाहूपुरी | ५५६१ | २०१३ | ११४ | २०१२ |
| ६४ | रविराज सर्जेराव गायकवाड | गळफास लावून घेऊन मयत | शाहूपुरी | १४६१ | २०१२ | १३ | २०१२ |
| ६५ | राजेंद्र यशवंत राऊत | डोकीस मार लागून मयत | शाहूपुरी | २५४१ | २०१२ | ३८ | २०१२ |
| ६६ | हर्षद दत्तात्रय दहिवाले | विषारी औषध सेवन करून मयत | शाहूपुरी | ६६४ | २००७ | ७८ | २००६ |
| ६७ | प्रकाश अण्णाप्पा कांबळे | ५२ टक्के भाजून मयत | शाहूपुरी | १६९२ | २०१३ | ८ | २०१३ |
| ६८ | अनोळखी पुरुष | लीव्हर खराब झालेने मयत | गोकूळ शिरगाव | ३४०८ | २०१४ | ९ | २०१४ |
| ६९ | जनगोंडा रायगोंडा पाटील | विषारी औषध सेवन करून मयत | गोकूळ शिरगाव | २७१२ | २०१३ | १ | २०११ |
| ७० | अनोळखी पुरुष | डोकीस अंतर्गत दुखापत झालेने मयत | गोकूळ शिरगाव | १२६२ | २०१४ | २९ | २०१३ |
| ७१ | अनोळखी पुरुष | क्षयरोग झालेने मयत | गोकूळ शिरगाव | २२२९ | २०१४ | ४३ | २०१३ |
| ७२ | अनोळखी पुरुष | न्यूमोनिया व लीव्हर खराब होऊन मयत | गोकूळ शिरगाव | २४९७ | २०१४ | ८ | २०१४ |
| ७३ | आर्या सचिन हिरवे | न्यूमोनिया आजाराने मयत | गोकूळ शिरगाव | २५६६ | २०१४ | १५ | २०१४ |

परिशिष्ट--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ७४ | बेवारस पुरुष जातीचे | टी. बी. च्या आजाराने मयत | लक्ष्मीपुरी | १३३४ | २०११ | २२ | २०११ |
| ७५ | अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत | टी. बी. च्यां आजाराने मयत | लक्ष्मीपुरी | ८२७९ | २०११ | २६ | २०१० |
| ७६ | गणेश रवींद्र नलावडे | फुप्फुसाचे टी. बी. झालेने मयत | लक्ष्मीपुरी | ९४७७ | २०११ | ७१ | २०११ |
| ७७ | बेवारस पुरुष जातीचे | टी. बी. च्या आजाराने लीव्हर खराब झालेने मयत | लक्ष्मीपुरी | ८२८० | २०११ | ३५ | २०११ |
| ७८ | चंद्रा फकिरा डीपोजी | सी. पी. आर हॉस्पिटल कोल्हापूर येथील आवारात टी. बी. चे आजाराने मृत्यू. | लक्ष्मीपुरी | १४४९ | २०१२ | ५४ | २०११ |
| ७९ | इसाक अहमद भाटकर | सी. पी. आर. कोल्हापूर येथे अति दारू सेवन करून मयत. | लक्ष्मीपुरी | १३१७ | २०१२ | १ | २०११ |
| ८० | अनोळखी बेवारस पुरुष | टी. बी. च्या आजाराने मयत | लक्ष्मीपुरी | ६६३७ | २०११ | २८ | २०११ |
| ८१ | सुनीता सुभाष सावंत | मेंदूला सूज येऊन फुप्फुसात जंतुसंसर्ग होऊन मयत | लक्ष्मीपुरी | ६६१७ | २०११ | ६७ | २००९ |
| ८२ | श्रीमंती लक्ष्मण लोकरे | हृदय रक्तपुरवठा कमी पडल्याने मयत | लक्ष्मीपुरी | ६४९७ | २०११ | ४४ | २०११ |
| ८३ | पांडुरंग शिवाजी रडरे | दारूच्या नशेत विषारी औषध प्राशन केलेने मृत्यू | लक्ष्मीपुरी | १४४४ | २०१२ | १६ | २०११ |
| ८४ | दिलीप श्रीपती सुतार | हार्ट ॲटॅक येऊन रक्तस्राव झालेने मयत | लक्ष्मीपुरी | ८४२६ | २०११ | २० | २०११ |
| ८५ | राखी सतीश राचोटी | मयताचे भाजून जखमी होऊन मयत | लक्ष्मीपुरी | ४४० | २०१२ | ६८ | २०१० |
| ८६ | अनिता सतीश राठोड | काविळीचे आजाराने होऊन मयत | लक्ष्मीपुरी | ६३३५ | २०११ | १७ | २०११ |
| ८७ | शिवाजी जानबा कुंभार | रक्तवाहिन्या बंद पडून मयत | लक्ष्मीपुरी | ९४८३ | २०११ | ४७ | २०११ |
| ८८ | बबन महादेव डीके | हार्ट ॲटॅक येऊन मयत | लक्ष्मीपुरी | ८०५५ | २०११ | ४६ | २०११ |
| ८९ | विष्णू कृष्णा पाटील | टी. बी. च्या आजाराने मयत | लक्ष्मीपुरी | ६९६ | २०१४ | ३५ | २०१३ |
| ९० | अनंत श्रीकृष्ण अत्रे | मेंदूला सूज येऊन मयत | लक्ष्मीपुरी | ६६१३ | २०११ | ३३ | २०१० |
| ९१ | श्रीपती रतन वायदंडे | टी. बी. च्या आजाराने मयत | लक्ष्मीपुरी | ३०८० | २०१३ | ८ | २०१३ |
| ९२ | नीलम बाबाजी नागटेळे | सीपीआर हॉस्पिटल कोल्हापूर, टी. बी. च्या आजाराने मयत. | लक्ष्मीपुरी | ६०२ | २०१३ | १४ | २०१२ |
| ९३ | अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत | हार्ट ॲटॅक येऊन मयत | लक्ष्मीपुरी | ६८०० | २०११ | ३४ | २०१० |
| ९४ | अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत | डोकीस गंभीर जखम झाल्यामुळे मयत | शाहूपुरी | ९५३ | २०१२ | १४८ | २०१२ |
| ९५ | अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत | टी. बी. च्या आजाराने मयत | शाहूपुरी | २२४ | २०१४ | ६० | २०१३ |
| ९६ | अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत | पाण्यात बुडून मयत | शाहूपुरी | ५३८८ | २०१३ | ७५ | २०१३ |

परिशिष्ट--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ९७ | अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत | पाण्यात बुडून मयत | शाहूपुरी | ३२६४ | २०१३ | ३७ | २०१२ |
| ९८ | अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत | टी. बी. च्या आजाराने मयत | शाहूपुरी | २७०४ | २०१३ | ३७९ | २०१३ |
| ९९ | अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत | पाण्यात बुडून मयत | शाहूपुरी | ४७२८ | २०१३ | ५९५ | २०१३ |
| १०० | अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत | टी. बी. च्या आजाराने मयत | शाहूपुरी | २०३० | २०१३ | १० | २०१३ |
| १०१ | अमोल ऊर्फ विजय बाबासो पाटील | गळफास लावून घेऊन आत्महत्या केलेने | करवीर | १३१३ | २०१२ | १९५ | २०१२ |
| १०२ | अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत | लीव्हर खराब होऊन | करवीर | ७४१ | २०१३ | ३१ | २०११ |
| १०३ | बेवारस पुरुष जातीचे | गळफास लावून घेऊन आत्महत्या केलेने | करवीर | २७३४ | २०१३ | ४० | २०१२ |
| १०४ | सुभाष शंकर घाटगे | भाजून गंभीर जखम होऊन मयत | गोकूळ शिरगाव पोलीस ठाणे. | १९२६ | २०१३ | ५ | २०१३ |
| १०५ | विनोद बाबूराव पाटील | हार्ट ॲटॅक येऊन मयत | गोकूळ शिरगाव पोलीस ठाणे. | १८८१ | २०१४ | ३२ | २०१४ |
| १०६ | धोंडूबाई तुकाराम कांबळे | गरम पाणी भाजून मृत्यू | करवीर | १४११ | २०१४ | ४४ | २०१३ |
| १०७ | धनश्री दाजी वेदांते | हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत | करवीर | ४७० | २०१४ | २० | २००९ |
| १०८ | अनोळखी पुरुष | टी. बी. आजाराने मयत | करवीर | ४९५७ | २०१२ | २४३ | २०१० |
| १०९ | विष्णू दत्तू पाटील | उंचावरून पडून डोकीस मार लागून | गोकूळ शिरगाव | ३३३९ | २०१४ | १८ | २०१४ |
| ११० | अनोळखी पुरुष | टी. बी. आजाराने मृत्यू | गोकूळ शिरगाव | ३६८३ | २०१४ | २४ | २०१४ |
| १११ | राजू ऊर्फ राजेश विठ्ठल यादव | क्षयरोगाने मयत | गोकूळ शिरगाव | ३१२३ | २०१४ | १ | २०१४ |
| ११२ | आक्काताई कांबळे | टी. बी. आजाराने मृत्यू | गोकूळ शिरगाव | ३४६३ | २०१४ | ३३ | २०१४ |
| ११३ | शिवलिंग सुभाष स्वामी | गळफास लावून घेऊन आत्महत्या करून मयत | गोकूळ शिरगाव | २७६६ | २०१३ | १६ | २०१३ |
| ११४ | मंगलेश्वर शिवनंद सिंग | अपघाती मयत | गोकूळ शिरगाव | २७०८ | २०१३ | ८ | २०११ |
| ११५ | अनोळखी पुरुष | सेप्टीसेमिक शॉकने मयत | गोकूळ शिरगाव | २७१९ | २०१२ | ४ | २०११ |
| ११६ | बंदगीसा हुसेन मुल्ला | हृदयविकाराचे तीव्र झटक्याने | गोकूळ शिरगाव | ३७५१ | २०१२ | ६ | २०११ |
| ११७ | धोंडिराम दत्तू वाडकर | इलेक्ट्रिक पोलवरून शिडी घसरून पडून मानेस मज्जातंतूस दुखापत होऊन मृत्यू. | करवीर | ३७९९ | २०१४ | ९० | २०१४ |
| ११८ | पिराजी महिपती कुसाळे | हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत | करवीर | ३१९० | २०१४ | ७४ | २०१४ |
| ११९ | अनोळखी पुरुष | पाण्यात बुडून मयत | करवीर | २०८४ | २०१४ | ८७ | २००८ |

परिशिष्ट--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १२० | विकास प्रकाश लोकरे | इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत | करवीर | ४७४२ | २०१३ | ८३१० | २०१० |
| १२१ | दिनेश गंगाराम बोडेकर | कावीळ आजाराने मयत | करवीर | ७४३ | २०१२ | ७७ | २०११ |
| १२२ | रघुनाथ रामचंद्र पाटील | हृदयविकाराच्या आजाराने मृत्यू | करवीर | २२५४ | २०१२ | २५ | २०१० |
| १२३ | प्रकाश महादेव पाटील | अति दारू सेवन केल्याने मयत | करवीर | ४०६० | २०१४ | २६ | २०१४ |
| १२४ | विकास भिकाजी कांबळे | १०० टक्के भाजून जखमी होऊन मयत | करवीर | ४३४५ | २०१२ | १८९ | २०११ |
| १२५ | बळवंत गोविंदा पाटील | संडास व उलट्या होऊन मयत | करवीर | २८३४ | २०१२ | ४७ | २०१२ |
| १२६ | केरबा बिबरू धनगर | पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | १३१० | २०१२ | १९ | २०११ |
| १२७ | स्नेहल विजयकुमार पाटील | ८० टक्के भाजून जखमी होऊन मयत | करवीर | ८१४ | २०१३ | २२७ | २०१२ |
| १२८ | मंगल विजय महापुरे | पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | ३३४३ | २०१४ | १०६ | २०१४ |
| १२९ | पूजा भैरवनाथ पोवार | विषारी औषध सेवन केल्याने मयत | करवीर | ७०७ | २०१२ | १३ | २०११ |
| १३० | यशवंत पिराजी मोहिते | मेंदू व फुप्फुसाला सूज येऊन मयत | करवीर | ५९०७ | २०१२ | १०६ | २०११ |
| १३१ | श्रीमती अनुबाई बाळू बेरकळ | हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत | करवीर | २७८३ | २०१२ | ४८ | २०१२ |
| १३२ | निळकंठ विठोबा चौगुले | हृदयक्रिया बंद पडून मयत | करवीर | २८३६ | २०१२ | ३३ | २००९ |
| १३३ | सुनिल मनोहर मोहिते | विषारी औषध सेवन केल्याने मयत | करवीर | ७०९ | २०१२ | ५५ | २०११ |
| १३४ | सखुबाई गोपाळ ढेरे | विषारी औषध सेवन केल्याने मयत | करवीर | ४०५९ | २०१४ | २१ | २०१४ |
| १३५ | सूर्यकांत शंकर झाजंगे | पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | ५७७० | २०१२ | १५३ | २०१२ |
| १३६ | अर्चना तानाजी शिनगारे | विषारी औषध सेवन केल्याने मयत | करवीर | २२६१ | २०१२ | २२६ | २०१० |
| १३७ | उज्वला संजय आंबेकर | विषारी औषध सेवन केल्याने मयत | करवीर | ३३७५ | २०१३ | १८२ | २००९ |
| १३८ | दयानंद नामदेव कांबळे | फुप्फुसाच्या आजाराने मयत | करवीर | ५९४५ | २०१२ | १३३ | २०१२ |
| १३९ | ओंकार भिमराव बेरकळ | पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | ८१३ | २०१३ | ७९ | २०१२ |
| १४० | मालूबाई एकनाथ पाटील | विषारी औषध सेवन केल्याने मयत | करवीर | १४१० | २०१३ | १६० | २०१० |
| १४१ | सुहास शामराव कांबळे | कॅन्सरच्या आजाराने मयत | करवीर | १४०९ | २०१३ | १३७ | २०११ |
| १४२ | नामदेव बाबाजी चौगुले | विषारी औषध सेवन केल्याने मयत | करवीर | ९९१ | २०१४ | ८० | २०१२ |
| १४३ | लक्ष्मण दादू शिंदे | पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | ३७८७ | २०१२ | २१७ | २०१० |
| १४४ | राजाराम चंद्रकांत पाटील | विषारी औषध सेवन केल्याने मयत | करवीर | २४२० | २०१२ | २०६ | २०१० |

**परिशिष्ट**--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १४५ | अर्पणा तुकाराम परीट | भाजून जखमी होऊन मयत | करवीर | ८१५ | २०१३ | ८७ | २०१२ |
| १४६ | प्रथमेश कृष्णांत पाटील | विषारी औषध सेवन केल्याने मयत | करवीर | ३०१ | २०१४ | ४८ | २०१३ |
| १४७ | महादेव रामचंद्र कांबळे | ६७ टक्के भाजून जखमी होऊन मयत | करवीर | २४६२ | २०१२ | २०८ | २००९ |
| १४८ | संभाजी वसंत साबळे | अतिदारू सेवन करून पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | ७६ | २०१४ | २२ | २०१२ |
| १४९ | प्रकाश भिकाजी कांबळे | विषारी औषध सेवन केलेने मयत | करवीर | ७४२ | २०१४ | १५८ | २०१० |
| १५० | बळवंत भाऊ सावर्डे | शेतात पिकावर औषध फवारणीची विषबाधा झालेने मयत. | करवीर | ४९०८ | २०१२ | १२४ | २०११ |
| १५१ | रमेश शामराव सुर्यवंशी | अति दारू सेवन करून लीव्हर बाद झालेने मयत | करवीर | २७०० | २०१२ | १९४ | २०११ |
| १५२ | शांताबाई सदाशिव कुंभार | पायरीवरून पडून डोकीस मार लागून मयत | करवीर | १३५७ | २०१२ | ४५ | २०११ |
| १५३ | सौ. आनुबाई बाबुराव पाटील | पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | २९१२ | २०१४ | १११ | २०१४ |
| १५४ | काजल मधुकर ढगे | संर्पदंश होऊन मयत | करवीर | ३१७५ | २०१४ | १२१ | २०१२ |
| १५५ | अनोळखी पुरुष | टी. बी. च्या आजाराने मयत | करवीर | २४०४ | २०१२ | ३७ | २००८ |
| १५६ | सज्जन मारुती आवळे | लीव्हर खराब होऊन मयत | करवीर | ४८६६ | २०१२ | २७ | २०१० |
| १५७ | बाळासाहेब सखाराम कळंत्रे | हार्ट अटॅकने मयत | करवीर | ४३४८ | २०१२ | ६२ | २०१२ |
| १५८ | आशिष अनिल धनवडे | फुप्फुसाला सूज येऊन मयत | करवीर | ३२०६ | २०१२ | ७३ | २०१० |
| १५९ | रंजना आनंदा पाटील | न्यूमोनिया व फुप्फुसास इन्स्पेक्शन होऊन मयत | करवीर | २९१९ | २०१३ | १०२ | २०१२ |
| १६० | शामराव महादेव पोवार | विषारी औषध सेवन केल्याने मयत | करवीर | २९७८ | २०१३ | ५० | २०१२ |
| १६१ | प्रतिम जयसिंग लोंढे | पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | ५९४९ | २०१२ | ६६ | २०१२ |
| १६२ | खंडू रामा साठे | पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | ३१६३ | २०१४ | १३३ | २००९ |
| १६३ | रेश्मा हिंदूराव पाटील | विषारी औषध सेवन केल्याने मयत | करवीर | ३९३६ | २०१४ | ५२ | २०१० |
| १६४ | विलास नाना कामत | न्यूमोनियाच्या आजाराने मयत | करवीर | २७९७ | २०१३ | ३७ | २०१३ |
| १६५ | सौ. सुजाता विश्वास पाटील | सर्पदंश होऊन मयत | करवीर | २६०८ | २०११ | २१ | २०११ |
| १६६ | शाम पांडुरंग पोवार | पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | ३५७ | २०१३ | ८३ | २०१२ |
| १६७ | विलास नारायण पाटील | पाय घसरून नदीतील पाण्यात पडून मयत. | करवीर | ८९७ | २०१२ | १३४ | २०११ |
| १६८ | सौ. राजश्री दिलीप निकम | पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | ३४७ | २०१३ | ४९ | २०१२ |

परिशिष्ट--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १६९ | बाजीराव यशवंत दिंडे | पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | ४३६८ | २०१२ | ५८ | २०१२ |
| १७० | अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत | पाण्यात पडून बुडून मयत | जुना राजवाडा पोलीस ठाणे | ३५७ | २०१३ | ८३ | २०१२ |
| १७१ | रविंद्र सुरेश धुमाळ | विषारी औषध सेवन केल्याने मयत | लक्ष्मीपुरी | ६९७१ | २०११ | ९० | २०१० |
| १७२ | अनोळखी पुरूष जातीचे प्रेत | पाण्यात पडून बुडून मयत | जुना राजवाडा पोलीस ठाणे | ३५७ | २०१३ | ८३ | २०१२ |
| १७३ | पांडूरंग रावजी पाटील | पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | १४१४ | २०१३ | ८ | २०१३ |
| १७४ | भगवान दत्तात्रय मोहिते | विषारी औषध सेवन केल्याने मयत | करवीर | ७६५ | २०१३ | ५३ | २०११ |
| १७५ | अभिजित यशवंत पोवार | पाण्यात पडून बुडून मृत्यू | शाहुपुरी | १५५६ | २०१२ | ५० | २०११ |
| १७६ | गंगाराम चिन्नाप्पा साळोखे | गळफास लावून घेऊन आत्महत्या | राजारामपुरी | ५१६८ | २०१३ | २१ | २०१३ |
| १७७ | विशाल सुनील धनवडे | अंगावर रॉकेल ओतून पेटून घेऊन ९६ टक्के भाजून मयत. | राजारामपुरी | २६५२ | २०१२ | ८५ | २०११ |
| १७८ | सदाशिव विठोबा जाधव | हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मयत | राजारामपुरी | ५१६६ | २०१३ | २ | २०१३ |
| १७९ | अनोळखी स्त्री | न्यूमोनिया आजाराने | राजारामपुरी | ३५६१ | २०१४ | ३२ | २०१४ |
| १८० | अक्षय सुखदेव गायकवाड | २० टक्के भाजल्याने मयत | राजारामपुरी | ३०५९ | २०१२ | ३२ | २०१२ |
| १८१ | मधुकर श्रीपती डावरे | हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत | राजारामपुरी | २३९५ | २०१२ | २७ | २०१२ |
| १८२ | सुधा आनंद सुतार | गळफास लावून घेऊन मयत | राजारामपुरी | २७८२ | २०१४ | १५ | २०१४ |
| १८३ | अनोळखी पुरुष | लीव्हर खराब होऊन मयत | राजारामपुरी | ४२८ | २०१४ | ३१ | २०१३ |
| १८४ | सुबधा राहुल खोत | बाळंतपणात अतिरक्तस्राव झाल्याने मयत | राजारामपुरी | ४२९१ | २०१३ | ५८ | २०१० |
| १८५ | महिमा तसलीम बागवान | न्यूमोनिया आजाराने | राजारामपुरी | २४९७ | २०१३ | २६ | २०१३ |
| १८६ | सचिन तानाजी गुंडरे | डोकीस मार लागून मयत | राजारामपुरी | ४२५४ | २०१३ | १८ | २०१३ |
| १८७ | अनोळखी पुरुष | लीव्हर खराब होऊन पोटात पाणी होऊन मयत | राजारामपुरी | ३५६० | २०१४ | २७ | २०१४ |
| १८८ | प्रकाश बापुसो ताकाळे | लिव्हर खराब होऊन मयत | राजारामपुरी | ३४०९ | २०१२ | ३२ | २०१० |
| १८९ | सचिन बाबुलाल गांधी | विषारी औषध सेवन करून मयत | राजारामपुरी | ३६०८ | २०१३ | ३२ | २०१३ |
| १९० | रविंद्र बाबुराव कावळे | मेंदूत रक्तस्राव होऊन मयत | राजारामपुरी | ३०५३ | २०१२ | २० | २०१२ |
| १९१ | बाळाप्पा हणमंत मांगेरी | चक्कर येऊन पडल्याने मयत | राजारामपुरी | २९४१ | २०१३ | ४ | २००५ |
| १९२ | आशिक अशोकराव जाधव | भाजून जखमी होऊन मृत्यू | गांधीनगर पोलीस ठाणे | ८८३ | २०१४ | ३३ | २०१३ |

**परिशिष्ट**--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १९३ | पूनम मुकेश बुटीया | गळफास लावून घेऊन आत्महत्या केलेने | राजारामपुरी पोलीस ठाणे | ४२९१ | २०१३ | ५५ | २०१३ |
| १९४ | सुरत रामसिंग सोनार | फुप्फुसाचा आजार होऊन मयत | करवीर | ४१२४ | २०१३ | १९४ | २०१२ |
| १९५ | जयश्री राजाराम हळदकर | विषारी औषध सेवन केल्याने | करवीर | २४७१ | २०१२ | ४८ | २००९ |
| १९६ | प्रकाश लोकप्पा पोळ | फुप्फुसाला न्यूमोनिया झाल्याने मयत | करवीर | १३८९ | २०१३ | २६९ | २०१३ |
| १९७ | सुनिल मारुती खांडेकर | पाण्यात पडून बुडून मयत | जुना राजवाडा | ३४४७ | २०१२ | १० | २०१२ |
| १९८ | राजेंद्र गोविंद जाधव | दम्याचे आजाराने मयत | जुना राजवाडा | ५५०४ | २०१३ | ६५ | २०१२ |
| १९९ | रोहण बाळासो वरूटे | पाण्यात पडून बुडून मयत | राजारामपुरी पोलीस ठाणे | २७१३ | २०१३ | ४ | २०१२ |
| २०० | रमेश महालिंग सांगावकर | टी. बी. आजाराने मयत | राजारामपुरी पोलीस ठाणे | ३२६७ | २०१३ | ३७ | २०१२ |
| २०१ | पारुबाई सखाराम कांबळे | हृदयविकाराने मयत | राजारामपुरी पोलीस ठाणे | २६४६ | २०१२ | २६ | २०१२ |
| २०२ | केरबा सावळा शिंदे | भाजून जखमी होऊन मृत्यू | राजारामपुरी पोलीस ठाणे | १४९४ | २०१२ | १४९४ | २०१२ |
| २०३ | सुनील बाळासो सालोखे | हार्ट अटॅकने मयत | लक्ष्मीपुरी | ९१९५ | २०११ | ७० | २०११ |
| २०४ | अनोळखी स्त्री | डोकीस मार लागून मयत | लक्ष्मीपुरी | १३९८ | २०११ | १२ | २०१० |
| २०५ | सत्यनारायण दीपचंद शर्मा | विषारी औषध सेवन केल्यान मयत | लक्ष्मीपुरी | ८५५६ | २०११ | ३६ | २०१० |
| २०६ | नागेश सुरेश चव्हाण | टी. बी. आजाराने व दारू सेवनामुळे मयत | लक्ष्मीपुरी | २२९१ | २०१२ | २३ | २०११ |
| २०७ | कमाल पुंडलिक सुतार | पाण्यात पडून बुडून मयत | लक्ष्मीपुरी | ६११४ | २०११ | ८७ | २०१४ |
| २०८ | अनोळखी स्त्री | टी. बी. च्या आजाराने मयत | लक्ष्मीपुरी | ४७६३ | २०१४ | ७ | २०१४ |
| २०९ | दगडू भागोजी गावडे | हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत | लक्ष्मीपुरी | २६१९ | २०१२ | ९ | २०१२ |
| २१० | विनायक महादेव ठोंबरे | जीवाणूचा संसर्ग व न्यूमोनिया होऊन मयत | लक्ष्मीपुरी | ६०० | २०१३ | ४४ | २०१२ |
| २११ | अनुष्का नंदकुमार कांबळे | तापामुळे श्वासाचा तीव्र झटका आलेने | लक्ष्मीपुरी | ८९९ | २०१३ | ५२ | २०१२ |
| २१२ | सदाशिव दत्तात्रय चिले | उंचावरून पडल्याने बरगड्या मोडून फुप्फुसाला मार लागून छातीमध्ये अति रक्तस्राव होऊन. | लक्ष्मीपुरी | ३७६० | २०१२ | ८ | २०१२ |
| २१३ | प्रदीप आनंदराव भोसले | हृदय विकाराच्या आजाराने मयत | लक्ष्मीपुरी | २०२१ | २०१३ | ३६ | २०१२ |
| २१४ | सुरेंद्र शंकरराव कामत | हृदय विकाराच्या झटक्याने मयत | लक्ष्मीपुरी | ४७१० | २०१३ | २२ | २०१३ |
| २१५ | अनोळखी पुरुष | टी. बी. आजाराने मयत | लक्ष्मीपुरी | ३३५६ | २०१४ | ६३ | २०१३ |
| २१६ | राधाबाई विठ्ठल जांभाळे | शुगरमुळे जखमेस गगरिंग होऊन मयत. | लक्ष्मीपुरी | ४७१४ | २०१३ | ३७ | २०१३ |

परिशिष्ट--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २१७ | चंद्रशेखर मोहनसिंग शर्मा | अटॅकने मयत | लक्ष्मीपुरी | ६३३३ | २०११ | २९ | २०११ |
| २१८ | नरहरी नामदेव शिगनापुरकर | हार्ट अटॅकने मयत | लक्ष्मीपुरी | ९४८१ | २०११ | ३९ | २०११ |
| २१९ | नामदेव शिवराम खैरमोडे | हार्ट अटॅकने मयत | लक्ष्मीपुरी | ८२८१ | २०११ | ४० | २००९ |
| २२० | अशोक बाळकृष्ण कांबळे | टी. बी. च्या आजाराने मयत | लक्ष्मीपुरी | ६१९५ | २०११ | ३२ | २०११ |
| २२१ | अनोळखी पुरुष | टी. बी. च्या आजाराने मयत | लक्ष्मीपुरी | ६६१६ | २०११ | ४३ | २०११ |
| २२२ | उषा नरेंद्र निंबाळकर | टी. बी. च्या आजाराने | लक्ष्मीपुरी | १४४५ | २०१२ | ८३ | २०१० |
| २२३ | अनिता अनिल पाटील | पाण्यात पडून बुडून मयत | लक्ष्मीपुरी | १४४६ | २०१२ | २ | २०१२ |
| २२४ | भरमन्ना भसाप्पा चम्मन्नावर | टी. बी. च्या आजाराने मयत | लक्ष्मीपुरी | १३१८ | २०१२ | २ | २०१२ |
| २२५ | पियुषा कुमार कांबळे | उलटी होऊन उलटी फुप्फुसात व श्वसननलिकेत गेल्यामुळे मयत. | लक्ष्मीपुरी | १४९२ | २०१३ | १३ | २०१३ |
| २२६ | योगेश वसंतराव जाधव | हार्ट अटॅकने मयत | लक्ष्मीपुरी | १४४७ | २०१२ | ६७ | २०११ |
| २२७ | अनोळखी पुरुष | गळफास लावून घेऊन मयत | लक्ष्मीपुरी | १४५० | २०१२ | ३२ | २०१० |
| २२८ | मीनाक्षी पांडुरंग पाटील | टी. बी. च्या आजाराने मयत | लक्ष्मीपुरी | ९४८० | २०११ | ३७ | २०११ |
| २२९ | अनोळखी स्त्री | टी. बी. च्या अजाराने | लक्ष्मीपुरी | ९४७९ | २०१० | ७७ | २०११ |
| २३० | अनोळखी स्त्री | टी. बी. च्या अजाराने | लक्ष्मीपुरी | ९४७९ | २०१० | ७७ | २०११ |
| २३१ | राजू विलास सिंग | टी. बी. च्या अजाराने | लक्ष्मीपुरी | ८२८२ | २०११ | ३३ | २०११ |
| २३२ | आक्काताई तात्यासो कालाजे | हार्ट अटॅकने मयत | लक्ष्मीपुरी | ६८०५ | २०११ | ३७ | २०११ |
| २३३ | शाम परशराम गाडेकर | टी. बी. आजाराने मयत | लक्ष्मीपुरी | ३१३० | २०१४ | २३ | २०१३ |
| २३४ | भारत लक्ष्मण चव्हाण | टी. बी. आजाराने मयत | लक्ष्मीपुरी | ५०१५ | २०१४ | २४ | २०१४ |
| २३५ | अनोळखी पुरुष | हृदयक्रिया बंद पडून मयत | लक्ष्मीपुरी | ८५५७ | २०११ | ४४ | २०१० |
| २३६ | संगीता परशुराम शिंदे | दोन्ही फुप्फुसाला सूज येऊन न्यूमोनिया झालेने | लक्ष्मीपुरी | १२६० | २०१४ | ६८ | २०१३ |
| २३७ | अनोळखी पुरुष मयत | टी. बी. आजाराने मयत | लक्ष्मीपुरी | ३७५२ | २०१४ | ५९ | २०१२ |
| २३८ | कलावती विष्णु मंचारकर | हृदयास सूज येऊन मयत | करवीर | ११९६ | २०१४ | ७ | २०१२ |
| २३९ | युवराज शिवगोंडा चव्हाण | गळफास लावून मयत | करवीर | २४१९ | २०१२ | ८८ | २०११ |
| २४० | पुजा दत्तात्रय गायकवाड | विषारी औषध सेवन केल्याने मयत | करवीर | ४६६ | २०१४ | २१८ | २०१२ |

**परिशिष्ट**--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २४१ | अजित रंगराव पाटील | गळफास लावून मयत | करवीर | ७४१ | २०१४ | ८९ | २०१३ |
| २४२ | आनंदा बाबूराव पोवार | अति दारू सेवनाने मयत | करवीर | ६८१ | २०१४ | ३३ | २०१२ |
| २४३ | बाबाजी शिवाजी खंडागळे | भाजून जखमी होऊन मयत | करवीर | ८८१ | २०१४ | १४० | २०१३ |
| २४४ | लहू राजाराम पाटील | अति दारू सेवनाने मयत | करवीर | ८८० | २०१४ | १६ | २०१४ |
| २४५ | लालमन आत्माराम गौड | हार्ट अटॅकचे आजाराने मयत | करवीर | २४७५ | २०१२ | १९७ | २००७ |
| २४६ | मारुती लक्ष्मण शिर्के | पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | ४७४ | २०१४ | १९७ | २०१२ |
| २४७ | महादेव मंजाप्पा रानगे | पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | १४४४ | २०१३ | १५ | २०१३ |
| २४८ | प्रकाश श्रीपती पोवार | सर्पदंश होऊन मयत | करवीर | ५४९ | २०१३ | १८७ | २०१२ |
| २४९ | इराप्पा नामदेव चोरमले | हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत | गांधीनगर | २०२४ | २०१२ | ४६ | २०११ |
| २५० | बेवारस पुरुष जातीचे प्रेत | पंचगंगा नदीत पाण्यात बुडून मृत्यू | गांधीनगर | ९७३ | २०१३ | ४३ | २०११ |
| २५१ | जयराम सीताराम पोवार | हृदयाच्या रक्तवाहिनीतील रक्त प्रवाह अचानक तीव्र स्वरूपात कमी झालेने मृत्यू. | गांधीनगर | २९१७ | २०१४ | ०३ | २०१४ |
| २५२ | महिपती ज्योती पोवार | पायरीवरून पडून डोकीस मार लागून मयत | गांधीनगर | १४२१ | २०१३ | ३ | २०१३ |
| २५३ | शिवाजी देवबा मोरे | हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत | गांधीनगर | २०२३ | २०१२ | ३५ | २०११ |
| २५४ | अनिल अजीत कांबळे | टी. बी. आजाराने मृत्यू | गांधीनगर | २६४७ | २०१४ | २३ | २०१४ |
| २५५ | सुशीलकुमार बाळासो पाटील | गळफास लावून घेऊन आत्महत्या | गांधीनगर | २८६८ | २०१३ | १२ | २०१३ |
| २५६ | अश्विनी विनोद शिंदे | गळफास लावून घेऊन आत्महत्या | गांधीनगर | १९३६ | २०१४ | १३ | २०१३ |
| २५७ | अशोक जिवबा कांबळे | टी. बी. आजाराने मृत्यू | गांधीनगर | २१२३ | २०११ | ११ | २००८ |
| २५८ | विक्रम विजय पाटील | पाण्यात पडून बुडून मृत्यू | गांधीनगर | ११२२ | २०१४ | ५३ | २००७ |
| २५९ | बेवासर पुरुष जातीचे प्रेत | पाण्यात पडून बुडून मृत्यू | गांधीनगर | ४० | २०१२ | २८ | २०१० |
| २६० | आनंद बळवंत कोकरे | फुप्फुसाच्या आवरणाला व मेंदूला सूज येऊन मयत | | गांधीनगर | ९९९ | २०१४ | १३ २०१३ |
| २६१ | अलका मारुती पोळ | रेल्वे अपघाती मृत्यू | मिरज | १२०१ | २०१३ | -- | २०१३ |
| २६२ | बाळासो आप्पासो तीरपनकर | विष प्राशन केल्याने व फुप्फुसाचा आजार होऊन मयत. | गोकुळ शिरगाव | ११९४ | २०१४ | ७ | २०१२ |
| २६३ | तानाजी यशवंत पवार | हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत | गोकुळ शिरगाव | ३२०७ | २०१२ | ८ | २०१२ |

**परिशिष्ट**--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २६४ | कुमार कृष्णात काटकर | ८७ टक्के भाजून मयत | गोकुळ शिरगाव | ३६१५ | २०१३ | ४ | २०१३ |
| २६५ | प्रियंका बबन कांबळे | ७३ टक्के भाजून मयत | गोकुळ शिरगाव | १७८३ | २०१२ | २ | २०११ |
| २६६ | महादेव दत्तू परीट | हृदयविकाराच्या झटक्याने मयत | गोकुळ शिरगाव | १९७५ | २०१३ | २ | २०१३ |
| २६७ | मुरगन पीरयस्वामी कुरवर | डायबेटिसच्या आजाराने मयत | गोकुळ शिरगाव | २७६७ | २०१३ | १५ | २०१३ |
| २६८ | लक्ष्मी बुचडे | लीव्हर खराब झालेने पोटात पाणी होऊन मयत | लक्ष्मीपुरी | १२६५ | २०१४ | ५८ | २०१३ |
| २६९ | अनोळखी पुरुष | टी. बी. च्या आजाराने मयत | लक्ष्मीपुरी | ३७५५ | २०१४ | २ | २०१३ |
| २७० | अनोळखी पुरुष | टी. बी. च्या आजाराने मयत | लक्ष्मीपुरी | ३२४९ | २०१३ | ४८ | २०११ |
| २७१ | मनिषा रामचंद्र झुगर | पेटत्या स्टोव्हवर पदर पडून ४५ टक्के भिजून मयत. | गांधीनगर | २०२७ | २०१२ | २ | २०१२ |
| २७२ | ज्युवेरीया रियाज मोरवाडे | इलेक्ट्रिक शॉक लागून मयत | गांधीनगर | २१४८ | २०१२ | ६ | २०१२ |
| २७३ | अनोळखी पुरुष | पाण्यात पडून बुडून मयत | गांधीनगर | ३९८६ | २०१३ | ८ | २०१२ |
| २७४ | चंद्रकांत दामाजी शेळके | पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | १२०० | २०१४ | १० | २०१४ |
| २७५ | विक्रम शंकर पवार | दारू पिऊन तोल जाऊन पडून जखमी होऊन मयत | | करवीर | ४७५५ | २०१३ | ३०२०१३ |
| २७६ | कल्पना हरी गाडगे | गळफास लावून घेऊन मयत | गोकुळ शिरगाव | २७११ | २०१३ | १ | २०१३ |
| २७७ | कृष्णांत दिनकर पाटील | गळफास लावून घेऊन मयत | करवीर | २८३७ | २०१२ | ५२ | २०१२ |
| २७८ | रघुनाथ पुंडलिक कांबळे | अति दारू सेवन केल्याने मयत., | करवीर | २५७४ | २०१२ | १८ | २०११ |
| २७९ | राजेंद्र जयसिंगराव चव्हाण | हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत | गांधीनगर | ७४७ | २०१४ | ६ | २०१३ |
| २८० | रामचंद्र मारुराम (यादव) | भाजून अपघाती मयत | गोकुळ शिरगाव | ६२७६ | २०१२ | ५७ | २०१२ |
| २८१ | सागर वसंतराव विभूते | दारू सेवनाने लिव्हर खराब होऊन मयत | गोकुळ शिरगाव | ३००९ | २०१२ | १९ | २०१२ |
| २८२ | अनोळखी पुरुष | टी. बी. च्या आजाराने मयत | राजारामपुरी | १०५४ | २०१२ | ५ | २०१२ |
| २८३ | अनोळखी पुरुष | निमोनिया आजाराने मयत | राजारामपुरी | १२७७ | २०१४ | ३३ | २०१३ |
| २८४ | अनोळखी पुरुष | निमोनिया होऊन मयत | राजारामपुरी | ३५६३ | २०१४ | ३६ | २०१४ |
| २८५ | अमित बाळू सावंत | लिव्हर खराब होऊन मयत | वडगाव | ८०१ | २०१३ | १६० | २०१३ |
| २८६ | प्रकाश बाळू हातकर | पाण्यात बुडून मयत | राजारामपुरी | ७९९ | २०१३ | १५८ | २०१३ |
| २८७ | गंगुबाई सदाशिव व्हटकर | भाजून अपघाती मयत | राजारामपुरी | ६३६ | २०१३ | १६ | २०१३ |

**परिशिष्ट**--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २८८ | अनोळखी पुरुष | टी. बी. च्या आजाराने मयत | राजारामपुरी | ३०५६ | २०१२ | ३२ | २०११ |
| २८९ | अनिल ऊर्फ सुधाकर धीरेंद्र आयचित | हृदयविकारच्या झटक्याने मयत | राजारामपुरी | २६२२ | २०१२ | ३९ | २०११ |
| २९० | सिकंदर रजाक नदाफ | हार्ट ॲटॅक | राजारामपुरी | ३१४५ | २०१४ | २४ | २०१४ |
| २९१ | अरविंद भगवान पाटील | लिव्हर खराब होऊन मयत | राजारामपुरी | २९७३ | २०१३ | ९ | २०१२ |
| २९२ | अनोळखी स्त्री | टी. बी. च्या आजाराने मयत | राजवाडा | १७२८ | २०१२ | ३१४ | २०१२ |
| २९३ | संजय हरिबा पेजे | पाण्याने श्वास गुदमरून मयत | राजामरापुरी | ४००५ | २०१४ | १३ | २०१४ |
| २९४ | अनोळखी पुरुष | टी. बी. च्या आजाराने मयत | राजारामपुरी | ३६८ | २०१३ | ६५ | २०१२ |
| २९५ | अण्णाप्पा मारुती गाताडे | गळफास लाऊन मयत | राजारापुरी | ७७९ | २०१२ | ४ | २०१० |
| २९६ | प्रशांत वसंतराव मंडपे | न्यूमोनिया होऊन मयत | राजारामपुरी | ४२५० | २०१३ | ४६ | २०१३ |
| २९७ | अनोळखी पुरुष | टी. बी. च्या आजाराने मयत | राजारामपुरी | ७४४ | २०१२ | ४१ | २०११ |
| २९८ | अनोळखी पुरुष | टी. बी. च्या आजाराने मयत | राजारामपुरी | ३१०९ | २०१३ | १६ | २०१२ |
| २९९ | कुमार पियुष विजयकुमार शिवगंध | पाण्यात पडून बुडून मयत | शिरोली एम.आय.डी.सी. | ३४७२ | २०१३ | २३ | २०१३ |
| ३०० | प्रदीप कृष्णा पाटील | हृदयास रक्तपुरवठा करणाऱ्या रक्तवाहिन्या दबून व मेंदूत रक्तस्राव होऊन मयत. | राजारामपुरी | १८६८ | २०१३ | २० | २०१० |
| ३०१ | पहलाद गचाराम केवट | रेल्वे अपघाती मयत | मिरज लोहमार्ग | १०४७ | २०१३ | ५१४ | २०१३ |
| ३०२ | जनार्दन आनंदा कांबळे | अति दारू सेवनाने मयत | शाहूपुरी | ३२६५ | २०१३ | ९ | २०१३ |
| ३०३ | तीन दिवसांचे लहान बालिका | वय कमी असल्याने व वजन कमी असल्याने मयत | जुना राजवाडा | ३५१८ | २०१३ | १२ | २०१३ |
| ३०४ | प्रकाश कृष्णात दाभाडे | हृदयविकाराने मयत | जुना राजवाडा | ६४९९ | २०११ | ३२ | २०११ |
| ३०५ | रूचिरा राजेंद्र कोठामळे | ८१ टक्के भाजून जखमी होऊन मयत | जुना राजवाडा | १७२ | २०१२ | ९ | २०११ |
| ३०६ | ताराबाई शिवा पोवार | हृदयविकाराचे झटक्याने मयत | करवीर | २१४७ | २०१२ | ३ | २०१२ |
| ३०७ | लैलाबी आप्पालाल मुजावर | टी. बी. च्या आजाराने मयत | करवीर | २८६७ | २०१३ | ४३ | २०१२ |
| ३०८ | बाबासाहेब कृष्णात वाघवेकर | लिव्हर खराब होऊन मृत्यू | करवीर | ३६७१ | २०१३ | १८ | २०१३ |
| ३०९ | राधाकृष्णन नायर | हृदयविकाराचे आजाराने मयत | गांधीनगर | ६३५ | २०११ | ६ | २००८ |
| ३१० | गंगा शिवाजी पाटील | झोपेत कॉटवरून डोकीस मार लागून मयत | गांधीनगर | २०२६ | २०१२ | ४१ | २०११ |
| ३११ | रमेश शिवाजी पाटील | गळफास लावून घेऊन मयत | गांधीनगर | १४६५ | २०१३ | २ | २०१३ |
| ३१२ | अनोळखी पुरुष | पाण्यात बुडून मयत | गांधीनगर | ६२७४ | २०१२ | ३३ | २०११ |

परिशिष्ट--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३१३ | बेवारस पुरुष | लिव्हर खराब होऊन मृत्यू | गांधीनगर | २९५८ | २०१३ | ४ | २०१३ |
| ३१४ | निलेश गणेश सुपनेकर | पाण्याचे टाकीत पडून पाण्यात बुडून मयत | गांधीनगर | ५७८ | २०१२ | १३ | २०११ |
| ३१५ | अनोळखी बेवारस पुरुष | पाण्यात बुडून मयत | गांधीनगर | ३६७० | २०१२ | ४१ | २०१२ |
| ३१६ | अर्जुन रामचंद्र शिंदे | अति दारू प्राशन केल्याने मयत | गांधीनगर | १४२० | २०१३ | १ | २०१२ |
| ३१७ | नारायण सुंदर पुजारी | टी. बी. च्या आजाराने मयत | गांधीनगर | ३८४८ | २०१३ | १ | २०१३ |
| ३१८ | आशा भगवान झाझगे | दोन्ही फुप्फुसाच्या आवरणाला सूज येऊन मयत | गांधीनगर | ४९१० | २०१२ | २७ | २०११ |
| ३१९ | विलास सखाराम भोईटे | ग्रामोझोन औषध फवारताना त्या तांब्याने पाणी पिलेने मयत. | करवीर | ३७८६ | २०१२ | ८१ | २०१० |
| ३२० | संभाजी लक्ष्मण आरेकर | फुप्फुसाला सूज येऊन मयत | करवीर | ४९०९ | २०१२ | २०३ | २०१० |
| ३२१ | विठाबाई पांडूरंग पाटील | काहीतरी विषारी औषध सेवन केलेने मयत | करवीर | २८६ | २०१४ | ३ | २०१३ |
| ३२२ | संभाजी मारुती जाधव | गळफास लावून घेऊन आत्महत्या केलेने मयत | करवीर | ८१६ | २०१३ | ११६ | २०१२ |
| ३२३ | शोभा भगवान मोरे | स्टोव्हचा भडका होऊन ९० टक्के भाजून जखमी होऊन मयत. | करवीर | २५७९ | २०१२ | ४२ | २०११ |
| ३२४ | संदीप सदाशिव पाटील | गुडगे दुखीवरील औषध खाल्लेने मेंदू व फुप्फुसाला सूज येऊन मयत. | करवीर | २६९८ | २०१२ | १३५ | २०१० |
| ३२५ | अजित रंगराव पाटील | गळफास लावून घेऊन आत्महत्या केलेने मयत | करवीर | ४३४६ | २०१२ | १२६ | २०१२ |
| ३२६ | शिवाजी बळवंत कुंभार | तोल जाऊन विहिरीत पडून पाण्यात बुडून मयत | करवीर | १३७६ | २०१२ | १४४ | २०१० |
| ३२७ | बापू रामा पाटील | इलेक्ट्रीक शॉक बसलेने मयत | करवीर | ७६३ | २०१३ | २ | २०१० |
| ३२८ | भैरू दादू आंबेकर | बेटात मयत मिळालेने व Decomposed body. | करवीर | २५८३ | २०१२ | १९८ | २०१० |
| ३२९ | किशोर बापू नाईक | हृदयविकाराचा झटका आलेने मयत | लक्ष्मीपुरी | ६०१ | २०१३ | ६८ | २०११ |
| ३३० | मयूरी जयंत पोळ | ६० टक्के भाजून झाल्यामुळे जंतुसंसर्ग होऊन मयत | लक्ष्मीपुरी | ४२८९ | २०१२ | १७ | २०१२ |
| ३३१ | अनोळखी पुरुष | लिव्हर खराब झाल्यामुळे मयत | लक्ष्मीपुरी | ४७७६ | २०१४ | १० | २०१४ |
| ३३२ | लक्ष्मण शंकर किरुळकर | न्यूमोनिया आजाराने मयत | लक्ष्मीपुरी | १६८३ | २०१३ | १ | २०१३ |
| ३३३ | अरुण विजयसिंह सावंत | पाण्यात पडून बुडून मयत | राजारामपुरी | ६३७ | २०१३ | ७० | २०१२ |
| ३३४ | गौस गणी जमादार | हृदयविकाराने मयत | जुना राजवाडा | ९१९६ | २०११ | ६८ | २००८ |
| ३३५ | साबिया हुसेन पटेल | ७० टक्के भाजून मयत | जुना राजवाडा | २८३० | २०१३ | ३० | २०१३ |

**परिशिष्ट**--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३३६ | वसंत गोविंद साळोखे | पाण्यात पडून बुडून मयत | जुना राजवाडा | १६८७ | २०१३ | ७३ | २०१२ |
| ३३७ | भाग्यश्री बाबुराव देसाई | हृदयविकाराने मयत | जुना राजवाडा | २६२१ | २०१२ | १ | २०१२ |
| ३३८ | हेमा शामराव बुधले | पाण्यात पडून बुडून मयत | जुना राजवाडा | ३५०४ | २०१२ | ४८ | २०११ |
| ३३९ | शिवाजी लक्ष्मण उचगावकर | डोकीस मार लागून मयत | जुना राजवाडा | २७०० | २०१३ | ७ | २०१३ |
| ३४० | रफीक रशीद खान | ओढ्याचे पाण्यात बुडून नाकातोंडात पाणी जाऊन मृत्यू. | मुरगूड | ३०८५ | २०१३ | १० | २०१३ |
| ३४१ | जयश्री पंडीत जाधव | तलावातील पाण्यात पडून बुडून मयत | करवीर | २४७३ | २०१२ | ४ | २०११ |
| ३४२ | स्वप्नील शिवाजी तिवले | इलेक्ट्रीक मोटारीस पिन लावताना शॉक लागून मयत. | करवीर | १०४२ | २०१२ | ६ | २०१२ |
| ३४३ | गणेश बळवंत खडके | पिकावर कीटकनाशक फवारताना तोंडात जाऊन मयत. | करवीर | २४१८ | २०१२ | ३ | २००९ |
| ३४४ | महादेव तानाजी मगदूम | विहिरीत पडून पाण्यात बुडून मयत | करवीर | ४४७१ | २०१२ | ९ | २०१२ |
| ३४५ | सुनिता दिलीप खोचगे | विहिरीत पडून पाण्यात बुडून मयत | करवीर | १३५१ | २०१२ | १२३ | २०११ |
| ३४६ | अनिल बाळासो कांबळे | अति दारू पिलेने लिव्हर खराब होऊन मयत | करवीर | २४०९ | २०१२ | २०० | २०११ |
| ३४७ | सर्जेराव कहादेव कांबळे | फुप्फुसात पाणी होऊन मयत | करवीर | २४७९ | २०१२ | २१३ | २०१० |
| ३४८ | सर्जेराव दिनकर परतागले | गळफास लावून मयत | शिरोली | ३३९८ | २०१२ | ३ | २०१२ |
| ३४९ | अनिकेत विश्वास आडके | मेंदू व फुप्फुसात सूज येऊन मयत | शिरोली | २८२६ | २०१३ | १२ | २०१२ |
| ३५० | जयश्री नानासो धोतरे | ७७ टक्के भाजून मयत | शिरोली | १९२९ | २०१२ | ५ | २०१२ |
| ३५१ | नीता प्रकाश पाटील | ९३ टक्के भाजून मयत | शिरोली | ३२०६ | २०१२ | १० | २०१ |
| ३५२ | संभाजी अमृता पोवार | गळफास लागून मयत | शिरोली | १९५७ | २०१२ | २ | २०१२ |
| ३५३ | ममता जयसिंग चौगुले | टी. बी. आजाराने मयत | शिरोली | ३८८९ | २०१३ | ७ | २०१३ |
| ३५४ | अवधूत परशुराम चव्हाण | पाण्यात बुडून मयत | शिरोली | ४१ | २०११ | ८ | २०११ |
| ३५५ | माधुरी तानाजी शिंदे | ९४ टक्के भाजून मयत | शिरोली | २६४९ | २०११ | ९ | २०११ |
| ३५६ | जयश्री मधुर कांबळे | ७३ टक्के भाजून मयत | शिरोली | ३०८५ | २०१३ | ४६ | २०१२ |
| ३५७ | प्रकाश तुकाराम पाटील | विषारी औषध सेवन केल्याने मयत | शिरोली | ४२३४ | २०१३ | ११ | २०१२ |
| ३५८ | अनोळखी पुरुष | पाण्यात बुडून मयत | शिरोली | १०९६ | २०१४ | ११ | २०१३ |
| ३५९ | तानाजी विरूपाक्ष धित्रे | अति दारू सेवन केल्याने मयत | शिरोली | ३५६ | २०१४ | ४६ | २०१३ |

**परिशिष्ट**--चालू

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३६० | निहाल कैलास गालुंगे | पाण्यात बुडून मयत | शिरोली | ६४२९ | २०१२ | ३८ | २०१२ |
| ३६१ | माया पांडुरंग बोंडगे | विषारी औषध सेवन केल्याने मयत | शिरोली | ३०४ | २०१३ | २ | २०१३ |
| ३६२ | दीपक रामचंद्र सुतार | हृदयविकाराचा झटका आलेने मयत | शिरोली | २५४५ | २०११ | १३ | २००९ |
| ३६३ | अनोळखी पुरुष | टी. बी. आजाराने मयत | जुना राजवाडा | १४६५ | २०१२ | १३ | २०१२ |
| ३६४ | अनोळखी पुरुष | फुप्फुसाचे क्षयरोगाने मयत | करवीर | २५६२ | २०१२ | ३ | २०११ |
| ३६५ | कृष्णात दत्तू पाटील | डोकीस मार लागून मयत | करवीर | ८०३ | २०१३ | २२४ | २०१२ |
| ३६६ | अनोळखी पुरुष | हृदयक्रिया बंद पडून मयत | करवीर | ४७९ | २०१४ | १८६ | २०१२ |
| ३६७ | महमद अरीफ आदील रहिमानी | विषारी औषध सेवन केलेने मयत | करवीर | ५५० | २०१३ | ५९ | २०११ |
| ३६८ | श्रीराम शंभुराज अंकलीकर | इलेक्ट्रीक शॉक बसून मयत | जुना राजवाडा | ३९१६ | २०१२ | ३६ | २०१२ |
| ३६९ | रविंद्र हिंदूराज जाधव | हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत | गांधीनगर | ३८६८ | २०१३ | ९ | २०१३ |
| ३७० | राज महमंद नबिसो मुजावर | अति दारू सेवनाने मयत | जुना राजवाडा | २४९२ | २०१३ | २३ | २०१३ |
| ३७१ | मनोजकुमार बंडा यादव | डोकीस मार लागून मयत | जुना राजवाडा | ४२५५ | २०१४ | २३ | २०१४ |
| ३७२ | राहूल विजय पोंक्षे | पाण्यात बुडून मयत | जुना राजवाडा | २०७८ | २०१४ | २ | २०१४ |
| ३७३ | धनश्री जयवंत वारके | श्वास गुदमरून मयत | शाहूपुरी | २१८० | २०१३ | १३ | २०१३ |
| ३७४ | महिंद्र महावीर प्रसाद शर्मा | गळफास लावून मयत | शाहूपुरी | ५००८ | २०१४ | १२८ | २०१३ |
| ३७५ | बालम बाबासो जमादार | न्यूमोनिया आजाराने मयत | शाहूपुरी | ३१४२ | २०१४ | ६७ | २०१३ |
| ३७६ | शिवकुमार बाळीशा मकदूम | लिव्हर खराब होऊन मयत | शाहूपुरी | ३१४१ | २०१४ | १२४ | २०१३ |
| ३७७ | कमलेश जशवेतलाल तलाठी | हृदयविकाराचा झटका येऊन मयत | शाहूपुरी | ४७७८ | २०१४ | १० | २०१४ |
| ३७८ | जस्मिन फिरोज शेख | भाजून जखमी होऊन मयत | शाहूपुरी | ३०८० | २०१२ | २२ | २०१२ |
| ३७९ | बाबाजी लहू कळमळकर | अति दारू सेवनाने मयत | शाहूपुरी | ३७५३ | २०१४ | ७२ | २०१३ |
| ३८० | अनोळखी पुरुष जातीचे प्रेत | डोकीस मार लागून मयत | शाहूपुरी | ४२४४ | २०१४ | ५१ | २०१३ |
| ३८१ | सागर सदाशिव डोंगरे | विषारी औषध सेवनाने मयत | शाहूपुरी | १२७१ | २०१४ | ११ | २०१२ |

**प्रशांत पाटील,**
उपविभागीय दंडाधिकारी,
करवीर विभाग, कोल्हापूर.

करवीर (कोल्हापूर), २४ ऑगस्ट २०१५.

## कार्यकारी अभियंता यांजकडून

### अधिसूचना ३

*महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५*
*(पाहा कायद्याचे कलम ५.०, ६.०, ७.०)*
*(पाहा नियम क्रमांक ३.०)*

क्रमांक प्रशा-४/लपात/अधि-३/५१८५/२०१५.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५ चे कलम ५.०, ६.०, ७.० व नियम क्रमांक ३.० नुसार असा निर्णय झाला आहे की, पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी, उ. वि. सिद्धमल, कार्यकारी अभियंता, नीरा उजवा कालवा, विभाग फलटण, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांचे अद्ययावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे ;

मी, उ. वि. सिद्धमल, कार्यकारी अभियंता असेही जाहीर करतो की, यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांच्या जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम-२००५ या खाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटाधारकांवर पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा घेणे बंधनकारक असेल.

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन महाराष्ट्र शासन राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे यांचेकडे अपील दाखल करता येईल.

### अनुसूची-अ

विभाग : नीरा उजवा कालवा विभाग फलटण, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

उपविभाग : फलटण पाटबंधारे उपविभाग, फलटण, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

प्रकल्पाचे नाव : लघुपाटबंधारे तलाव मुळीकवाडी, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

अधिसूचित केलेले क्षेत्र : २५४.८७ हे.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील : मुख्य कालवा कि. मी. क्रमांक ० ते ३

गावांची संख्या : २-मुळीकवाडी व नांदल, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

पाणीवापर संस्थेचे नाव व पत्ता (कार्यान्वित/प्रस्तावित) : प्रस्तावित पाणीवापर संस्था, मुळीकवाडी, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

### अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

**जिल्हा सातारा, तालुका फलटण**

| गाव | अधिसूचित केलेले क्षेत्र (अनुसूची 'ब' प्रमाणे) | |
|---|---|---|
| | गट संख्या | क्षेत्र |
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| मुळीकवाडी | १२३ | १६०.८० |
| नांदल | ३४ | ९४.०७ |
| **एकूण** | **१५७** | **२५४.८७** |

### अनुसूची-ब

**जिल्हा सातारा, तालुका फलटण**

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| | **गाव मुळीकवाडी** | |
| १ | ५३७ | ०.४५ |
| २ | ५३९ | १.१० |
| ३ | ५४० | ०.९० |
| ४ | ५४१ | ०.३० |
| ५ | ५४२ | १.३० |
| ६ | ५४३ | ०.६५ |
| ७ | ५४४ | २.६० |
| ८ | ५४५ | ०.३५ |
| ९ | ५२५ | १.९५ |
| १० | ५४६ | ०.३० |
| ११ | ५४७ | ०.१८ |
| १२ | ५७० | ०.५५ |
| १३ | ५७१ | ०.०९ |
| १४ | ५७२ | ०.०८ |
| १५ | ५७३ | ०.३० |
| १६ | ५७४ | ०.१५ |
| १७ | ५७६ | २.७८ |
| १८ | ५७७ | २.६० |
| १९ | ५७९ | २.३० |
| २० | ५९६ | २.९० |
| २१ | ५२४ | ४.४४ |
| २२ | ५८० | २.६० |

अनुसूची-ब--चालू

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| | गाव मुळीकवाडी--चालू | |
| २३ | ५८९ | २.३० |
| २४ | ५९० | १.५९ |
| २५ | ५९२ | २.१० |
| २६ | ५९३ | १.३८ |
| २७ | ५९४ | ०.०१ |
| २८ | ५९५ | ०.६९ |
| २९ | ४९ | ७.३६ |
| ३० | ५८८ | ५.०० |
| ३१ | ५० | ३.४० |
| ३२ | ५१ | ०.०५ |
| ३३ | ५२ | १.५५ |
| ३४ | ५३ | २.२४ |
| ३५ | ५४ | ०.७५ |
| ३६ | ५५ | ०.५५ |
| ३७ | ५६ | २.३० |
| ३८ | ५७ | ०.५५ |
| ३९ | ५८ | ०.६० |
| ४० | ६२ | ०.८५ |
| ४१ | ६८ | २.८० |
| ४२ | ६७ | २.८६ |
| ४३ | ६६ | ०.८७ |
| ४४ | ६५ | ०.८२ |
| ४५ | ६४ | १.०० |
| ४६ | ६३ | १.६५ |
| ४७ | ७६ | २.८० |
| ४८ | ७७ | ९.०० |
| ४९ | ८९ | ०.३० |
| ५० | ९० | ०.०८ |
| ५१ | ९१ | ०.७० |
| ५२ | ९२ | ०.१० |
| ५३ | ९३ | ०.४० |
| ५४ | ९४ | ०.३२ |
| ५५ | ९५ | ०.७० |
| ५६ | ९६ | ०.०४ |

अनुसूची-ब--चालू

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| | गाव मुळीकवाडी--चालू | |
| ५७ | ९७ | ०.४५ |
| ५८ | ९८ | ०.३५ |
| ५९ | ९९ | ३.६० |
| ६० | १०० | १.३५ |
| ६१ | १०१ | ०.४० |
| ६२ | २३६ | १.०० |
| ६३ | २३७ | ०.२० |
| ६४ | २३८ | ०.०४ |
| ६५ | २३९ | ३.२९ |
| ६६ | २४१ | ०.०९ |
| ६७ | २४२ | २.०५ |
| ६८ | २४३ | ०.०५ |
| ६९ | २४४ | ०.०३ |
| ७० | २४५ | ०.१५ |
| ७१ | २४६ | ०.०१ |
| ७२ | २४७ | ०.०२ |
| ७३ | २४८ | ०.०४ |
| ७४ | २४९ | ०.०४ |
| ७५ | २५० | ०.०५ |
| ७६ | २५१ | ०.०१ |
| ७७ | २५२ | ०.१५ |
| ७८ | २५३ | ०.२० |
| ७९ | २५४ | ०.१६ |
| ८० | २५५ | ०.६५ |
| ८१ | २५६ | ०.१० |
| ८२ | २५७ | ०.०६ |
| ८३ | २५८ | ०.०६ |
| ८४ | २६५ | ०.०६ |
| ८५ | २६४ | ४.९० |
| ८६ | २६३ | ०.१५ |
| ८७ | २६२ | ०.१५ |
| ८८ | २६६ | ०.२६ |
| ८९ | २६७ | ०.०६ |
| ९० | २६१ | ०.१२ |

अनुसूची-ब--चालू

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| | **गाव मुळीकवाडी--चालू** | |
| ९१ | २६० | ०.६८ |
| ९२ | २५९ | ०.०९ |
| ९३ | २७४ | ०.१५ |
| ९४ | २७५ | ०.२० |
| ९५ | २०८ | १.६० |
| ९६ | २०९ | १.७० |
| ९७ | २०७ | ३.५३ |
| ९८ | १८३ | २.३२ |
| ९९ | १८२ | २.९२ |
| १०० | १७६ | ०.१८ |
| १०१ | १७७ | ०.१७ |
| १०२ | १७८ | १.४८ |
| १०३ | ६० | ०.०५ |
| १०४ | ५९ | ०.३५ |
| १०५ | ६१ | ०.४५ |
| १०६ | ६९ | २.०० |
| १०७ | ७० | २.०३ |
| १०८ | ७१ | २.६८ |
| १०९ | ७२ | २.८० |
| ११० | ७३ | ४.७० |
| १११ | ७४ | ०.४५ |
| ११२ | ७५ | १.९५ |
| ११३ | ८८ | ०.३५ |
| ११४ | ८७ | १.०५ |
| ११५ | ८६ | २.७८ |
| ११६ | ८४ | २.५१ |
| ११७ | ८५ | ०.३० |
| ११८ | ७८ | ५.७० |
| ११९ | ७९ | ३.१८ |
| १२० | ८० | ०.९५ |
| १२१ | ८१ | ०.९० |
| १२२ | ८२ | १.७० |
| १२३ | ८३ | २.०२ |
| **एकूण** | **१२३** | **१६०.८०** |

अनुसूची-ब--चालू

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| | **गाव नांदल** | |
| १ | १०७ | ०.४६ |
| २ | १०६ | ०.६० |
| ३ | १०५ | ६.७२ |
| ४ | ७७ | ७.३५ |
| ५ | ७६ | २.७० |
| ६ | ७५ | १.८५ |
| ७ | ७४ | ०.४२ |
| ८ | ७३ | १.०३ |
| ९ | ७२ | १.५० |
| १० | ८२ | १.६५ |
| ११ | ७१ | ४.१३ |
| १२ | ६८ | १.३० |
| १३ | ६७ | ७.६५ |
| १४ | ६६ | ४.२० |
| १५ | ६२ | १०.७० |
| १६ | ६१ | ३.०० |
| १७ | ६० | १.१५ |
| १८ | ४८ | ०.९१ |
| १९ | ४७ | १.०७ |
| २० | ४९ | ०.९५ |
| २१ | ५० | १.२० |
| २२ | ५१ | ०.८५ |
| २३ | ५२ | १.१२ |
| २४ | ५३ | १.६५ |
| २५ | ५४ | ०.८० |
| २६ | ५६ | १.५० |
| २७ | ५७ | १.६६ |
| २८ | ५८ | १.५० |
| २९ | ५९ | ५.६५ |
| ३० | ६३ | ४.८० |

अनुसूची-ब--चालू

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| | गाव नांदल--चालू | |
| ३१ | ६४ | १.२५ |
| ३२ | ७९ | ३.४० |
| ३३ | ८० | ५.०० |
| ३४ | ८१ | ४.३५ |
| **एकूण** | **३४** | **९४.०७** |

उ. वि. सिद्धमल,
कार्यकारी अभियंता,
नीरा उजवा कालवा विभाग, फलटण,
जिल्हा सातारा.

फलटण, १६ सप्टेंबर २०१५.

---

## MMISF ACT, 2005
## (*See* Sections 5.0, 6.0, 7.0 and Rule 3.00)
## (Notification III)

क्रमांक प्रशा-४/लपात/अधि-३/५१८५/२०१५.—Whereas, it has been decided to delineate the Area of Operation of Water Users Associations (WUAs) on volumetric basis and as per administrative convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005 I, U. V. Siddhamal, Executive Engineer, Neera Right Bank Canal, Division Phaltan, district Satara hereby delineate areas of Operation of following WUA and direct that the certified copy of the updated map and list of landholders and/or occupiers of said WUA shall be displayed on the notice board of the offices of concerned Grampanchayat, Tahsil office, Irrigation Sections Sub-Division and Division and at other prominent public places.

I, U. V. Siddhamal, Executive Engineer also hereby declare that no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual or occupier of such land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all the holders and occupiers of the lands under Management of Irrigation System by Farmers Act-2005.

Any Person affected by this Notification or part thereof, may file an appeal before Superintending Engineer, Pune Irrigation within 30 days from the date of Publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette.

### Schedule 'A'

Division : Neera Right Bank Canal, Division Phaltan, taluka Phaltan, district Satara.

Sub-Division : Phaltan Irrigation Sub-Division, Phaltan, taluka Phaltan, district Satara.

Name of the Project : M. I. Tank at Mulikwadi, taluka Phaltan, district Satara.

Area Notified : 254.87 Ha.

No. of villages : 2-Mulikwadi and Nandal, taluka Phaltan, district Satara.

Description of area notified : Main Canal k.m. No. 0 to 3.

Name and address of WUA (Existing/Proposed) : Proposed Water Users Assocation, Mulikwadi

### Details of Area Notified

**District Satara, taluka Phaltan**

| Name of Village | Irrigable Area Notified (As per Schedule B) | |
|---|---|---|
| | Gat Nos. | Area |
| 1 | 2 | 3 |
| | | (Ha.) |
| Mulikwadi | 123 | 160.80 |
| Nandal | 34 | 94.07 |
| **Total** | **157** | **254.87** |

### Schedule-B

**District Satara, taluka Phaltan**

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| | **Village Mulikwadi** | |
| 1 | 537 | 0.45 |
| 2 | 539 | 1.10 |
| 3 | 540 | 0.90 |
| 4 | 541 | 0.30 |
| 5 | 542 | 1.30 |
| 6 | 543 | 0.65 |
| 7 | 544 | 2.60 |
| 8 | 545 | 0.35 |
| 9 | 525 | 1.95 |

**Schedule-B**—*contd.*

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| | **Village Mulikwadi**—*contd.* | |
| 10 | 546 | 0.30 |
| 11 | 547 | 0.18 |
| 12 | 570 | 0.55 |
| 13 | 571 | 0.09 |
| 14 | 572 | 0.08 |
| 15 | 573 | 0.30 |
| 16 | 574 | 0.15 |
| 17 | 576 | 2.78 |
| 18 | 577 | 2.60 |
| 19 | 579 | 2.30 |
| 20 | 596 | 2.90 |
| 21 | 524 | 4.44 |
| 22 | 580 | 2.60 |
| 23 | 589 | 2.30 |
| 24 | 590 | 1.59 |
| 25 | 592 | 2.10 |
| 26 | 593 | 1.38 |
| 27 | 594 | 0.01 |
| 28 | 595 | 0.69 |
| 29 | 49 | 7.36 |
| 30 | 588 | 5.00 |
| 31 | 50 | 3.40 |
| 32 | 51 | 0.05 |
| 33 | 52 | 1.55 |
| 34 | 53 | 2.24 |
| 35 | 54 | 0.75 |
| 36 | 55 | 0.55 |
| 37 | 56 | 2.30 |
| 38 | 57 | 0.55 |
| 39 | 58 | 0.60 |
| 40 | 62 | 0.85 |
| 41 | 68 | 2.80 |
| 42 | 67 | 2.86 |
| 43 | 66 | 0.87 |
| 44 | 65 | 0.82 |
| 45 | 64 | 1.00 |
| 46 | 63 | 1.65 |
| 47 | 76 | 2.80 |
| 48 | 77 | 9.00 |
| 49 | 89 | 0.30 |

**Schedule-B**—*contd.*

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| | **Village Mulikwadi**—*contd.* | |
| 50 | 90 | 0.08 |
| 51 | 91 | 0.70 |
| 52 | 92 | 0.10 |
| 53 | 93 | 0.40 |
| 54 | 94 | 0.32 |
| 55 | 95 | 0.70 |
| 56 | 96 | 0.04 |
| 57 | 97 | 0.45 |
| 58 | 98 | 0.35 |
| 59 | 99 | 3.60 |
| 60 | 100 | 1.35 |
| 61 | 101 | 0.40 |
| 62 | 236 | 1.00 |
| 63 | 237 | 0.20 |
| 64 | 238 | 0.04 |
| 65 | 239 | 3.29 |
| 66 | 241 | 0.09 |
| 67 | 242 | 2.05 |
| 68 | 243 | 0.05 |
| 69 | 244 | 0.03 |
| 70 | 245 | 0.15 |
| 71 | 246 | 0.01 |
| 72 | 247 | 0.02 |
| 73 | 248 | 0.04 |
| 74 | 249 | 0.04 |
| 75 | 250 | 0.05 |
| 76 | 251 | 0.01 |
| 77 | 252 | 0.15 |
| 78 | 253 | 0.20 |
| 79 | 254 | 0.16 |
| 80 | 255 | 0.65 |
| 81 | 256 | 0.10 |
| 82 | 257 | 0.06 |
| 83 | 258 | 0.06 |
| 84 | 265 | 0.06 |
| 85 | 264 | 4.90 |
| 86 | 263 | 0.15 |
| 87 | 262 | 0.15 |
| 88 | 266 | 0.26 |
| 89 | 267 | 0.06 |

**Schedule-B—*contd.***

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| | **Village Mulikwadi—*contd.*** | |
| 90 | 261 | 0.12 |
| 91 | 260 | 0.68 |
| 92 | 259 | 0.09 |
| 93 | 274 | 0.15 |
| 94 | 275 | 0.20 |
| 95 | 208 | 1.60 |
| 96 | 209 | 1.70 |
| 97 | 207 | 3.53 |
| 98 | 183 | 2.32 |
| 99 | 182 | 2.92 |
| 100 | 176 | 0.18 |
| 101 | 177 | 0.17 |
| 102 | 178 | 1.48 |
| 103 | 60 | 0.05 |
| 104 | 59 | 0.35 |
| 105 | 61 | 0.45 |
| 106 | 69 | 2.00 |
| 107 | 70 | 2.03 |
| 108 | 71 | 2.68 |
| 109 | 72 | 2.80 |
| 110 | 73 | 4.70 |
| 111 | 74 | 0.45 |
| 112 | 75 | 1.95 |
| 113 | 88 | 0.35 |
| 114 | 87 | 1.05 |
| 115 | 86 | 2.78 |
| 116 | 84 | 2.51 |
| 117 | 85 | 0.30 |
| 118 | 78 | 5.50 |
| 119 | 79 | 3.18 |
| 120 | 80 | 0.95 |
| 121 | 81 | 0.90 |
| 122 | 82 | 1.70 |
| 123 | 83 | 2.02 |
| **Total** | **123** | **160.80** |

**Schedule-B—*contd.***

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| | **Village Nandal** | |
| 1 | 107 | 0.46 |
| 2 | 106 | 0.60 |
| 3 | 105 | 6.72 |
| 4 | 77 | 7.35 |
| 5 | 76 | 2.70 |
| 6 | 75 | 1.85 |
| 7 | 74 | 0.42 |
| 8 | 73 | 1.03 |
| 9 | 72 | 1.50 |
| 10 | 82 | 1.65 |
| 11 | 71 | 4.13 |
| 12 | 68 | 1.30 |
| 13 | 67 | 7.65 |
| 14 | 66 | 4.20 |
| 15 | 62 | 10.70 |
| 16 | 61 | 3.00 |
| 17 | 60 | 1.15 |
| 18 | 48 | 0.91 |
| 19 | 47 | 1.07 |
| 20 | 49 | 0.95 |
| 21 | 50 | 1.20 |
| 22 | 51 | 0.85 |
| 23 | 52 | 1.12 |
| 24 | 53 | 1.65 |
| 25 | 54 | 0.80 |
| 26 | 56 | 1.50 |
| 27 | 57 | 1.66 |
| 28 | 58 | 1.50 |
| 29 | 59 | 5.65 |
| 30 | 63 | 4.80 |
| 31 | 64 | 1.25 |
| 32 | 79 | 3.40 |
| 33 | 80 | 5.00 |
| 34 | 81 | 4.35 |
| **Total** | **34** | **94.07** |

**U. V. SIDDHAMAL,**
Executive Engineer,
Neera Right Bank Canal Division,
Phaltan, district Satara.

Phaltan, 16th Setember 2015.

## अधिसूचना ३

*महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५*
*(पाहा कायद्याचे कलम ५.०, ६.०, ७.०)*
*(पाहा नियम क्रमांक ३.०)*

क्रमांक प्रशा-४/लपात/अधि-३/५१८५ (१)/२०१५.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ५.०, ६.०, ७.० व नियम क्रमांक ३.० नुसार असा निर्णय झाला आहे की, पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी, उ. वि. सिद्धमल, कार्यकारी अभियंता, नीरा उजवा कालवा, विभाग फलटण, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांचे अद्ययावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे ;

मी, उ. वि. सिद्धमल, कार्यकारी अभियंता असेही जाहीर करतो की, यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांच्या जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम-२००५ या खाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटाधारकांवर पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा घेणे बंधनकारक असेल.

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन महाराष्ट्र शासन राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे यांचेकडे अपील दाखल करता येईल.

### अनुसूची-अ

विभाग : नीरा उजवा कालवा, विभाग फलटण, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

उपविभाग : फलटण पाटबंधारे उपविभाग, फलटण, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे तलाव, कुरवली (बु.), तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

अधिसूचित केलेले क्षेत्र : ११७.०१ हे.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील : मुख्य कालवा कि. मी. क्रमांक ० ते १.१०

गावांची संख्या : १-कुरवली (बु.), तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

पाणीवापर संस्थेचे नाव व पत्ता (कार्यान्वित/प्रस्तावित) : प्रस्तावित पाणीवापर संस्था, कुरवली बु., तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

### अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

**जिल्हा सातारा, तालुका फलटण**

| गाव | | अधिसूचित केलेले क्षेत्र (अनुसूची 'ब' प्रमाणे) | |
|---|---|---|---|
| | | गट संख्या | क्षेत्र |
| १ | | २ | ३ |
| | | | हे. आर |
| कुरवली (बु.) | | ९४ | ११७.०१ |
| | **एकूण** | **९४** | **११७.०१** |

### अनुसूची-ब

**जिल्हा सातारा, तालुका फलटण, गाव कुरवली (बु.)**

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| १ | ८८ | ०.९२ |
| २ | ८९ | ०.३९ |
| ३ | ९० | १.०२ |
| ४ | ९१ | ०.५० |
| ५ | ९२ | ०.५० |
| ६ | ९३ | ०.४७ |
| ७ | ९४ | ०.४१ |
| ८ | ९५ | ०.४० |
| ९ | ९६ | ०.४१ |
| १० | ९७ | ०.३१ |
| ११ | ९८ | ०.४३ |
| १२ | १०० | ०.३३ |
| १३ | १०१ | ०.९३ |
| १४ | १०३ | ०.७९ |
| १५ | १०४ | ०.४९ |
| १६ | १०५ | ०.६१ |
| १७ | १०५ ब | ०.५३ |
| १८ | १०६ | ०.०५ |
| १९ | १०७ | ०.०१ |
| २० | १०८ | २.३३ |
| २१ | १०९ | १.२६ |
| २२ | ११० | १.३८ |
| २३ | १११ | ०.८८ |
| २४ | ११२ | ०.८३ |

अनुसूची-ब--चालू

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| २५ | ११३ | २.६७ |
| २६ | ११४ | ०.८० |
| २७ | ११५ | ०.८६ |
| २८ | ११६ | ०.०३ |
| २९ | ११७ | ०.५४ |
| ३० | ११८ | १.४३ |
| ३१ | ११९ | १.३२ |
| ३२ | १२० | १.०६ |
| ३३ | १२१ | ०.०३ |
| ३४ | १२२ | १.१३ |
| ३५ | १२३ | ०.५७ |
| ३६ | १२४ | १.०८ |
| ३७ | १२५ | ०.३९ |
| ३८ | १२६ | ०.१० |
| ३९ | १२७ अ | ०.४५ |
| ४० | १२७ | ०.८५ |
| ४१ | १२८ | ०.२६ |
| ४२ | १२९ | ०.४८ |
| ४३ | १३० | ०.४४ |
| ४४ | १३१ | १.६३ |
| ४५ | १३२ | ०.२७ |
| ४६ | १३३ | ०.७० |
| ४७ | १३४ | ०.८१ |
| ४८ | १३५ | ०.८६ |
| ४९ | १३६ | ०.३६ |
| ५० | १३७ | २.०७ |
| ५१ | १३८ | १.०३ |
| ५२ | १३९ | १.०७ |
| ५३ | १४० | ०.०५ |
| ५४ | १४१ | ०.६८ |
| ५५ | १४२ | ०.८३ |
| ५६ | १४३ | १.२४ |
| ५७ | १४४ | १.०९ |

अनुसूची-ब--चालू

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| ५८ | १४५ | १.०१ |
| ५९ | १४६ | ०.६३ |
| ६० | १४७ | ०.६५ |
| ६१ | १४८ | १.०३ |
| ६२ | १५० | ०.६३ |
| ६३ | १५१ | ०.६३ |
| ६४ | १५२ | ०.०८ |
| ६५ | १५२/२ | ०.०६ |
| ६६ | १५३ | ०.३९ |
| ६७ | १५५ | ०.४२ |
| ६८ | १५६ | १.३० |
| ६९ | १५७ | ०.८६ |
| ७० | १५८ | ०.७८ |
| ७१ | १५९ | १.४६ |
| ७२ | १६० | १.४२ |
| ७३ | १६१ | १.०३ |
| ७४ | १६५ | ०.६८ |
| ७५ | १६६ | ०.५० |
| ७६ | १६७ | ०.६७ |
| ७७ | १६९ | ०.७६ |
| ७८ | ३२६/१ अ | ८.१७ |
| ७९ | ३२६/ब | ०.८१ |
| ८० | ३२६/२ | ०.८१ |
| ८१ | ३२६/३ | २.०० |
| ८२ | ३२६/४ | १.१५ |
| ८३ | ३२७ | ३.२१ |
| ८४ | ३२८ | २.०० |
| ८५ | ३२९ | ४.०८ |
| ८६ | ३३० | १.८१ |
| ८७ | ३३१ | ६.७२ |
| ८८ | ३३१/२/ब | २.४० |
| ८९ | ३३२ | ४.१० |
| ९० | ३३६/२ | ११.२५ |

अनुसूची-ब--चालू

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| ९१ | ३३६ | ०.९० |
| ९२ | ३३७ | ०.३४ |
| ९३ | ३४० | ५.९३ |
| ९४ | ३४१ | २.८९ |
| **एकूण** | **९४** | **११७.०१** |

**उ. वि. सिद्धमल,**
कार्यकारी अभियंता,
नीरा उजवा कालवा, विभाग फलटण,
जिल्हा सातारा.

फलटण, १६ सप्टेंबर २०१५.

---

## MMISF ACT, 2005
## (*See* Sections 5.0, 6.0, 7.0 and Rule 3.00)
## (Notification III)

क्रमांक प्रशा-४/लपात/अधि-३/५१८५ (१)/२०१५.—Whereas, it has been decided to delineate the Area of Operation of Water Users Associations (WUAs) on hydraulic basis and as per administrative convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005 I, U. V. Siddhamal, Executive Engineer, Neera Right Bank Canal Division, Phaltan, district Satara hereby delineate the areas of Operation of following WUA's direct that the certified copy of the updated map and list of landholders and/or occupiers of said WUA's shall be displayed on the notice board of the offices of concerned Grampanchayat, Tahsil office, Irrigation Sections Sub-Division and Division and at other prominent public places.

I, U. V. Siddhamal, Executive Engineer also hereby declare that no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual or occupier of such land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all the holders and occupiers of the lands under Management of Irrigation System by Farmers Act-2005.

Any Person affected by this Notification or part thereof, may file an appeal before Superintending Engineer, Pune Irrigation Circle, Pune within 30 days from the date of Publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette.

### Schedule 'A'

Division : Neera Right Bank Canal Division Phaltan, taluka Phaltan, district Satara.

Sub-Division : Phaltan Irrigation Sub-Division, Phaltan, taluka Phaltan, district Satara.

Name of the Project : M. I. Tank at Kurawali (Bk.), taluka Phaltan, district Satara.

Area Notified : 117.01 Ha.

No. of village : 1-Kurawali (Bk.), taluka Phaltan, district Satara.

Description of area notified : Main Canal k.m. No. 0 to 1.10.

Name and address of WUA (Existing/Proposed) : Proposed Water Users Assocation, Kurawali (Bk.) (Existing and Proposed)

### Details of Area Notified

**District Satara, taluka Phaltan**

| Name of Village | Irrigable Area Notified (As per Schedule B) | |
|---|---|---|
| | Gat Nos. | Area |
| 1 | 2 | 3 |
| | | (Ha.) |
| Kurawali (Bk.) | 94 | 117.01 |
| **Total** | **94** | **117.01** |

### Schedule-B

**District Satara, taluka Phaltan, village Kurawali (Bk.)**

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| 1 | 88 | 0.92 |
| 2 | 89 | 0.39 |
| 3 | 90 | 1.02 |
| 4 | 91 | 0.50 |
| 5 | 92 | 0.50 |
| 6 | 93 | 0.47 |
| 7 | 94 | 0.41 |
| 8 | 95 | 0.40 |
| 9 | 96 | 0.41 |
| 10 | 97 | 0.31 |

**Schedule-B**—*contd.*

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| 11 | 98 | 0.43 |
| 12 | 100 | 0.33 |
| 13 | 101 | 0.93 |
| 14 | 103 | 0.79 |
| 15 | 104 | 0.49 |
| 16 | 105 | 0.61 |
| 17 | 105 B | 0.53 |
| 18 | 106 | 0.05 |
| 19 | 107 | 0.10 |
| 20 | 108 | 2.33 |
| 21 | 109 | 1.26 |
| 22 | 110 | 1.38 |
| 23 | 111 | 0.88 |
| 24 | 112 | 0.83 |
| 25 | 113 | 2.67 |
| 26 | 114 | 0.80 |
| 27 | 115 | 0.86 |
| 28 | 116 | 0.03 |
| 29 | 117 | 0.54 |
| 30 | 118 | 1.43 |
| 31 | 119 | 1.32 |
| 32 | 120 | 1.06 |
| 33 | 121 | 0.03 |
| 34 | 122 | 1.13 |
| 35 | 123 | 0.57 |
| 36 | 124 | 1.08 |
| 37 | 125 | 0.39 |
| 38 | 126 | 0.10 |
| 39 | 127 A | 0.45 |
| 40 | 127 | 0.85 |
| 41 | 128 | 0.26 |
| 42 | 129 | 0.48 |
| 43 | 130 | 0.44 |
| 44 | 131 | 1.63 |
| 45 | 132 | 0.27 |
| 46 | 133 | 0.70 |
| 47 | 134 | 0.81 |
| 48 | 135 | 0.86 |
| 49 | 136 | 0.36 |

**Schedule-B**—*contd.*

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| 50 | 137 | 2.07 |
| 51 | 138 | 1.03 |
| 52 | 139 | 1.07 |
| 53 | 140 | 0.05 |
| 54 | 141 | 0.68 |
| 55 | 142 | 0.83 |
| 56 | 143 | 1.24 |
| 57 | 144 | 1.09 |
| 58 | 145 | 1.01 |
| 59 | 146 | 0.63 |
| 60 | 147 | 0.65 |
| 61 | 148 | 1.03 |
| 62 | 150 | 0.63 |
| 63 | 151 | 0.63 |
| 64 | 152 | 0.08 |
| 65 | 152/2 | 0.06 |
| 66 | 153 | 0.39 |
| 67 | 155 | 0.42 |
| 68 | 156 | 1.30 |
| 69 | 157 | 0.86 |
| 70 | 158 | 0.78 |
| 71 | 159 | 1.46 |
| 72 | 160 | 1.42 |
| 73 | 161 | 1.03 |
| 74 | 165 | 0.68 |
| 75 | 166 | 0.50 |
| 76 | 167 | 0.67 |
| 77 | 169 | 0.76 |
| 78 | 326/1 A | 8.17 |
| 79 | 326/B | 0.81 |
| 80 | 326/2 | 0.81 |
| 81 | 326/3 | 2.00 |
| 82 | 326/4 | 1.15 |
| 83 | 327 | 3.21 |
| 84 | 328 | 2.00 |
| 85 | 329 | 4.08 |
| 86 | 330 | 1.81 |
| 87 | 331 | 6.72 |

**Schedule-B—*contd.***

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| 88 | 331/2/B | 2.40 |
| 89 | 332 | 4.10 |
| 90 | 336/2 | 11.25 |
| 91 | 336 | 0.90 |
| 92 | 337 | 0.34 |
| 93 | 340 | 5.93 |
| 94 | 341 | 2.89 |
| **Total** | **94** | **117.01** |

**U. V. SIDDHAMAL,**
Executive Engineer,
Neera Right Bank Canal Division,
Phaltan, district Satara.

Phaltan, 16th September 2015.

---

## अधिसूचना ३

*महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५*
*(पाहा कायद्याचे कलम ५.०, ६.०, ७.०)*
*(पाहा नियम क्रमांक ३.०)*

क्रमांक प्रशा-४/लपात/अधि-३/५१८५ (२)/२०१५.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ५.०, ६.०, ७.० व नियम क्रमांक ३.० नुसार असा निर्णय झाला आहे की, पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी, उ. वि. सिद्धमल, कार्यकारी अभियंता, नीरा उजवा कालवा, विभाग फलटण, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांचे अद्ययावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे ;

मी, उ. वि. सिद्धमल, कार्यकारी अभियंता असेही जाहीर करतो की, यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांच्या जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम-२००५ या खाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटाधारकांवर पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा घेणे बंधनकारक असेल.

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन महाराष्ट्र शासन राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे यांचेकडे अपील दाखल करता येईल.

### अनुसूची-अ

विभाग : नीरा उजवा कालवा विभाग फलटण, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

उपविभाग : फलटण पाटबंधारे उपविभाग, फलटण, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे तलाव कुरवली (खु.), तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

अधिसूचित केलेले क्षेत्र : १४७.०० हे.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील : मुख्य कालवा कि. मी. क्रमांक ० ते ३

गावांची संख्या : १-कुरवली (खु.), तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

पाणीवापर संस्थेचे नाव व पत्ता (कार्यान्वित/प्रस्तावित) : प्रस्तावित पाणीवापर संस्था, कुरवली (खु.), तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

### अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील

### जिल्हा सातारा, तालुका फलटण

| गाव | अधिसूचित केलेले क्षेत्र (अनुसूची 'ब' प्रमाणे) | |
|---|---|---|
| | गट संख्या | क्षेत्र |
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| कुरवली (खु.) | ८९ | १४७.०० |
| **एकूण** | **८९** | **१४७.००** |

### अनुसूची-ब

### जिल्हा सातारा, तालुका फलटण, गाव कुरवली (खु.)

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| १ | १ | - |
| २ | २ | - |
| ३ | ३ | ०.८९ |
| ४ | ४ | ३.१० |
| ५ | ५ | १.८९ |
| ६ | ६ | १.५८ |

अनुसूची-ब--चालू

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| ७ | ७ | २.०३ |
| ८ | १४ | ०.३८ |
| ९ | १५ | ०.३८ |
| १० | १६ | ०.२५ |
| ११ | १७ | १.५२ |
| १२ | १८ | १.२४ |
| १३ | १९ | ४.१७ |
| १४ | २० | - |
| १५ | २१ | १.३३ |
| १६ | २२ | ०.३९ |
| १७ | २३ | ०.३९ |
| १८ | २७ | ५.७१ |
| १९ | २८ | ०.५६ |
| २० | २९ | ०.२५ |
| २१ | ३० | ४.३६ |
| २२ | ३१ | १.०५ |
| २३ | ३२ | १.०२ |
| २४ | ३३ | ०.६१ |
| २५ | ३४ | ०.८१ |
| २६ | ३५ | ०.५७ |
| २७ | ३६ | १.१५ |
| २८ | ३७ | ३.०८ |
| २९ | ३८ | ३.१३ |
| ३० | ३९ | १.९६ |
| ३१ | ४० | १.८८ |
| ३२ | ४१ | ३.९७ |
| ३३ | ४२ | १.५२ |
| ३४ | ४३ | ६.१३ |
| ३५ | ४४ | २.८२ |
| ३६ | ४५ | ३.३९ |
| ३७ | ४६ | २.५३ |
| ३८ | ४७ | ०.६१ |
| ३९ | ७५ | ११.४५ |
| ४० | ७९ | १.५४ |
| ४१ | ८० | ३.४६ |

अनुसूची-ब--चालू

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| ४२ | ८१ | ०.२७ |
| ४३ | ८२ | ०.४९ |
| ४४ | ८३ | २.६६ |
| ४५ | ८४ | ३.८८ |
| ४६ | ८५ | १.८१ |
| ४७ | ८६ | १.६२ |
| ४८ | ८७ | १.७५ |
| ४९ | ८८ | ४.९० |
| ५० | ३०१ | ०.५९ |
| ५१ | ३०२ | ०.५६ |
| ५२ | ३०३ | ०.५८ |
| ५३ | ३०४ | ०.६७ |
| ५४ | ३०५ | ०.६१ |
| ५५ | ३०६ | १.१० |
| ५६ | ३०७ | ०.५६ |
| ५७ | ३०८ | ०.५८ |
| ५८ | ३०९ | ०.१९ |
| ५९ | ३१० | ०.२४ |
| ६० | ३११ | ०.५१ |
| ६१ | ३१२ | - |
| ६२ | ३१३ | ०.२० |
| ६३ | ३१४ | ०.५९ |
| ६४ | ३१५ | ०.३६ |
| ६५ | ३१६ | ०.३६ |
| ६६ | ३१७ | ०.५६ |
| ६७ | ३१८ | ०.३५ |
| ६८ | ३१९ | ०.६६ |
| ६९ | ३२० | ०.९४ |
| ७० | ३२१ | ०.०४ |
| ७१ | ३२२ | १.३१ |
| ७२ | ३२४ | ०.५८ |
| ७३ | ३२५ | ४.७८ |
| ७४ | ३२८ | ०.४४ |
| ७५ | ३३२ | ४.३९ |
| ७६ | ३३३ | ३.७८ |

अनुसूची-ब--चालू

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| ७७ | ३३४ | ०.०५ |
| ७८ | ३३५ | ०.९२ |
| ७९ | ३३६ | ३.१५ |
| ८० | ३३७ | ७.३८ |
| ८१ | ३३८ | २.८४ |
| ८२ | ३३९ | ०.३८ |
| ८३ | ३४० | २.६० |
| ८४ | ३४१ | ०.६५ |
| ८५ | ३४२ | ०.११ |
| ८६ | ३४३ | ०.९६ |
| ८७ | ३४५ | ०.६३ |
| ८८ | ३४७ | ०.६३ |
| ८९ | ३४८ | ०.६९ |
| **एकूण** | **८९** | **१४७.००** |

उ. वि. सिद्धमल,
कार्यकारी अभियंता,
नीरा उजवा कालवा, विभाग फलटण,
जिल्हा सातारा.

फलटण, १६ सप्टेंबर २०१५.

---

## MMISF ACT, 2005
## (*See* Sections 5.0, 6.0, 7.0 and Rule 3.00)
## (Notification III)

क्रमांक प्रशा-४/लपात/अधि-३/५१८५ (२)/२०१५.—Whereas, it has been decided to delineate the Area of Operation of Water Users Associations (WUAs) on volumetric basis and as per administrative Convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005. I, U. V. Siddhamal, Executive Engineer, Neera Right Bank Canal Division, Phaltan, district Satara hereby delineate the areas of Operation of following WUA's and direct that the certified copy of the updated map and list of landholders and/or occupiers of said WUA's shall be displayed on the notice board of the offices of concerned Grampanchayat, Tahsil office, Irrigation Sections Sub-Division and Division and other prominent public places.

I, U. V. Siddhamal, Executive Engineer also hereby declare that no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual or occupier of such land and the system of supply of water through Water Users Association shall binding on all the holders and occupiers of the lands under Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act-2005.

Any Person affected by this Notification or part thereof, may file an appeal before Superintending Engineer, Pune Irrigation Circle, Punewithin 30 days from the date of Publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette.

**Schedule 'A'**

Division : Neera Right Bank Canal Division Phaltan, taluka Phaltan, district Satara.

Sub-Division : Phaltan Irrigation Sub-Division, Phaltan, taluka Phaltan, district Satara.

Name of the Project : M. I. Tank at Kurawali (Kh.), taluka Phaltan, district Satara.

Area Notified : 147.00 Ha.
No. of villages : 1-Kurawali (Kh.), taluka Phaltan, district Satara.

Description of area notified : Main Canal k.m. No. 0 to 3.

Name and address of WUA (Existing/Proposed) : Proposed Water Users Assocation, Kurawali (Kh.) (Existing and Proposed)

**Details of Area Notified**

**District Satara, taluka Phaltan**

| Name of Village | Irrigable Area Notified (As per Schedule B) | |
|---|---|---|
| | Gat Nos. | Area |
| 1 | 2 | 3 |
| | | (Ha.) |
| Kurawali (Kh.) | 89 | 147.00 |
| **Total** | **89** | **147.00** |

**Schedule-B**

**District Satara, taluka Phaltan, village Kurawali (Kh.)**

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| 1 | 1 | - |
| 2 | 2 | - |

**Schedule-B—*contd.***

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| 3 | 3 | 0.89 |
| 4 | 4 | 3.1 |
| 5 | 5 | 1.89 |
| 6 | 6 | 1.58 |
| 7 | 7 | 2.03 |
| 8 | 14 | 0.38 |
| 9 | 15 | 0.38 |
| 10 | 16 | 0.25 |
| 11 | 17 | 1.52 |
| 12 | 18 | 1.24 |
| 13 | 19 | 4.17 |
| 14 | 20 | - |
| 15 | 21 | 1.33 |
| 16 | 22 | 0.39 |
| 17 | 23 | 0.39 |
| 18 | 27 | 5.71 |
| 19 | 28 | 0.56 |
| 20 | 29 | 0.25 |
| 21 | 30 | 4.36 |
| 22 | 31 | 1.05 |
| 23 | 32 | 1.02 |
| 24 | 33 | 0.61 |
| 25 | 34 | 0.81 |
| 26 | 35 | 0.57 |
| 27 | 36 | 1.15 |
| 28 | 37 | 3.08 |
| 29 | 38 | 3.13 |
| 30 | 39 | 1.96 |
| 31 | 40 | 1.88 |
| 32 | 41 | 3.97 |
| 33 | 42 | 1.52 |
| 34 | 43 | 6.13 |
| 35 | 44 | 2.82 |
| 36 | 45 | 3.39 |
| 37 | 46 | 2.53 |
| 38 | 47 | 0.61 |
| 39 | 75 | 11.45 |
| 40 | 79 | 1.54 |
| 41 | 80 | 3.46 |
| 42 | 81 | 0.27 |
| 43 | 82 | 0.49 |

**Schedule-B—*contd.***

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| 44 | 83 | 2.66 |
| 45 | 84 | 3.88 |
| 46 | 85 | 1.81 |
| 47 | 86 | 1.62 |
| 48 | 87 | 1.75 |
| 49 | 88 | 4.9 |
| 50 | 301 | 0.59 |
| 51 | 302 | 0.56 |
| 52 | 303 | 0.58 |
| 53 | 304 | 0.67 |
| 54 | 305 | 0.61 |
| 55 | 306 | 1.1 |
| 56 | 307 | 0.56 |
| 57 | 308 | 0.58 |
| 58 | 309 | 0.19 |
| 59 | 310 | 0.24 |
| 60 | 311 | 0.51 |
| 61 | 312 | - |
| 62 | 313 | 0.20 |
| 63 | 314 | 0.59 |
| 64 | 315 | 0.36 |
| 65 | 316 | 0.36 |
| 66 | 317 | 0.56 |
| 67 | 318 | 0.35 |
| 68 | 319 | 0.66 |
| 69 | 320 | 0.94 |
| 70 | 321 | 0.04 |
| 71 | 322 | 1.31 |
| 72 | 324 | 0.58 |
| 73 | 325 | 4.78 |
| 74 | 328 | 0.44 |
| 75 | 332 | 4.39 |
| 76 | 333 | 3.78 |
| 77 | 334 | 0.05 |
| 78 | 335 | 0.92 |
| 79 | 336 | 3.15 |
| 80 | 337 | 7.38 |
| 81 | 338 | 2.84 |
| 82 | 339 | 0.38 |
| 83 | 340 | 2.60 |
| 84 | 341 | 0.65 |

**Schedule-B—*contd.***

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| 85 | 342 | 0.11 |
| 86 | 343 | 0.96 |
| 87 | 345 | 0.63 |
| 88 | 347 | 0.63 |
| 89 | 348 | 0.69 |
| **Total** | **89** | **147.00** |

**U. V. SIDDHAMAL,**
Executive Engineer,
Neera Right Bank Canal Division,
Phaltan, district Satara.

Phaltan, 16th Setember 2015.

---

**अधिसूचना ३**

*महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा, २००५*
*(पहा कायद्याचे कलम ५.०, ६.०, ७.०)*
*(पहा नियम क्रमांक ३.०)*

क्रमांक प्रशा-४/लपात/अधि-३/५१८५ (३)/२०१५.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ५.०, ६.०, ७.० व नियम क्रमांक ३.० नुसार असा निर्णय झाला आहे की, पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी, उ. वि. सिद्धमल, कार्यकारी अभियंता, नीरा उजवा कालवा, विभाग फलटण, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांचे अद्ययावत नकाशांच्या प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि/किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे ;

मी, उ. वि. सिद्धमल, कार्यकारी अभियंता असेही जाहीर करतो की, यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांच्या जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम-२००५ या खाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटाधारकांवर पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा घेणे बंधनकारक असेल.

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन महाराष्ट्र शासन राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे यांचेकडे अपील दाखल करता येईल.

**अनुसूची-अ**

विभाग : नीरा उजवा कालवा, विभाग फलटण, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

उपविभाग : फलटण पाटबंधारे उपविभाग, फलटण, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे तलाव, बरड, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

अधिसूचित केलेले क्षेत्र : ११६.१२ हे.

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील : मुख्य कालवा कि. मी. क्रमांक ० ते २

गावांची संख्या : १-बरड, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

पाणीवापर संस्थेचे नाव व पत्ता (कार्यान्वित/प्रस्तावित) : प्रस्तावित पाणीवापर संस्था, बरड, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा.

**अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील**

**जिल्हा सातारा, तालुका फलटण**

| गाव | | अधिसूचित केलेले क्षेत्र (अनुसूची 'ब' प्रमाणे) | |
|---|---|---|---|
| | | गट संख्या | क्षेत्र |
| १ | | २ | ३ |
| | | | हे. आर |
| बरड | | २३४ | ११६.१२ |
| | **एकूण** | **२३४** | **११६.१२** |

**अनुसूची-ब**

**जिल्हा सातारा, तालुका फलटण, गाव बरड**

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| १ | ८८९ | ०.२० |
| २ | ८९७ | १.४० |
| ३ | ९०१/१ | ०.३० |
| ४ | ९०१/२ | ०.३० |
| ५ | ९०२ | ०.२२ |
| ६ | ९०४ | ०.६० |
| ७ | ९०५ | ०.२५ |
| ८ | ९०६ | ०.४० |
| ९ | ९०७ | ०.३० |
| १० | ९०८ | ०.३५ |

अनुसूची-ब--चालू

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| ११ | ९०९ | ०.२५ |
| १२ | ९१० | ०.४५ |
| १३ | ९१०/१ | ०.१५ |
| १४ | ९११/२ | ०.१५ |
| १५ | ९१२ | ०.३० |
| १६ | ९१३/१ | ०.१५ |
| १७ | ९१३/२ | ०.४० |
| १८ | ९१३/ब | ०.३५ |
| १९ | ९१५ | ०.४० |
| २० | ९१६ | ०.१० |
| २१ | ९१७ | ०.१० |
| २२ | ९१८ | ०.४० |
| २३ | ९१९ | ०.२० |
| २४ | ९२० | ०.४८ |
| २५ | ९२१ | ०.२१ |
| २६ | ९२२ | ०.१५ |
| २७ | ९२३ | ०.१० |
| २८ | ९२४ | ०.०५ |
| २९ | ९२५ | ०.०५ |
| ३० | ९२६ | ०.६० |
| ३१ | ९२७ | ०.१० |
| ३२ | ९२८ | ०.३० |
| ३३ | ९२८/२ | ०.२० |
| ३४ | ९३५ | ०.५० |
| ३५ | ९३६ | ०.३० |
| ३६ | ९३८ | ०.५८ |
| ३७ | ९३९ | ०.२४ |
| ३८ | ९४२ | ०.१२ |
| ३९ | ९४३ | ०.६५ |
| ४० | ९४४ | ०.६५ |
| ४१ | ९४६ | १.८० |
| ४२ | ९४७ | १.५० |
| ४३ | ९४९ | १.२० |
| ४४ | ९५० | १.३५ |
| ४५ | ९५१ | १.२० |

अनुसूची-ब--चालू

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| ४६ | ९५२ | १.३९ |
| ४७ | ९५३ | २.१० |
| ४८ | ९५५ | ०.०७ |
| ४९ | ९५६ | ०.१९ |
| ५० | ९५७ | ०.११ |
| ५१ | ९५८ | ०.१२ |
| ५२ | ९५९ | ०.१३ |
| ५३ | ९६० | ०.०६ |
| ५४ | ९६१ | ०.०६ |
| ५५ | ९६२ | ०.१५ |
| ५६ | ९६३ | ०.१७ |
| ५७ | ९६४ | ०.५० |
| ५८ | ९६५ | ०.१२ |
| ५९ | ९६६ | ०.२३ |
| ६० | ९६७ | ०.१३ |
| ६१ | ९६८ | ०.१५ |
| ६२ | ९६९ | ०.३३ |
| ६३ | ९७० | ०.१२ |
| ६४ | ९७१ | ०.३० |
| ६५ | ९७२ | ०.४८ |
| ६६ | ९७३ | २.५३ |
| ६७ | ९७४ | ०.३३ |
| ६८ | ९७५ | ०.३१ |
| ६९ | ९७६ | ०.३१ |
| ७० | ९७७ | ०.२२ |
| ७१ | ९७८ | १.४० |
| ७२ | ९७९ | ०.१९ |
| ७३ | ९८० | ०.२९ |
| ७४ | ९८१ | ०.३० |
| ७५ | ९८२ | ०.९६ |
| ७६ | ९८४ | ०.४३ |
| ७७ | ९८५ | ०.१३ |
| ७८ | ९८६ | ०.१२ |
| ७९ | ९८७ | ०.२५ |
| ८० | ९८८ | ०.४३ |

अनुसूची-ब--चालू

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| ८१ | ९८९ | ०.३६ |
| ८२ | ९९० | ०.२९ |
| ८३ | ९९१ | ०.०८ |
| ८४ | ९९२ | ०.०९ |
| ८५ | ९९३ | ०.०९ |
| ८६ | ९९४ | ०.२३ |
| ८७ | ९९५ | ०.२१ |
| ८८ | ९९६ | ०.०९ |
| ८९ | ९९७ | ०.१० |
| ९० | ९९८ | ०.१३ |
| ९१ | ९९९ | ०.१२ |
| ९२ | १००० | ०.१८ |
| ९३ | १००१ अ | ०.२६ |
| ९४ | १००१ ब | ०.३१ |
| ९५ | १००२ | ०.४१ |
| ९६ | १००३ | ०.३० |
| ९७ | १००४ | ०.२४ |
| ९८ | १००५ | ०.२९ |
| ९९ | १००६ | ०.१५ |
| १०० | १००७ | ०.१० |
| १०१ | १००८ | ०.३७ |
| १०२ | १००९ | ०.१३ |
| १०३ | १०१०/अ | ०.३५ |
| १०४ | १०१०/ब | ०.७३ |
| १०५ | १०१०/क | १.२३ |
| १०६ | १०१२/अ | ०.१२ |
| १०७ | १०१२/ब | ०.१५ |
| १०८ | १०१३ | ०.१० |
| १०९ | १०१४ | ०.२३ |
| ११० | १०१५ | ०.१२ |
| १११ | १०१५/अ | ०.१० |
| ११२ | १०१६ | ०.१९ |
| ११३ | १०१७ | ०.०९ |
| ११४ | १०१७/ब | ०.१३ |
| ११५ | १०१८ | ०.३९ |

अनुसूची-ब--चालू

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| ११६ | १०१९/अ | ०.८१ |
| ११७ | १०१९/ब | ३.२५ |
| ११८ | १०२०/अ | ०.२४ |
| ११९ | १०२०/ब | १.४५ |
| १२० | १०२१ | ०.०५ |
| १२१ | १०२२ | ०.३७ |
| १२२ | १०२५ | ०.१० |
| १२३ | १०२६ | ०.०६ |
| १२४ | १०२७ | ०.०७ |
| १२५ | १०२८ | ०.०७ |
| १२६ | १०३० | ०.४५ |
| १२७ | १०३१ | ०.५९ |
| १२८ | १०३२ | ०.५७ |
| १२९ | १०३३ | ०.१५ |
| १३० | १०३४ | ०.१२ |
| १३१ | १०३५ | ०.१३ |
| १३२ | १०३६ | ०.१५ |
| १३३ | १०३७ | ०.३३ |
| १३४ | १०३८ | ०.२८ |
| १३५ | १०४० | १.०९ |
| १३६ | १०४१ | ०.३९ |
| १३७ | १०४२ | ०.७४ |
| १३८ | १०४३ | ०.२५ |
| १३९ | १०४४ | ०.१९ |
| १४० | १०४५ | ०.२१ |
| १४१ | १०७० | २.२१ |
| १४२ | १०७१ | ०.५० |
| १४३ | १०७२ | १.४६ |
| १४४ | १०७५ | ०.२५ |
| १४५ | १०७६ | ०.४० |
| १४६ | १०७७ | १.५१ |
| १४७ | १०७८ | ०.२६ |
| १४८ | १०७९ | ०.२६ |
| १४९ | १०८० | ०.३५ |
| १५० | १०८१ | ०.६१ |

अनुसूची-ब--चालू

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| १५१ | १०८२ | १.६० |
| १५२ | १०८३ | १.७० |
| १५३ | १०८४ | ०.५० |
| १५४ | १०८४/२ | ०.३० |
| १५५ | १०८५ | ०.८० |
| १५६ | १०८६ | ०.६० |
| १५७ | १०८७/१ | ०.३० |
| १५८ | १०८७/२ | ०.३० |
| १५९ | १०८७/३ | ०.३० |
| १६० | १०९९ | ०.२० |
| १६१ | ११००/१ | ०.३० |
| १६२ | ११००/२ | ०.२० |
| १६३ | ११०१ | ०.५५ |
| १६४ | ११०२/अ | ०.४० |
| १६५ | ११०२/ब | २.५० |
| १६६ | ११०३ | ०.४० |
| १६७ | ११०६ | ०.२५ |
| १६८ | ११०७ | ०.३० |
| १६९ | ११०८ | ०.६० |
| १७० | १११० | ०.८० |
| १७१ | १११२ | ०.२० |
| १७२ | १११३ | ०.२० |
| १७३ | १११४ | ०.१० |
| १७४ | १११५ | ०.०५ |
| १७५ | १११६ | ०.२० |
| १७६ | १११७ | ०.७८ |
| १७७ | १११८ | १.०४ |
| १७८ | १११९ | १.७२ |
| १७९ | ११२० | ०.१२ |
| १८० | ११२२ | ०.०९ |
| १८१ | ११२३ | ०.२० |
| १८२ | ११३३ | ०.९० |
| १८३ | ११३४ | ५.९४ |
| १८४ | ११३६ | ०.२० |
| १८५ | ११४२ | ०.१५ |

अनुसूची-ब--चालू

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| १८६ | ११४३ | ०.१५ |
| १८७ | ११४४/अ/१ | ०.०५ |
| १८८ | ११४४/अ/२ | ०.०५ |
| १८९ | ११४४/अ/१ ब | ०.१० |
| १९० | ११४४/अ/१ क | ०.१० |
| १९१ | ११४४/ब | ०.२५ |
| १९२ | ११४५/अ | ०.०६ |
| १९३ | ११४५/ब | ०.१० |
| १९४ | ११४६/ब | ०.०५ |
| १९५ | ११४६/ब | ०.०५ |
| १९६ | ११४६/ब १ | ०.१० |
| १९७ | ११४७ | १.९१ |
| १९८ | ११४८/१ | ०.४० |
| १९९ | ११४८/२ | ०.३० |
| २०० | ११५० | ०.८० |
| २०१ | ११५१ | ०.८० |
| २०२ | ११५२/१ | ०.४५ |
| २०३ | ११५२/२ | ०.४५ |
| २०४ | ११७९ | ०.३० |
| २०५ | ११८० | ०.०३ |
| २०६ | ११८१ | ०.२० |
| २०७ | ११८२ | ०.१० |
| २०८ | ११८३ | ०.१० |
| २०९ | ११८४ | ०.४० |
| २१० | ११८९ | ०.२५ |
| २११ | ११९० | ०.२३ |
| २१२ | ११९१ | ०.३८ |
| २१३ | ११९२ | १.५३ |
| २१४ | ११९३ | ०.६७ |
| २१५ | ११९७ | ०.१९ |
| २१६ | ११९८ | ०.७३ |
| २१७ | १२०० | १.२० |
| २१८ | १२०१ | १.३५ |
| २१९ | १२०२ | २.८७ |
| २२० | १४०४ | ०.५३ |

अनुसूची-ब--चालू

| अ. क्र. | गट नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| २२१ | १२०६ | ०.५६ |
| २२२ | १२०७ | ०.६३ |
| २२३ | १२०८ | ०.३५ |
| २२४ | १२१० | ०.३६ |
| २२५ | १२११ | ०.८१ |
| २२६ | १२१२ | १.३६ |
| २२७ | १२१३ | १.२० |
| २२८ | १२१४ | ०.२४ |
| २२९ | १२१५ | ०.४५ |
| २३० | १२१६ | ०.३१ |
| २३१ | १२१७ | ०.४३ |
| २३२ | १२१८ | १.४८ |
| २३३ | १२१९ | २.१२ |
| २३४ | १२२० | ०.२६ |
| **एकूण** | **२३४** | **११६.१२** |

**उ. वि. सिद्धमल,**
कार्यकारी अभियंता,
नीरा उजवा कालवा, विभाग फलटण,
जिल्हा सातारा.

फलटण, १६ सप्टेंबर २०१५.

---

## MMISF ACT, 2005
## (*See* Sections 5.0, 6.0, 7.0 and Rule 3.00)
## (Notification III)

क्रमांक प्रशा-४/लपात/अधि-३/५१८५ (३)/२०१५.—Whereas, it has been decided to delineate the Area of Operation of Water Users Associations (WUAs) on volumetric basis and as per administrative convenience under Sections 5, 6, 7 and Rule 3 of the MMISF Act, 2005 I, U. V. Siddhamal, Executive Engineer, Neera Right Bank Canal Division, Phaltan, district Satara hereby delineate areas of Operation of following WUA's and direct that the certified copy of the updated map and list of landholders and/or occupiers of said WUA's shall be displayed on the notice board of the offices of concerned Grampanchayat, Tahsil office, Irrigation Sections, Sub-Division and Division and at other prominent public places.

I, U. V. Siddhamal, Executive Engineer also hereby declare that no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual or occupier of such land and the system of supply of water through Water Users Association shall binding on all the holders and occupiers of the lands under Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act-2005.

Any Person affected by this Notification or part thereof, may file an appeal before Superintending Engineer, Pune Irrigation within 30 days from the date of Publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette.

**Schedule 'A'**

Division : Neera Right Bank Canal Division Phaltan, taluka Phaltan, district Satara.

Sub-Division : Phaltan Irrigation Sub-Division, Phaltan, taluka Phaltan, district Satara.

Name of the Project : M. I. Tank at Barad, taluka Phaltan, district Satara.

Area Notified : 116.12 Ha.
No. of villages : 1-Barad,
taluka Phaltan, district Satara.

Description of area notified : Main Canal k.m. No. 0 to 2.00.

Name and address of WUA (Existing/Proposed) : Proposed Water Users Assocation, Barad

**Details of Area Notified**

**District Satara, taluka Phaltan**

| Name of Village | Irrigable Area Notified (As per Schedule B) | |
|---|---|---|
| | Gat Nos. | Area |
| 1 | 2 | 3 |
| | | (Ha.) |
| Barad | 234 | 116.12 |
| **Total** | **234** | **116.12** |

**Schedule-B**

**District Satara, taluka Phaltan, village Barad**

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| 1 | 889 | 0.20 |
| 2 | 897 | 1.40 |

**Schedule-B**—*contd.*

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| 3 | 901/1 | 0.30 |
| 4 | 901/2 | 0.30 |
| 5 | 902 | 0.22 |
| 6 | 904 | 0.60 |
| 7 | 905 | 0.25 |
| 8 | 906 | 0.40 |
| 9 | 907 | 0.30 |
| 10 | 908 | 0.35 |
| 11 | 909 | 0.25 |
| 12 | 910 | 0.45 |
| 13 | 910/1 | 0.15 |
| 14 | 911/2 | 0.15 |
| 15 | 912 | 0.30 |
| 16 | 913/1 | 0.15 |
| 17 | 913/2 | 0.40 |
| 18 | 913/B | 0.35 |
| 19 | 915 | 0.40 |
| 20 | 916 | 0.10 |
| 21 | 917 | 0.10 |
| 22 | 918 | 0.40 |
| 23 | 919 | 0.20 |
| 24 | 920 | 0.48 |
| 25 | 921 | 0.21 |
| 26 | 922 | 0.15 |
| 27 | 923 | 0.10 |
| 28 | 924 | 0.05 |
| 29 | 925 | 0.05 |
| 30 | 926 | 0.60 |
| 31 | 927 | 0.10 |
| 32 | 928 | 0.30 |
| 33 | 928/2 | 0.20 |
| 34 | 935 | 0.50 |
| 35 | 936 | 0.30 |
| 36 | 938 | 0.58 |
| 37 | 939 | 0.24 |
| 38 | 942 | 0.12 |
| 39 | 943 | 0.65 |
| 40 | 944 | 0.65 |
| 41 | 946 | 1.80 |
| 42 | 947 | 1.50 |
| 43 | 949 | 1.20 |

**Schedule-B**—*contd.*

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| 44 | 950 | 1.35 |
| 45 | 951 | 1.20 |
| 46 | 952 | 1.39 |
| 47 | 953 | 2.10 |
| 48 | 955 | 0.07 |
| 49 | 956 | 0.19 |
| 50 | 957 | 0.11 |
| 51 | 958 | 0.12 |
| 52 | 959 | 0.13 |
| 53 | 960 | 0.06 |
| 54 | 961 | 0.06 |
| 55 | 962 | 0.15 |
| 56 | 963 | 0.17 |
| 57 | 964 | 0.50 |
| 58 | 965 | 0.12 |
| 59 | 966 | 0.23 |
| 60 | 967 | 0.13 |
| 61 | 968 | 0.15 |
| 62 | 969 | 0.33 |
| 63 | 970 | 0.12 |
| 64 | 971 | 0.30 |
| 65 | 972 | 0.48 |
| 66 | 973 | 2.53 |
| 67 | 974 | 0.33 |
| 68 | 975 | 0.31 |
| 69 | 976 | 0.31 |
| 70 | 977 | 0.22 |
| 71 | 978 | 1.40 |
| 72 | 979 | 0.19 |
| 73 | 980 | 0.29 |
| 74 | 981 | 0.30 |
| 75 | 982 | 0.96 |
| 76 | 984 | 0.43 |
| 77 | 985 | 0.13 |
| 78 | 986 | 0.12 |
| 79 | 987 | 0.25 |
| 80 | 988 | 0.43 |
| 81 | 989 | 0.36 |
| 82 | 990 | 0.29 |
| 83 | 991 | 0.08 |
| 84 | 992 | 0.09 |

**Schedule-B**—*contd.*

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| 85 | 993 | 0.09 |
| 86 | 994 | 0.23 |
| 87 | 995 | 0.21 |
| 88 | 996 | 0.09 |
| 89 | 997 | 0.10 |
| 90 | 998 | 0.13 |
| 91 | 999 | 0.12 |
| 92 | 1000 | 0.18 |
| 93 | 1001 A | 0.26 |
| 94 | 1001 B | 0.31 |
| 95 | 1002 | 0.41 |
| 96 | 1003 | 0.30 |
| 97 | 1004 | 0.24 |
| 98 | 1005 | 0.29 |
| 99 | 1006 | 0.15 |
| 100 | 1007 | 0.10 |
| 101 | 1008 | 0.37 |
| 102 | 1009 | 0.13 |
| 103 | 1010/A | 0.35 |
| 104 | 1010/B | 0.73 |
| 105 | 1010/C | 1.23 |
| 106 | 1012/A | 0.12 |
| 107 | 1012/B | 0.15 |
| 108 | 1013 | 0.10 |
| 109 | 1014 | 0.23 |
| 110 | 1015 | 0.12 |
| 111 | 1015/A | 0.10 |
| 112 | 1016 | 0.19 |
| 113 | 1017 | 0.09 |
| 114 | 1017/B | 0.13 |
| 115 | 1018 | 0.39 |
| 116 | 1019/A | 0.81 |
| 117 | 1019/B | 3.25 |
| 118 | 1020/A | 0.24 |
| 119 | 1020/B | 1.45 |
| 120 | 1021 | 0.05 |
| 121 | 1022 | 0.37 |
| 122 | 1025 | 0.10 |
| 123 | 1026 | 0.06 |
| 124 | 1027 | 0.07 |
| 125 | 1028 | 0.07 |

**Schedule-B**—*contd.*

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| 126 | 1030 | 0.45 |
| 127 | 1031 | 0.59 |
| 128 | 1032 | 0.57 |
| 129 | 1033 | 0.15 |
| 130 | 1034 | 0.12 |
| 131 | 1035 | 0.13 |
| 132 | 1036 | 0.15 |
| 133 | 1037 | 0.33 |
| 134 | 1038 | 0.28 |
| 135 | 1040 | 1.09 |
| 136 | 1041 | 0.39 |
| 137 | 1042 | 0.74 |
| 138 | 1043 | 0.25 |
| 139 | 1044 | 0.19 |
| 140 | 1045 | 0.21 |
| 141 | 1070 | 2.21 |
| 142 | 1071 | 0.50 |
| 143 | 1072 | 1.46 |
| 144 | 1075 | 0.25 |
| 145 | 1076 | 0.40 |
| 146 | 1077 | 1.51 |
| 147 | 1078 | 0.26 |
| 148 | 1079 | 0.26 |
| 149 | 1080 | 0.35 |
| 150 | 1081 | 0.61 |
| 151 | 1082 | 1.60 |
| 152 | 1083 | 1.70 |
| 153 | 1084 | 0.50 |
| 154 | 1084/2 | 0.30 |
| 155 | 1085 | 0.80 |
| 156 | 1086 | 0.60 |
| 157 | 1087/1 | 0.30 |
| 158 | 1087/2 | 0.30 |
| 159 | 1087/3 | 0.30 |
| 160 | 1099 | 0.20 |
| 161 | 1100/1 | 0.30 |
| 162 | 1100/2 | 0.20 |
| 163 | 1101 | 0.55 |
| 164 | 1102/A | 0.40 |
| 165 | 1102/B | 2.50 |
| 166 | 1103 | 0.40 |

**Schedule-B**—*contd.*

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| 167 | 1106 | 0.25 |
| 168 | 1107 | 0.30 |
| 169 | 1108 | 0.60 |
| 170 | 1110 | 0.80 |
| 171 | 1112 | 0.20 |
| 172 | 1113 | 0.20 |
| 173 | 1114 | 0.10 |
| 174 | 1115 | 0.05 |
| 175 | 1116 | 0.20 |
| 176 | 1117 | 0.78 |
| 177 | 1118 | 1.04 |
| 178 | 1119 | 1.72 |
| 179 | 1120 | 0.12 |
| 180 | 1122 | 0.09 |
| 181 | 1123 | 0.20 |
| 182 | 1133 | 0.90 |
| 183 | 1134 | 5.94 |
| 184 | 1136 | 0.20 |
| 185 | 1142 | 0.15 |
| 186 | 1143 | 0.15 |
| 187 | 1144/A/1 | 0.05 |
| 188 | 1144/A/2 | 0.05 |
| 189 | 1144/A/1 B | 0.10 |
| 190 | 1144/A/1 C | 0.10 |
| 191 | 1144/B | 0.25 |
| 192 | 1145/A | 0.06 |
| 193 | 1145/B | 0.10 |
| 194 | 1146/B | 0.05 |
| 195 | 1146/B 1 | 0.05 |
| 196 | 1146/B 2 | 0.10 |
| 197 | 1147 | 1.91 |
| 198 | 1148/1 | 0.40 |
| 199 | 1148/2 | 0.30 |
| 200 | 1150 | 0.80 |
| 201 | 1151 | 0.80 |
| 202 | 1152/1 | 0.45 |
| 203 | 1152/2 | 0.45 |
| 204 | 1179 | 0.30 |

**Schedule-B**—*contd.*

| Sr. No. | Gat No. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. A. |
| 205 | 1180 | 0.03 |
| 206 | 1181 | 0.20 |
| 207 | 1182 | 0.10 |
| 208 | 1183 | 0.10 |
| 209 | 1184 | 0.40 |
| 210 | 1189 | 0.25 |
| 211 | 1190 | 0.23 |
| 212 | 1191 | 0.38 |
| 213 | 1192 | 1.53 |
| 214 | 1193 | 0.67 |
| 215 | 1197 | 0.19 |
| 216 | 1198 | 0.73 |
| 217 | 1200 | 1.20 |
| 218 | 1201 | 1.35 |
| 219 | 1202 | 2.87 |
| 220 | 1404 | 0.53 |
| 221 | 1206 | 0.56 |
| 222 | 1207 | 0.63 |
| 223 | 1208 | 0.35 |
| 224 | 1210 | 0.36 |
| 225 | 1211 | 0.81 |
| 226 | 1212 | 1.36 |
| 227 | 1213 | 1.20 |
| 228 | 1214 | 0.24 |
| 229 | 1215 | 0.45 |
| 230 | 1216 | 0.31 |
| 231 | 1217 | 0.43 |
| 232 | 1218 | 1.48 |
| 233 | 1219 | 2.12 |
| 234 | 1220 | 0.26 |
| **Total** | **234** | **116.12** |

**U. V. SIDDHAMAL,**
Executive Engineer,
Neera Right Bank Canal Division,
Phaltan, district Satara.

Phaltan, 16th September 2015.

## पुणे महापालिका आयुक्त यांजकडून

## पुणे महानगरपालिका, पुणे

*महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना, अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये.*

### *जाहीर प्रकटन*

क्रमांक झोन-१/२७९५/२०१६.--ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र क्रमांक टीपीएस-१८०६/२१२५/प्र. क्र. ११९३/२००८/नवि-१३, दिनांक १७ मे २००८ अन्वये सन २००५ पैकी, २३ गावांचे प्रारूप विकास आराखड्यातील रस्त्यांना महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. तसेच शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८०८/२४७/प्र. क्र. १४०८/विनिनि/मंजुरी/नवि-१३, दिनांक २ मार्च २०१२ अन्वये नियोजन गट क्रमांक २ ते १० भागश: उर्वरित समाविष्ट गावांची विकास योजना सारभूत स्वरूपाचे फेरबदलासह शासनाने मंजुरी दिली आहे. ज्याअर्थी, उक्त मंजूर आराखड्यात पुणे-आळंदी रस्ता मौजे कळस हद्दीमध्ये सर्व्हे नंबर ११६, ११७, ११८, ११९, ९०, ८९ व सर्व्हे नंबर ८३-ब, ८३-अ या मिळकती प्रस्तावित ६० मीटर विकास योजना रस्त्याने बाधित होत आहे आणि ज्याअर्थी, या मिळकतीमध्ये नागरिक बेघर होऊन त्यांना विस्थापित करावे लागणार आहे. त्याअर्थी, उक्त प्रस्तावित रस्त्याची आखणी ही संरक्षण खात्याचे जागेमध्ये बदलण्यास पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेने ठराव क्रमांक ११२, दिनांक २० ऑगस्ट २०१५ अन्वये मान्यता दिलेली आहे.

### मान्य विकास आराखड्यातील प्रस्तावित ६० मीटर विकास योजना रस्त्याची आखणी

मौजे कळस सर्व्हे नंबर ११६, ११७, ११८, ११९, ९०, ८९ या मिळकतीतील रस्त्याची आखणी करणे.

मौजे कळस सर्व्हे नंबर ८३-ब, ८३-अ मिळकतीतील रस्त्याची आखणी करणे.

### प्रस्तावित बदल

६० मीटर विकास योजना रस्त्याची संपूर्ण आखणी पूर्वेकडील संरक्षण खात्याच्या जमिनीत करणे.

६० मीटर विकास योजना रस्त्याची संपूर्ण आखणी पश्चिमेकडील संरक्षण खात्याच्या जमिनीत करणे.

उपरोक्त बदलाबाबत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवित आहे. नागरिकांनी त्यांच्या हरकती व सूचना शहर अभियंता कार्यालय, पुणे महानगरपालिका भवन, खोली नंबर ११४, शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५ येथे लेखी स्वरूपात कराव्यात. सदर नोटीस प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० (तीस) दिवसांच्या आत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचाच विचार केला जाईल. सुचविलेल्या बदलामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांनी विनंती केल्यास त्याचे म्हणणे शहर अभियंता, पुणे महानगरपालिका भवन हे कार्यालयीन भेटीचे वेळेत ऐकूण घेतील.

**कुणाल कुमार,**
महापालिका आयुक्त,
पुणे महानगरपालिका, पुणे.

पुणे, १९ जानेवारी २०१६.

---

## PUNE MUNICIPAL CORPORATION

*As per Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Section 37* (1).

क्रमांक झोन-१/२७९५/२०१६.— As per Maharashtra State Government Gazzette No. TPS-1866/2125/1193/2008/UD-13, dated 17th May 2008, Maharashtra Government has given sanction for proposed Development Plan for newly merged 23 villages along with roads. Further as per Government Order No. TPS-1808/247/1408/VNN/Sanction/UD-13, dated 2rd March 2012 for planning unit No. 2 to 10 (pt.) has given sanction along with Development Plan with major changes. And as per this sanction plan, in Mauje Kalas for S. Nos. 116, 117, 118,119, 90, 89 and S. No. 83-B, 83-A, the properties are affected by proposed 60 mtrs. wide Development Plan road. So in those mentioned S. Nos. the local citizens are displaced from their own properties. So Hon. General Body has passed a Resolution No. 112, dated 20th August 2015 to shift the proposed 60 mtrs. wide road in the premises of defence land.

### As per sanction D. P. Plan the alignment of proposed 60 mtrs. wide D. P. road.

Passing through Mauje Kalas S. Nos.116, 117, 118, 119, 90, 89 and S. Nos. 83-B, 83-A.

Passing throuth Majue Kalas S. Nos. 83-B, 83-A.

### Proposed Changes

The total alignment of partly 60 mtrs. wide D. P. road is to be shifted in Eastern part of defence land.

The total alignment of partly 60 mtrs. wide D. P. road is to be shifted in Western part of defence land.

The above mentioned proposed Development Plan is available for Citizens in City Engineers Offices, Pune Municipal Corporation building, Pune.

For above mention proposed changes, the suggestions and objections, if any are invited from the citizens. The citizens are requested to submit their return suggestions and objections if any to the City Engineer Office room No. 114, Pune Municipal Corporation, main building Shivajinagar, Pune-411 005 with in 30 days.

The suggestions and objections received from the citizens received within 30 days, from the publication of notice will only be considered.

Due to proposed mention changes, the affected persons can meet City Engineer Office, Pune Municipal Corporation main building Shivajinagar, Pune-411 005 for hearing by due written request in office time.

**KUNAL KUMAR,**
Municipal Commissioner,
Pune Municipal Corporation,
Pune.

Pune, 19th January 2016.

---

## पुणे महानगरपालिका, पुणे

*जाहीर प्रकटन*

क्रमांक मावजसंका/१३९३/२०१६.--मे. उच्च न्यायालय मुंबई येथील रिट पिटीशन क्रमांक ११८४८/२०१३ मधील दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ रोजीचे निकालानुसार पुणे पेठ धनकवडी सर्व्हे नंबर २९/१/२/४, चैतन्य नगर येथील मिळकतीच्या ओपन स्पेसवर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ *(१)* अन्वये उद्यान आरक्षित करणेची कार्यवाही करणेबाबत आदेश दिलेले आहेत.

यास अनुसरून मा. महानगपालिका सभा ठराव क्रमांक ६५१, दिनांक १८ डिसेंबर २०१५ नुसार उद्यान आरक्षित करणेची कार्यवाहीसाठी जाहीर प्रकटन देणेस मान्यता प्राप्त झालेली आहे. या ठरावानुसार खालीलप्रमाणे परिशिष्ट-१ नुसार उक्त नवीन समाविष्ट गावाच्या विकास आराखड्यापैकी प्लॅनिंग युनिट क्रमांक ५ मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम ॲक्ट १९६६ चे कलम ३७ *(१)* नुसार उद्यान आरक्षित करण्याचा पुणे महानगरपालिका विचार करीत आहे.

### परिशिष्ट-१

पुणे महानगरपालिका नवीन समाविष्ट गावांचे मंजूर विकास आराखड्यापैकी प्लॅनिंग युनिट क्रमांक ५ मधील धनकवडी सर्व्हे नंबर २९/१/२/४, चैतन्यनगर येथील भूअभिन्यासातील मोकळी जागा उपलब्ध आहे. सदर जागेवर उद्यानाचे आरक्षण टाकणेबाबत मे. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट पिटीशन क्रमांक ११८४८/२०१३ मध्ये दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ रोजी आदेश प्राप्त झालेले आहेत. मान्य विकास आराखड्यानुसार सदर भागात नागरिकांकरिता सार्वजनिक उद्यानाचे आरक्षण नाही. त्यामुळे या भागात राहणाऱ्या नागरिकांचे हितासाठी मे. उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार व मा. महापालिकेस ठराव क्रमांक ६५१, दिनांक १८ डिसेंबर २०१५ अन्वये ८०००.०० चौ. मी. जागा उद्यानासाठी आरक्षित करण्याचे प्रयोजन आहे.

उपरोक्तप्रमाणे परिशिष्ट-१ अनुसार पुणे महानगरपालिकेच्या नवीन समाविष्ट गावांचे मंजूर विकास आराखड्यापैकी प्लॅनिंग युनिट क्रमांक ५ मध्ये मौजे धनकवडी सर्व्हे नंबर २९/१/२/४ चैतन्यनगर येथील भूअभिन्यासातील मोकळ्या जागेवर (ओपन स्पेस) उद्यान आरक्षण टाकणेकरिता नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात येत आहेत. नागरिकांनी त्यांच्या हरकती व सूचना मा. शहर अभियंता, पुणे महानगरपालिका, बांधकाम विकास विभाग कार्यालय, महापालिका भवन, शिवाजीनगर, पुणे ४११ ००५ येथे लेखी स्वरूपात दाखल कराव्यात. सदर नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीस (३०) दिवसांच्या आत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचाच विचार केला जाईल.

**कुणाल कुमार,**
महापालिका आयुक्त,
पुणे महानगरपालिका, पुणे.

पुणे, १९ जानेवारी २०१६.

---

## PUNE MUNICIPAL CORPORATION

क्रमांक मावजसंका/१३९३/२०१६.— Whereas the General Body of the Pune Municipal Corporation *vide* its Resolution No. 651, dated 18th December 2015 granted permission to Reserved the 8000.00 sq. mtrs. open space at Dhankawadi, S. No. 29/1/2/4, Chaitanyanagar for garden as per the Mumbai High Corut Order, dated 9th September 2015 in Writ Petition No. 11848/2013. As per the above said Resolution Pune Municipal Corporation intends to make the following minor modification in the approved Development Plan for the newly merged villages, Planning Unit No. 5 regarding reservation of land in Dhankawadi S. No. 29/1/2/4, Chaitanyanagar for garden as per the Appendix-1 below.—

### Appendix-1

It is hereby proposed to reserved the land admeasuring 8000.00 sq. mtrs. shown as open space of sanctioned layout of Chaitanyanagar in Survey Number 29/1/2/4, village Dhankawadi. The Development Plan for Planning Unit No. 5 which includes Dhankawadi has been approved by the State Government. The above modification has been proposed as per the order of the Honourable High Court in the Writ Pettion Number 11848/2013 and as per the Resolution number 651, dated 18th December 2015 passed by the General Body of Pune Municipal Corporation.

Pune Municipal Corporation invites suggestions and objections in writing from any person with respect to the proposed modification in the approved Development Plan of Planning Unit No. 5. The objections and suggestions shall be submitted to the office of the City Engineer, First floor, PMC main building, Shivajinagar, Pune-411 005 within period of Thirty (30) days

from the date of publication of this notice. Objections/suggestions received after the said period will not be considered.

**KUNAL KUMAR,**
Municipal Commissioner,
Pune Municipal Corporation,
Pune.

Pune, 19th January 2016.

---

## पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त यांजकडून

## पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे-४११ ०१८

*महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल.*

### *सूचना*

क्रमांक नरवि/कावि-१३/१४६/२०१५.--ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वाढीव हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८०५/१०५०/प्र. क्र. ७९५/०५/नवि-१३, दिनांक ३० मे २००८ अन्वये व महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८०८/८९४/प्र. क्र. १७२७/नवि-१३, दिनांक १८ ऑगस्ट २००९ अन्वये भागशः मंजूर आहे आणि ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका वाढीव हद्द वगळलेल्या भागाची विकास योजना (ईपी क्रमांक १ ते ११८) महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१२/१६०/प्र. क्र. ५८/१२/पुनर्बांधणी क्रमांक २७/१२/ईपी मंजुरी/नवि-१३, दिनांक २ मार्च २०१५ अन्वये मंजूर आहे (यापुढे "उक्त विकास योजना" म्हणून संबोधिलेली);

आणि, ज्याअर्थी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने मा. महापालिका सभा ठराव क्रमांक १२०२, दिनांक २० ऑक्टोबर २०११ नुसार मौजे चोविसावाडी व मौजे चऱ्होली येथील पुणे आळंदी रस्त्यापासून (चऱ्होली फाटा) ते चऱ्होली गावाकडे जाणारा ३०.०० मीटर रस्ता (नवीन सर्व्हे नंबर ५३४ पर्यंत) व मौजे चऱ्होली येथील नवीन सर्व्हे नंबर ५१७ पैकी ते नवीन सर्व्हे नंबर ५४१ पैकी मधील नियोजित ३०.०० मीटर रस्ता ४५.०० मीटर रुंदीचा करण्यास व त्यालगतच्या आरक्षणांच्या हद्दीत (मौजे चोविसावाडी येथील आरक्षण क्रमांक २/११-अग्निशामक केंद्र, आरक्षण क्रमांक २/१३-टेलिकॉम सेंटर, आरक्षण क्रमांक २/२१-शॉपिंग सेंटर कम मार्केट, आरक्षण क्रमांक २/२२-वाहनतळ, आरक्षण क्रमांक २/२३-रिटेल मार्केट, तसेच मौजे चऱ्होली येथील आरक्षण क्रमांक २/७३-प्राथमिक शाळा, आरक्षण क्रमांक २/६१-जकात नाका, आरक्षण क्रमांक २/६२-कॅटल शेड या आरक्षणाचे हद्दीत) फेरबदल करण्यास व तसेच मौजे मोशी व डुडूळगाव शिवेवरील १८.०० मीटर रस्ता ३०.०० मीटर रुंदीचा करण्याविषयी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे (यापुढे "उक्त अधिनियम" म्हणून संबोधित केला आहे) कलम ३७ अन्वये फेरबदलाची वैधानिक कार्यवाही करून फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास पत्र क्रमांक नरवि/कावि-१२/६७/१३, दिनांक १० नोव्हेंबर २०१३ अन्वये मंजुरीस्तव सादर केला आहे (यापुढे "शासनास सादर फेरबदल प्रस्ताव" असा उल्लेख केलेला);

आणि, ज्याअर्थी, आता पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मा. महापालिका सभेने ठराव क्रमांक ६९७, दिनांक २० मे २०१५ अन्वये उक्त विकास योजनेतील मौजे चऱ्होली येथील शासनास सादर फेरबदल प्रस्तावातील आरक्षण क्रमांक २/७३-प्राथमिक शाळा या आरक्षणाचे वाढीव १६६० चौ. मी. क्षेत्र (सोबतचे भाग नकाशावर "ABCD" नुसार दर्शविल्याप्रमाणे) नामंजूर करण्यास शासनास प्रस्ताव सादर करण्यास व उक्त विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक २/७३-प्राथमिक शाळा आरक्षणाचे शासनास सादर फेरबदल प्रस्तावातील ४५.०० मीटर रस्त्यालगतचे उर्वरित २३४० चौ. मी. क्षेत्र (सोबतचे भाग नकाशावर "CDEF" नुसार दर्शविल्याप्रमाणे) उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ अन्वये रद्द करण्याबाबत वैधानिक कार्यवाही करण्यास मान्यता प्रदान केलेली आहे (यापुढे "उक्त ठराव" म्हणून संबोधिलेला);

आणि ज्याअर्थी, मौजे चऱ्होली येथील सर्व्हे नंबर १००४ पैकी व सर्व्हे नंबर १००५ पैकी मधील शासनास सादर फेरबदल प्रस्तावातील ४५.०० मीटर रस्त्यालगतचे सुमारे २३४० चौ. मी. क्षेत्राची (सोबतचे भाग नकाशावर "CDFE" नुसार दर्शविल्याप्रमाणे) जमीन उक्त विकास योजनेत आरक्षण क्रमांक २/७३ अन्वये प्राथमिक शाळा या प्रयोजनाचे आरक्षणातील आहे (यापुढे "उक्त जमीन" म्हणून संबोधित केलेली);

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक २/७३-प्राथमिक शाळा या प्रयोजनाचे उक्त जमिनीतील आरक्षित क्षेत्र उक्त ठरावानुसार आरक्षणातून वगळून सभोवतालच्या जमीन वापरानुसार रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यासाठी उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ प्रमाणे फेरबदलाची कार्यवाही करण्याचे योजिले आहे (यापुढे "उक्त फेरबदल प्रस्ताव" म्हणून संबोधित केलेला);

आणि त्याअर्थी, उक्त फेरबदल प्रस्ताव दर्शक नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ उपसंचालक, नगर रचना, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे-४११ ०१८ यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत ठेवण्यात आलेला आहे.

उक्त फेरबदलाबाबत नागरिकांच्या काही हरकती अगर सूचना असतील तर त्या, सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत लेखी स्वरूपात आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पिंपरी, पुणे-४११ ०१८ यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात.

उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत विहित मुदतीमध्ये पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकाकडे प्राप्त झालेल्या हरकती/सूचनांचा विचार फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी केला जाईल.

**राजीव जाधव,**
आयुक्त,
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका,
पिंपरी, पुणे-४११ ०१८.

पिंपरी, २ डिसेंबर २०१५.

---

## PIMPRI-CHINCHWAD MUNICIPAL CORPORATION, PIMPRI, PUNE-411 018

*Modification under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.*

***Notice***

No. TPS/WS-13/146/2015.–Whereas, the Development Plan for the extended limits of Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation has been sanctioned in parts by the Government of Maharashtra in Urban Development Department, *vide* Notification No. TPS-1805/1050/CR-795/05/ UD-13, dated 30th May 2008 and also by the Government of Maharashtra in Urban Development Department, *vide* Notification No. TPS-1808/894/CR-1727/UD-13, dated 18th August 2009. And whereas, the Development Plan of Excluded Part of the extended limits (EP Nos. 1 to 118) has been sanctioned by the Government of Maharashtra in Urban Development Department, *vide* Notification No. TPS-1812/160/ CR-58/12/Reconstruction No. 27/12/EP sanction/ UD-13, dated 2nd March 2015 (hereinafter referred to as "the said Development Plan");

and whereas, Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation has submitted the modification proposal for the sanction of Government *vide* letter No. नरवि/काविं/12/67/2013, dated 10th November 2013, after following the due procedure laid down under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as "the said Act") as per the resolution passed by the General Body, *vide* its Resolution No. 1202, dated 20th November 2011 to initiate the modification so as to propose road widening of 45.00 mtrs. instead of 30.00 mtrs. for road which starts from Pune Alandi Road (Charoli Phata) of village Chowisawadi and going towards Charoligaon upto new S. No. 534 of Charoli village and to propose road width of 45.00 mtrs. instead of 30.00 mtrs. for road from new S. No. 517 (pt.) to new S. No. 541 (pt.) of Charoli village and accordingly modify the boundaries of reservations R. No. 2/11--Fire Station, R. No. 2/13-Telecom Center, R. No. 2/21-Shopping Center cum Market, R. No. 2/22-Parking, R. No. 2/23-Retail Market from village Chowisawadi and R. No. 2/73-Primary School, R. No. 2/61-Octroi Naka and R. No. 2/62-Cattle Shed from village Charoli and also to increase the width of 18.00 mtrs. wide road on the common village boundary of village Moshi and Dudulgaon to 30.00 mtrs. (hereinafter referred to as "the said submitted modification proposal");

and whereas, the General Body of Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation has now passed the resolution, *vide* Resolution No. 697, dated 20th May 2015 to request the Government to reject the portion of proposal of reserving additional land area admeasuring about 1660 sq. mtrs. for Primary School of R. No. 2/73 from the said submitted modification proposal (earmarked as "ABCD" on the herewith enclosed Part Plan) of the said Development Plan and also to initiate modification proposal to delete the remaining 2340 sq. mtrs. area of reservation from R. No. 2/ 73-Primary School, adjacent to proposed 45.00 mtrs. road (earmarked as "CDEF" on the herewith enclosed Part Plan) from the said submitted modification proposal after following the due procedure laid down under Section 37 of the said Act, in the said Development Plan (hereinafter referred to as "the said Resolution");

and whereas, in the said Development Plan the land admeasuring about 2340 sq. mtrs. adjacent to proposed 45.00 mtrs. road (earmarked as "CDEF" on the herewith enclosed Part Plan) from the said submitted modification proposal from village Charoli bearing S. No. 1004 (pt.) and S. No. 1005 (pt.) which is from reservation of Primary School *vide* R. No. 2/73 (hereinafter referred to as "the said Land");

and whereas, the Municipal Corporation now intends to initiate the modification procedure as laid down under Section 37 of the said Act as per the said Resolution to delete the reservation of Primary School *vide* R. No. 2/73 from the said land and include in the surrounding Residential Zone (hereinafter referred to as "the said Modificaton");

and therefore, the copy of the said Modification is kept open for public inspection on all working days during office hours in the office of the Deputy Director of Town Planning, Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation, Pimpri, Pune-411 018.

Any person having any Suggestions and / or Objections regarding the said Modification may file the same in writing to the Commissioner, Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation, Pimpri, Pune-411 018 within a period of one month from

the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette.

The Suggestions and / or Objections received within the stipulated period will be considered by the Municipal Corporation before submitting the proposal to the Government of Maharashtra for sanction.

**RAJEEV JADHAV,**
Commissioner,
Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation,
Pimpri, Pune-411 018.

Pimpri, 2nd December 2015.

---

## मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून

### झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे

### *झोपडपट्टी निर्मूलन आदेश*

क्रमांक झोपुप्रा/तां. १/प्र.क्र. १०/झोनिआ-८३/२०१६.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे "उपरोक्त अधिनियम" असा करण्यात येत आहे) चे कलम ३-अ *(१), (२)* अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झोपुयो-२००४/प्र. क्र. २१३/झोपसु-१, दिनांक ३० जून २००५ नुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे आणि आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांना उक्त प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले आहे ;

ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमतः प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ;

ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमातील तरतुदींनुसार अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक मे. कितीवर्धन डेव्हलपर्स ॲन्ड बिल्डर्स यांनी ऑर्किटेक्ट ओंकार असोसिएट्स यांचेमार्फत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव प्रस्तावित करणेत आला आहे ;

उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी सर्व्हे नंबर ४६ पैकी, ४७ पैकी, सि.स.न. १७२१, १७२३ ते १७२७, कोथरूड, श्रावणधारा, पुणे येथील पुणे महानगरपालिकेच्या मालकीच्या जागेवरील झोपडपट्टीचे सर्व्हेक्षण करून उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित केलेली आहे. सदर अंतिम यादीच्या (परिशिष्ट-२) गोषवाऱ्याचे अवलोकन करता सदर मिळकतीवर एकूण ५९० झोपड्या असून त्यापैकी पात्र निवासी ३९२, पात्र बिगर निवासी ३ व संयुक्त ३ असे एकूण ३९८ झोपडीधारक पात्र ठरलेले आहेत. पात्र झोपडीधारकांपैकी ३५० झोपडीधारकांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन राबविण्यासाठी संमती दिलेली आहे. म्हणजेच ८७.२८ टक्के झोपडीधारकांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी विकसकास संमती दिलेली आहे.

ज्याअर्थी, पुणे शहरातील झोपडपट्टी व्याप्त क्षेत्रांसाठी महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ च्या कलम ३ *(क)* अन्वये पुणे शहर (नवीन व जुनी मनपा हद्द) क्षेत्रातील उक्त अधिनियमाचे (i) कलम ४ अन्वये पुणे शहरातील सर्व घोषित झोपडपट्टी क्षेत्रे आणि (ii) सार्वजनिक मिळकतीवरील गणणाकृत झोपडपट्टी क्षेत्र यासाठी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांचेमार्फत जा. क्र. झोपुप्रा/कअतां/झोपुआ/२५७/२०१४, दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ अन्वये महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ च्या कलम ३ *(क)* अन्वये आदेश एकत्रित पारित करणेत आले आहे. सदर आदेश स्थानिक वृत्तपत्रात दैनिक लोकमत व दै. सांजमहानगरी दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे व दिनांक फेब्रुवारी २० ते २६, २०१४ रोजीच्या राजपत्रात पृष्ठ २६ वर प्रसिद्ध करणेत आला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र आदेश विहित पद्धतीने प्रसिद्ध झाला असून, विहित कालावधीत कोणाचीही हरकत प्राप्त झालेली नाही व विशेष न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल झालेले नाही. सबब 'झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना' राबविणेकामी झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रातील इमारती/झोपड्या पाडून जमीन खुली करणे आवश्यक आहे.

आणि ज्याअर्थी, प्रकरणी दाखल मशाल संस्थेकडील सर्व्हेक्षण नकाशानुसार १२३७७.७२ चौ. मी. क्षेत्रावर सक्षम प्राधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांचेकडून सर्व्हेक्षण व अंतिम पात्रता यादी याबाबत कार्यवाही कलम ३ *(वाय)* नुसार दै. पुढारी व दै. सुराज्य दिनांक ७ फेब्रुवारी २०११ या स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध करून करण्यात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाकडून प्राप्त अहवालानुसार एकूण संपादित क्षेत्र ११७०० चौ. मी. असून त्यापैकी डी. पी. रस्त्याखालील क्षेत्र १४५९.०५ चौ. मी. व आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षित क्षेत्र १०२४०.९५ चौ. मी. आहे ;

आणि ज्याअर्थी, या ठिकाणच्या झोपडपट्टीतील सर्व पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन प्रकल्पात होणेकामी निर्मूलनासाठी एकूण झोपडपट्टी व्याप्त क्षेत्र १२३७७.७२ चौ. मी. क्षेत्रापैकी पुणे महानगरपालिकेकडील एकूण संपादित ११७०० चौ. मी. विचारात घेण्यात आलेले आहे, आणि विकसन व बांधकाम परवानगीसाठी पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाचे अभिप्रायानुसार १०२४०.९५ चौ. मी. क्षेत्र विचारात घेण्यात आलेले आहे.

त्याअर्थी, मी, कुणाल कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३-ड सह १२ *(१)* अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र हे 'झोपडपट्टी निर्मूलन क्षेत्र' म्हणून घोषित करीत आहे. अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्रातील सर्व झोपड्या/बांधकामे हा आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ (सहा) आठवड्यांच्या आत पाडून टाकून जमीन खुली केली पाहिजे. सदरचा आदेश हा खालील अटींवर देणेत येत आहे.

(१) सदर आदेशापासून तीन महिन्यांच्या मुदतीच्या आत विकसकाने योजनेचे नकाशे मंजूर करून प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू केले पाहिजे.

(२) विकसकाने योजनेचे काम चालू करणेपूर्वी विस्थापित होणाऱ्या पात्र लाभार्थींची राहणेची तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था आवश्यक त्या सर्व सुविधांसह स्वखर्चाने केली पाहिजे.

(३) विकसकाने पुनर्वसन घटकाच्या इमारतींचे बांधकाम दोन वर्षांत पूर्ण केले पाहिजे.

(४) इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर व इमारतींस भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर एक महिन्यात विकसकाने सदनिकांचा/गाळ्यांचा ताबा लाभार्थींना दिला पाहिजे.

(५) वाजवी व सबळ कारणांमुळे इमारतींच्या बांधकामास विलंब झालेस मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे यांचे निदेशानुसार विलंब कालावधीसाठी दंड आकारून मुदतवाढ देण्यात येईल.

(६) विकसकाने योजनेच्या बांधकामाची गुणवत्ता राखण्यात कसूर केल्यास अगर बांधकामाची प्रगती समाधानकारक नसलेस, विकसकावर उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १३ अन्वये कारवाई करण्यात येईल.

(७) पात्र लाभार्थ्यांना पुनर्वसन योजनेतील सदनिकांचा/गाळ्यांचा ताबा दिलेनंतर एक महिन्यात विकसकाने संक्रमण शिबिर रिकामे केले पाहिजे.

(८) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे नियमावलीनुसार योजनेअंतर्गत आवश्यक ती सर्व कामे विकसकाने करणे बंधनकारक राहील.

सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून ४ (चार) आठवड्यांच्या आत उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ड सह १२ *(४)* अन्वये विशेष न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करता येईल आणि विशेष न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम राहील.

## अनुसूची

| जमिनीचा तपशील | क्षेत्र |
|---|---|
| १ | २ |
| | चौ. मी. |
| स. नं. ४६ पैकी, ४७ पैकी, सि.स.नं. १७२१, १७२३ ते १७२७, कोथरुड, श्रावणधारा. | ११७००.०० |

### चतु:सीमा

पूर्वेस.-- नगर भूमापन क्रमांक १७२९ ते १७३१.

पश्चिमेस.--नगर भूमापन क्रमांक १६९२, १६९३, १७०१, १७०८, १७२४.

उत्तरेस.--नगर भूमापन क्रमांक १७२१ व १७२२.

दक्षिणेस.--रस्ता.

सदर योजनेसंबंधीची सर्व कागदपत्रे संबंधितांना पाहणेसाठी या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत. सदरचा आदेश हा माझे सही शिक्क्यानिशी देणेत आला आहे.

**कुणाल कुमार,**
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.

पुणे, १६ जानेवारी २०१६.

---

## झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे

### *झोपडपट्टी निर्मूलन आदेश*

क्रमांक झोपुप्रा/तां. १/प्र.क्र. ६६/झोनिआ-८७/२०१६.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे "उपरोक्त अधिनियम" असा करण्यात येत आहे) चे कलम ३-अ *(१), (२)* अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झोपुयो-२००४/प्र. क्र. २१३/झोपसु-१, दिनांक ३० जून २००५ नुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची नियुक्ती केली आहे आणि आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांना उक्त प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले आहे ;

ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ब मधील तरतुदींनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ रोजी अंतिमतः प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ;

ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमातील तरतुदींनुसार अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेसाठी विकसक मे. संजीवणी शेल्टर्स यांनी ऑर्किटेक्ट सतिश सस्ते यांचेमार्फत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव प्रस्तावित करणेत आला आहे ;

सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने या जागेवरील झोपडपट्टीचे सर्व्हेक्षण करून झोपडीधारकांची अंतिम पात्रता यादी (परिशिष्ट-२), कॅडेस्ट्रीयल नकाशा प्रमाणित करून उपायुक्त तथा सक्षम प्राधिकारी वि.का.क्र. ३, पुणे महानगरपालिका यांनी दिनांक २ डिसेंबर २०१० अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यालयास सादर केलेली आहे. सदर अंतिम यादीच्या गोषवाऱ्याचे अवलोकन करता सदर मिळकतीवर एकूण २८६ झोपड्या

असून त्यापैकी पात्र निवासी झोपड्यांची संख्या २३३, पात्र बिगर निवासी झोपड्यांची संख्या ५ तसेच पात्र संयुक्त झोपड्यांची संख्या ५ असे एकूण २४३ झोपडीधारक पात्र ठरलेले आहेत. पात्र झोपडीधारकांपैकी ७० टक्केपेक्षा जास्त झोपडीधारकांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी विकसकास संमती दिलेली आहे.

ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ३ *(क), (१)* मधील तरतुदीनुसार अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र हे कार्यालयाकडील आदेश क्र. झोपुप्रा/कअतां/झोपुआ/२५७/२०१४, दिनांक १० फेब्रुवारी २०१४ अन्वये "झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र" म्हणून घोषित केलेले आहे.

ज्याअर्थी, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या दैनिक लोकमत व दै. सांजमहानगरी दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१४या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे व दिनांक फेब्रुवारी २० ते २६, २०१४ रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या पुणे विभागीय पुरवणी, भाग-१ राजपत्रात पृष्ठ २६ वर प्रसिद्ध करणेत आला आहे व दिनांक २ मे २०१४ रोजी सदर आदेश झोपडपट्टी क्षेत्रातील जागेवर डकविण्यात आले आहे ;

आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्रावर झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र आदेश विहित पद्धतीने प्रसिद्ध झाला असून, विहित कालावधीत कोणाचीही हरकत प्राप्त झालेली नाही व विशेष न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल झालेले नाही. सबब 'झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना' राबविणेकामी झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रातील इमारती/झोपड्या पाडून जमीन खुली करणे आवश्यक आहे.

त्याअर्थी, मी, कुणाल कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे, उपरोक्त अधिनियमाचे कलम ३-ड सह १२ *(१)* अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले क्षेत्र हे 'झोपडपट्टी निर्मूलन क्षेत्र' म्हणून घोषित करीत आहे. अनुसूचीमध्ये नमूद क्षेत्रातील सर्व झोपड्या/बांधकामे हा आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून ६ (सहा) आठवड्यांच्या आत पाडून टाकून जमीन खुली केली पाहिजे. सदरचा आदेश हा खालील अटींवर देणेत येत आहे.

(१) सदर आदेशापासून तीन महिन्यांच्या मुदतीच्या आत विकसकाने योजनेचे नकाशे मंजूर करून प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू केले पाहिजे.

(२) विकसकाने योजनेचे काम चालू करणेपूर्वी विस्थापित होणाऱ्या पात्र लाभार्थींची राहणेची तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था आवश्यक त्या सर्व सुविधांसह स्वखर्चाने केली पाहिजे.

(३) विकसकाने पुनर्वसन घटकाच्या इमारतींचे बांधकाम दिलेल्या कालावधीत पूर्ण केले पाहिजे.

(४) इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर व इमारतींस भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर एक महिन्यात विकसकाने सदनिकांचा/गाळ्यांचा ताबा लाभार्थींना दिला पाहिजे.

(५) वाजवी व सबळ कारणांमुळे इमारतींच्या बांधकामास विलंब झालेस मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे यांचे निदेशानुसार विलंब कालावधीसाठी दंड आकारून मुदतवाढ देण्यात येईल.

(६) विकसकाने योजनेच्या बांधकामाची गुणवत्ता राखण्यात कसूर केल्यास अगर बांधकामाची प्रगती समाधानकारक नसलेस, विकसकावर उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १३ अन्वये कारवाई करण्यात येईल.

(७) पात्र लाभार्थ्यांना पुनर्वसन योजनेतील सदनिकांचा/गाळ्यांचा ताबा दिलेनंतर एक महिन्यात विकसकाने संक्रमण शिबिर रिकामे केले पाहिजे.

(८) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे नियमावलीनुसार योजनेअंतर्गत आवश्यक ती सर्व कामे विकसकाने करणे बंधनकारक राहील.

सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस आदेश प्रसिद्ध झाल्यापासून ४ (चार) आठवड्यांच्या आत उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ३-ड सह १२ *(४)* अन्वये विशेष न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल करता येईल आणि विशेष न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम राहील.

**अनुसूची**

| जमिनीचा तपशील | क्षेत्र |
|---|---|
| १ | २ |
| | चौ. मी. |
| टी.पी.एस. क्रमांक ३, फा.प्लॉ. क्रमांक ४७-अ, सि.स.नं. १०७७, शुक्रवार पेठ, हिराबाग, पुणे. | २८७३.०० |

**चतु:सीमा**

पूर्वेस.-- रस्ता.
पश्चिमेस.--रस्ता.
उत्तरेस.--सि.स.न्नं. १०४० ते १०४४.
दक्षिणेस.--रस्ता.

सदर योजनेसंबंधीची सर्व कागदपत्रे संबंधितांना पाहणेसाठी या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहेत. सदरचा आदेश हा माझे सही शिक्क्यानिशी देणेत आला आहे.

**कुणाल कुमार,**
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे.

पुणे, १८ जानेवारी २०१६.

---

## अध्यक्ष, नगरपरिषद यांजकडून

## बारामती नगरपरिषद, बारामती

*महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ बारामती शहराची वाढीव हद्द क्षेत्राची प्रारूप विकास योजना.*

***अधिसूचना***

क्रमांक बानप/कार्या-१४/प्र.वि.यो./१०३/२०१६.--बारामती नगरपरिषदेने तिच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ८०, दिनांक २४ ऑगस्ट २०१३

अन्वये बारामती शहराच्या नगरपरिषदेच्या वाढीव हद्द क्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करण्याचा इरादा, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३८ व २३ *(१)* अन्वये जाहीर केला आहे. ह्याकरिता मा. सहसंचालक, नगर रचना, पुणे विभाग, पुणे यांचे पूर्व संमतीने बारामती नगरपरिषदेने नेमलेल्या नगर रचना अधिकारी यांनी वरील वाढीव हद्द क्षेत्राची विकास योजनासंबंधी सर्व प्रकारचे सर्वेक्षण पूर्ण करून विकास योजनेचा प्रारूप आराखडा बारामती नगरपरिषदेकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केलेला आहे.

या सूचनेद्वारे असे जाहीर करण्यात येते की, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ *(१)* अन्वये दिनांक २३ जानेवारी २०१६ रोजीच्या नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १३१ अन्वये उपरोक्त प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. या योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कार्यालयीन वेळेत कामकाजाचे दिवशी जनतेस अवलोकनार्क, बारामती नगरपरिषद कार्यालयात खुले ठेवले आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम २६ *(२)* मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर प्रारूप विकास योजनेच्या तपशिलाच्या प्रती अथवा प्रमाणित उतारे योग्य त्या किंमतीत नगरपरिषदेकडे उपलब्ध होऊ शकतील.

वरील विकास योजनेतील तरतुदीसंबंधी कोणाच्या काही सूचना अगर हरकती असल्यास त्या त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० (तीस) दिवसांचे मुदतीत बारामती नगरपरिषदेकडे लेखी सादर कराव्यात म्हणजे अशा मुदतीत आलेल्या सूचना व हरकतीचा बारामती नगरपरिषद सदरहू प्रारूप विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमांचे कलम ३० अन्वये महाराष्ट्र शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी आवश्यक तो विचार करील.

**सुभाष सोमाणी,**
अध्यक्ष,
बारामती नगरपरिषद, बारामती.

बारामती, २५ जानेवारी २०१६.

---

## BARAMATI MUNICIPAL COUNCIL, BARAMATI

*Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 Draft Development Plan of Baramati Extented Limit.*

### *Notice*

No. BMC/Karya-14/103/2016.––Baramati Municipal Council by it's Resolution No. 80, dated 24th August 2013 declared it's intention to prepare the Development Plan of Baramati Extended Limit for the area within the Municipal limits under the provision of Section 38 read with 23 *(1)* of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. The Town Planning Officer has appointed by the Baramati Municipal Council with prior approval of the Joint Director of Town Planning Officer has after carrying out all kinds of surveys, prepared and submitted the Draft Development Plan of Baramati to the Baramati Municipal Council.

The notice is hereby given as required under Section 26 *(1)* of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 that the Draft Development Plan is now published by Municipal Council *vide* the there Resolution No. 131, dated 23rd January 2016 in the manner laid down under Section 26 *(1)* of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 copy of said Draft Development Plan and it's report there on are kept open for inspection of the public at the office of Baramati Municipal Council on any working day during the office hours.

Copies of extracts or the Draft Development Plan and particulars mentioned in Section 26 *(2)* of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 or certified extracts there form shall be available for the sale to the public at reasonable price.

If within 30 (Thirty) days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette any person communicates in writing any suggestion or objections relating to this plan, the Baramati Municipal Council could consider the same before submitting the said plan to Government for Section under Section 30 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.

**SUBHASH SOMANI**,
President,
Baramati Municipal Council,
Baramati.

Baramati, 25th January 2016.

---

**अध्यक्ष जिल्हापरिषद यांजकडून**

**सातारा जिल्हा परिषद, सातारा (ग्रामपंचायत विभाग), सामान्य प्रशासन विभाग-२**

*महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये.*

### *नोटीस*

क्रमांक ग्राप-८/कावि-३०२/२०१५.--सातारा जिल्ह्यातील विशेषत: कोरेगाव तालुक्यातील कोरेगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व नागरिकांना या जाहीर नोटीशीद्वारे कळविण्यात येते की, ज्याअर्थी, कोरेगाव, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा या बिगर नगर परिषद शहराची विकास योजना

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदीनुसार शासनाची अधिसूचना क्रमांक वि.यो. कोरेगाव/८७/८३/टीपीव्ही/२-५११, दिनांक २३ जानेवारी १९८९ ने मंजुरी दिली असून ती दिनांक १ मार्च १९८९ पासून अंमलात आलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, सदर विकास योजनेमध्ये खाली नमूद केल्याप्रमाणे फेरफार करणेकरिता सर्व्हे नंबर ४६६ (जुना ५७०) वरील बगीचा व सर्व्हे नंबर ४७१-अ, जुना ५७३/अ/१-अ वरील ग्रीन झोन उठविणेकामी कोरेगाव ग्रामपंचायतीने तिच्या मासिक सभा दिनांक २१ जानेवारी २०१५, ठराव क्रमांक ३ *(२)* २ अन्वये मान्यता दिलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, कोरेगाव, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा या बिगर नगर परिषद शहराची व ग्रामपंचायत हद्दीतील विकास योजना नियोजन प्राधिकरण म्हणून जिल्हा परिषद साताराचे अधिपत्याखालील कार्यक्षेत्रातील असलेने सातारा जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने तिच्या दिनांक १६ जुलै २०१५ चे सभेतील ठराव क्रमांक ४५० ने जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन प्रस्ताव शासनास सादर करणेकामी मान्यता दिलेली आहे ;

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५, ठराव क्रमांक ४०१ अन्वये विकास योजनेमधील मंजुरीचा निर्णय घेतलेला आहे. तो खालीलप्रमाणे आहे.

**मंजूर विकास योजनेमधील प्रस्ताव**

| अ. नं. | सर्व्हे नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| १ | सर्व्हे नंबर ४६६ (जुना ५७०) | ० २८ |
| २ | सर्व्हे नंबर ४७१-अ (जुना ५७३-अ/१-अ) | ० ९४.३ |

आरक्षण क्रमांक १ ची जागा बगीच्यासाठी आरक्षित आहे.

आरक्षण क्रमांक २ ची जागा शेती विभागात समाविष्ट आहे.

**प्रस्तावित सुधारणा**

| अ. नं. | सर्व्हे नंबर | क्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| | | हे. आर |
| १ | सर्व्हे नंबर ४६६ (जुना ५७०) | ० २८ |
| २ | सर्व्हे नंबर ४७१-अ (जुना ५७३-अ/१-अ) | ० ९४.३ |

आरक्षण क्रमांक १ चे बगीचाचे आरक्षण वगळणे.

आरक्षण क्रमांक २ ची जागा शेती विभागातून वगळणे.

ज्याअर्थी, उक्त फेरफार करण्याचे नकाशे कोरेगाव ग्रामपंचायत कार्यालय व नियोजन प्राधिकरण म्हणून सातारा जिल्हा परिषद, साताराचे ग्रामपंचायत विभागात सर्व नागरिकांना (रविवार व शासकीय सुट्टीचे दिवस सोडून) कार्यालयीन वेळेत अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेले आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, उक्त वापर बदलाबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ नुसार करावयाची प्राथमिक कार्यवाही नियोजन प्राधिकरण या नात्याने सातारा जिल्हा परिषद, सातारा यांनी करणे आवश्यक असल्याने सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव तालुक्यातील विशेषत: कोरेगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील नागरिकांच्या हरकती/सूचना मागविणे त्याची चौकशी करून निर्णय घेणे इत्यादीबाबीसाठी प्राधिकृत करणेत आलेले आहे.

त्याअर्थी, सर्व संबंधितांना विनंती करणेत येते की, उक्त जागा वापर बदलाबाबत आपल्या सूचना/हरकती ही सूचना प्रसिद्ध झाल्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत खाली सही करणार यांच्याकडे सादर कराव्यात. सदर सूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून ३० (तीस) दिवसांच्या आत कोणाकडूनही नियोजित फेरबदलाबाबत सूचना हरकती/प्राप्त न झाल्यास नियोजन प्राधिकरण या नात्याने सातारा जिल्हा परिषद तिचे सर्वसाधारण सभेमध्ये उक्त वापर बदलास अंतिमत: मंजुरी देऊन परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाचे नगर विकास खात्याकडे मंजुरीकामी विहित मार्गाने सादर करील. मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या कोणत्याही सूचना/हरकती याची दाखल घेण्यास नियोजन प्राधिकरण म्हणून सातारा जिल्हा परिषद बाध्य असणार नाही.

**माणिकराव विठ्ठल सोनवलकर,**

अध्यक्ष,

सातारा जिल्हा परिषद, सातारा.

सातारा, ३० ऑक्टोबर २०१५.

---

## SATARA ZILLA PARISHAD, SATARA

*Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966.*

***General Notice***

क्रमांक ग्राप-८/कावि-३०२/२०१५.—All Citizens residing in Satara District, Koregaon, taluka and especially in and around the vicinity of Koregaon Grampanchayat are hereby informed by this public Notice that, Whereas, the Government in Town Planning Department has duly sanctioned and approved the Development Scheme of village Koregaon, taluka Koregaon, district Satara *vide* its Notification No. DP/Koregaon/78-83/TPV-2/511, dated 23rd January 1989 and which has come into force on 1st March 1989 ;

and whereas require change in the Development Plan in respect of S. No. 466 (Old 570 ) and S. No. 471-A (Old 573/A/1-A) has already been resolved by the Koregaon Grampanchayat Monthly meeting Resolution No. 3 *(2)* 2, dated 21st January 2015 ;

and whereas, the said change in use of land is coming under the Non Municipal area and being in the area of the Grampanchayat which comes under the Planning Authority of Zilla Parishad, Satara, the Zilla Parishad has also Resolved *vide* its standing committee's Resolution No. 450, dated 16th July 2015 recommending the said change in use of land for proper sanction to the Government through General Body of Planning Authority's to that effect ;

and whereas, the Planning Authorities has Resolved throuth its General Body Resolution No. 401, dated 9th September 2015 and duly sanctioned and approved the change in the use of land for further approved and sanction of the Government in Town Planning Department, Maharashtra State which is as follow.—

**Sanctioned Development Plan**

| Sr. No. | S. Nos. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. R. |
| 1 | S. No. 466 (Old 570) | 0 28 |
| 2 | S. No. 471-A (Old 573-A/1-A) | 0 94.3 |

Sr. No. 1 at present reserved for "Garden".

Sr. No. 2 at present reserved for "Agricultural Zone".

**Modified Proposed**

| Sr. No. | S. Nos. | Area |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | H. R. |
| 1 | S. No. 466 (Old 570) | 0 28 |
| 2 | S. No. 471-A (Old 573-A/1-A) | 0 94.3 |

Sr. No. 1 proposed for "Residential Zone".

Sr. No. 2 proposed for "Non Agricultural Zone".

and whereas, the Plan showing the proposed modification is kept open with the Grampanchayat Karyalaya, Koregaon, taluka Koregaon and at Grampanchayat vibhag at district Head Quarter of Planning Authority *i. e.* Zilla Parishad for observation on every working day during office hours except every Sunday and Government holiday ;

and whereas, the Satara Zilla Parishad is duly authorised as Planning Authority under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 for inviting suggestions/ objections, hear them and decide etc.

It is hereby published and requested that the Citizens especially, residing in and around the vicinity of Koregaon Grampanchayat of Koregaon taluka, Satara district to send their suggestions/ objections, if any, to the under signed within 30 (thirty) days from the publication of this notice enabling the Zilla Parishad to resolve the final resolution and onward transmission to the respective authorities, Suggestions/ objections, received after the prescribed time limit of 30 (thrity) days will not be entertained.

**MANIKRAO VITTHAL SONAWALKAR**,

President,

Satara Zilla Parishad, Satara.

Satara, 30th October 2015.

---

**पोलीस उपआयुक्त यांजकडून**

**आदेश**

क्रमांक पोउआ/वाहतूक/३/२०१६.– ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए-०१९६/८७१/सीआर-३७/टीआरए-२, दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, कलम ११५, ११६ *(१), (ए), (बी),* ११६ *(४)* आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी, सारंग आवाड, पोलीस उपआयुक्त, वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर, अत्यावश्यक सेवेतील वाहने (उदा. फायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निर्बंध रद्द समजण्यात येतील.

**स्वारगेट वाहतूक विभाग पुणे अंतर्गत**

सातारा रोडवरील लक्ष्मीनारायण सिनेमागृहाचे पश्चिमेकडील संपूर्ण रोडवर दोन्ही बाजूस नो-पार्किंग करण्यात येत आहे.

**सारंग आवाड,**

पोलीस उपआयुक्त,

वाहतूक शाखा, पुणे शहर, पुणे.

पुणे, ११ जानेवारी २०१६.

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006. EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE.